# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 23वां दिवस संख्या 18

मंगलवार,

दिनांक 17 सितम्बर, 1968।

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, चिकित्सा, वित्त, राजस्व, पंचायत उपनिवेशन, समाज-कल्याण, विकास, सिंचाई, योजना]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरोंसिंह!

### विजिलेन्स स्क्वेड

482. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) वन विभाग में 'विजिलेन्स स्क्वेड' कब से स्थापित किया गया, इसके कौन-कौन अधिकारी रहे और अब तक इस पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

(ख) इस स्क्वेड द्वारा अब तक किस-किस विषय की जांच की गई है और उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) 'विजिलेन्स स्क्वेड' द्वारा यह जांच की रिपोर्ट किस-किस अधिकारी एवं मंत्री को कब-कब प्रस्तुत की गई है ? कृपया इन रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :** (क) 15-1-68 श्री गोपीनाथ पिल्ले, उप-वन संरक्षक के आधीन श्री सूरजमल जैन, सहायक वन संरक्षक, श्री बनवारीलाल शर्मा क्षेत्रीय, श्री सदीक हुसैन उपक्षेत्रीय तथा श्री भैरोंसिंह सहायक वनपाल, इस गश्ती दल में नियुक्त किये गये थे। गश्ती दल वन विभाग के वर्तमान स्टाफ तथा व्यय से ही गठित किया गया है अतः इस पर अलग से व्यय नहीं किया गया।

(ख) स्क्वेड ने गत वर्किंग सीजन में वनों में ठेकेदारों व अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई कार्यवाही तथा परिवादों की जांच की है। ठेकेदारों व सहकारी समितियों द्वारा किये गये अवैध कार्यों के लिए एग्रीमेंट के अनुसार उचित कार्यवाही की गई। जिन वन कर्मचारियों या अधिकारियों की इस अवैध कार्यवाही में असावधानी या दृष्टिउपेक्षा पाई गई उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। गम्भीर मामलों में स्थानीय वन क्षेत्रीय तथा कर्मचारियों को निलम्बित किया जाकर अग्रिम जांच की जा रही है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(ग) चूंकि सतर्कता दल की रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही चालू है, यह सूचना देना व रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखना न्याय संगत एवं परम्परा–विरुद्ध होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सतर्कता दल द्वारा एन्क्वायरी होने के बाद इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से भी जांच कराई गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उच्चाधिकारियों को सतर्कता दल की रिपोर्ट्स की जांच करने के लिए भेजी गई है और उनमें कुछ जगह कार्यवाही हुई है। कई जगह निलम्बित किये गये। कुछ दूसरी जगहों पर कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह : कुल कितनी रिपोर्ट्स जांच करने के लिए भेजी है और उनमें से कितनी वापिस आ गई हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 38 भेजी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : वापिस कितनी आई हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वापिस शायद एक भी नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : यह चित्तौड़गढ़ जिले के नलवाना कौर की जांच करवा रहे थे, वह रिपोर्ट आ गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अभी मेरे समक्ष नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब यह रिपोर्ट आई तो मन्त्री महोदय ने उसमें नोटिंग की है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नोटिंग तो हम कई करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जांच उसी अधिकारी से करवाई गई जिस पर ये आरोप थे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह श्री नन्दन भार्गव के पास भेजी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह रिपोर्ट नन्दन भार्गव ने दे दी है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने उन अधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी है "जिनके खिलाफ नन्दन भार्गव ने जांच की है।"

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह रिपोर्ट प्रोसेस में चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं या तो वह त्याग पत्र दे दें, नहीं तो मैं दे दूंगा, यदि वह रिपोर्ट सी. सी. एफ. श्री बोहरा के पास नहीं चली गई हो। मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं। आप किस प्रकार बैठे हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : चीफ कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट के पास जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे जा सकती है ? उस बोहरा के खिलाफ जांच के अन्दर आरोप

(श्री भैरोंसिंह)
प्रमाणित हुए हैं। तो जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं उसी के पास जांच रिपोर्ट की फायल कैसे जा सकती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह तो यथाविधि जिनके जरिये आनी चाहिए उन्हीं के जरिये आयेगी।

श्री भैरोंसिंह : उनके जरिये जांच नहीं कराई गई। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ऑफिसर एपाइंट किया है इस बारे में, एन्क्वायरी ऑफिसर एपाइन्ट किया है। उसने जो जांच रिपोर्ट दी, उसकी फाइल पर मिनिस्टर ने नोटिंग की है। उसके बाद में वह फाइल रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास भेजी गई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस एन्क्वायरी रिपोर्ट फाइल को उसी ऑफिसर के पास भेज दिया जिसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके बारे में यह कह सकता हूं, उस रिपोर्ट के बारे में सारी जांच करवाई जा रही है। इस बारे में जितना भी निष्पक्ष व्यू लिया जा सकता है, वह लिया जायगा। अब यह सी. सी. एफ. के पास गई होगी। इस बारे में पूरे तौर से नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत सीरियस है। उदयपुर के एक सदस्य ने इस सम्बन्ध में विधान सभा में भी एक प्रश्न उठाया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने मामले को उठाया था, कि बालकृष्ण पुरी, ओ. पी. माथुर और शिवनाथ शर्मा इन रेंजर्स के खिलाफ एन्क्वायरी कराई गई और वह एन्क्वायरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को वापिस हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। मैं कहता हूं कि आपसे इस बात की उम्मीद नहीं करता था कि इस सदन में कोई ठेकेदार को और सरकारी अधिकारी को बचाने के लिए आप असत्य बात कहेंगे। आपने अपनी कलम से उस फाइल के ऊपर नोटिंग किया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस फाइल को मंगा कर देखें तो तुरन्त माननीय मंत्री जी असत्य कह रहे हैं या मैं असत्य कह रहा हूं, इसका पता लग जायगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां तक मुझे याद है ...

श्री भैरोंसिंह : आपकी याददाश्त से मेरा सम्बन्ध नहीं है। आपकी याददाश्त कितनी कमजोर है या कितना ब्रह्मरसायन आप खा रहे हैं, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नोटिंग का आशय क्या है ?

श्री भैरोंसिंह: नोटिंग का आशय यह है, अध्यक्ष महोदय, जो बोहरा हैं चीफ कन्जर्वेटर आफ फॉरेस्ट, उसने बाबू से चिट्ठी लिख कर ठेकेदार खान मोहम्मद को ब्लेक लिस्ट किया, और केवल वह ही ब्लेक लिस्टेड नहीं है, उसके जो तीन लडके हैं वह भी ब्लेक लिस्टेड हैं। उसके नाम से, खान मोहम्मद के नाम से, कॉन्ट्रेक्ट चालू था। इस कॉन्ट्रेक्ट में जितनी हांडियों का उल्लेख था, उसके बजाय 76 हांडिया रख लीं और इस प्रकार से, 1400 मन कत्था उसने बनाया और छः लाख रुपये की राज्य की चोरी हुई। इसी प्रश्न को लेकर विधान सभा में चर्चा हुई और उसके बाद में उस सम्बन्ध में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक उच्च अधिकारी से सरकार ने जांच

# Page No. 4



(श्री भैरोंसिंह)

कराई। उसके बाद जो इस विधान सभा में आरोप लगाये गये थे वह सही साबित हुए। इस जांच की रिपोर्ट सरकार के पास चली गई तो सरकार ने, कहना चाहिए कि असावधानी की या यह जान बूझ कर किया–मैं कह नहीं सकता, वह कागजात जिन अधिकारी के खिलाफ जाँच करके आरोप प्रमाणित करके भेजे थे, उनको ही सुपुर्द कर दिये कि तुम अपना जवाब दो।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नन्दन भार्गव को यह मामला जांच के लिए दिया गया, इससे स्पष्ट होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह जांच को पूरी तरह से कराने की मन्शा है और जो कुछ पहले कार्यवाही की गई थी अन्तरिम तौर पर उसके ऊपर जुर्माने आदि की, उससे सदन अवगत है। नन्दन भार्गव की रिपोर्ट के लिए मैं कह सकता हूं कि मेरी नजर से अभी गुजरी नहीं है। उस रिपोर्ट के लिए कहा जाता है कि लम्बी चौडी रिपोर्ट है। इसके आधार पर मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि वह रिपोर्ट आई है और वह रिपोर्ट मेरे समक्ष अभी फाइनल निर्णयार्थ पेश नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने फाइनल निर्णय की बात नहीं कही। फाइनल डिसीजन ले लिया या नहीं, यह नहीं कहा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि रिपोर्ट आने के बाद उस पर फाइनल निर्णय लेने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है।

श्री भैरोंसिंह : आपको फाइनल निर्णय लेने का मौका नहीं मिला है वह नहीं कहता हूँ...

श्री दौलतराम सारण (डूगरगढ) : क्या यह सही है कि जो इन्क्वायरी की फाइल आई थी वह फाइल, जिन अधिकारियों के खिलाफ एन्क्वायरी की गई, उनके पास वापिस भेज दी गई कि इसके आधार पर उत्तर दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह फाइल मेरे समक्ष आती तब ही तो मैं उसे किसी के पास भेजने का प्रयत्न करता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जिनके खिलाफ शिकायत है उनके पास?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह फाइल अभी तक मेरे सामने नहीं आई।

श्री मकुटबिहरीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मसला है...

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूँ...

श्री अध्यक्ष प्रश्नकर्ता !

श्री भैरोंसिंह : फाइल सामने आई, फाइल आने के बाद उस पर कुछ नोटिंग किया और नोटिंग करने के बाद वह फाइल रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास गई। रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री नारायण चन्द्र भटनागर ने उस फाइल को चीफ कन्जर्वेटर आफ फॉरेस्ट, श्री बोहरा को जिनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित किये गये उस रिपोर्ट में, वापिस भेज दी गई।

# Page No. 5



श्री नारायणसिंह मसूदा : वह फाइल तो चीफ कन्जर्वेटर आफ फॉरेस्ट के पास बोहरा के पास भेजी गई होगी नारायण चन्द्र भटनागर के द्वारा···

श्री भैरोंसिह : कैसे भेज दी ? कैसे भेज दी उसको वापिस जिनके खिलाफ आरोप प्रमाणिय है, तमाम डाक्यूमेंट उन आरोपों को प्रमाणित करते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं कि इसके अन्दर कोई एलीगेशन्स किसी के खिलाफ है तो उसका स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है।

श्री भैरोंसिह : स्पष्टीकरण नहीं मांगें, यह मैं नहीं कहता लेकिन···

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं···

श्री भैरोंसिह : लेकिन जिसके खिलाफ आरोप हैं उसको जांच की रिपोर्ट की फाइल भेजने का सवाल है।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रकार की फाइल एन्क्वायरी की रिपोर्ट की दोषी अधिकारी के पास नहीं भेजी जाती हैं। उससे जवाब तलब करने के लिये उसको चार्ज शीट दी जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है। तमाम फाइल भेज कर दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ! आर्डर आर्डर !!

श्री दौलतराम सारण : इस प्रकार एन्क्वायरी की रिपोर्ट दोषी अधिकारी के पास भेज कर प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह अनियमितता है जब कि वह दोषी अपराधी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : दोषी अपराधी तो तब होगा जब दोषी सिद्ध होगा !

श्री भैरोंसिह : वह ठीक है···

श्री नारायणसिंह मसूदा : दोष सिद्ध होने का सवाल है। उसके खिलाफ दोष सिद्ध होगा तो अवश्य दंडित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फाइल चीफ कन्जर्वेटर आफ फॉरेस्ट से सम्बन्धित है, जिसमें आरोपों का जिक्र है और जिसके आधार पर सम्भावना है कि आरोप सिद्ध हो सकते हैं, वह फाइल उसी अधिकारी के पास भेजी जाना शंकास्पद स्थिति पैदा करना है या नहीं, और यह अनियमितता है या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं, और मैं पहले ही यह निवेदन कर रहा हूं कि वह रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं, फाइनल निर्णय उस पर नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिह : फाइनल निर्णय की बात नहीं है···

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह फाइल सी. सी. एफ. के पास भेजी है—यह मेरी जानकारी में नहीं है, इसका अर्थ है कि मेरे हुक्म से नहीं गई है।

# Page No. 6



श्री भैरोंसिंह : आपने यह फाइल किसको दी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : देने का प्रश्न तो रिपोर्ट आने के बाद होता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने वह रिपोर्ट या फाइल किसको दी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह फाइल आफिस, सैक्रेटेरियेट, में होगी । अब मेरे पास आने को है । अब किसी कमरे में पड़ी है, किस स्थान पर है-यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : (हवामहल, जयपुर) : आपने कहा कि आपके पास आने को है, तो किसके पास से आने को है-यह तो आपको पता होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता !

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि खान बहादुर ने हाइ कोर्ट में मुकदमा पेश करा स्टे ऑर्डर आब्टेन करने के लिए तो फॉरेस्ट आफिसर चरण दास लोढ़ा जिसने प्रारम्भिक जांच की थी, उसकी रिपोर्ट ठेकेदार खान बहादुर को मुहय्या कर दी ?

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार खान बहादुर है, क्या है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : खान बहादुर नहीं, खान मोहम्मद है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब वन बहादुर है ।

श्री भैरोंसिंह : सॉरी खान मोहम्मद है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसी प्रकार से ही विजिलेन्स स्क्वेड ने रिपोर्ट कोटा के छत्तरगढ़ विलास वन के सम्बन्ध में भी दी थी और उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह स्क्वेड ने रिपोर्ट दी है, उसकी सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है और उसमें जो-जो कार्यवाही की गई है वह भी अंकित है । यदि आप यह चाहें तो मैं बता दूं ।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही की गई है, इसका यह अर्थ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी प्रकार कोटा के दूसरे ढ़ाणों के सम्बन्ध में भी विजिलेन्स स्क्वेड ने रिपोर्ट दी, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि अड़तीस रिपोर्ट हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री अध्यक्ष : 38 रिपोर्ट हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अड़तीस रिपोर्ट विजिलेन्स स्क्वेड ने दी हैं तो उन पर गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अड़तीस रिपोर्ट आई विजिलेन्स स्क्वेड की उसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांच हो रही है । अब चूंकि जांच हो रही है और उस पर कार्यवाही अन्तरिम की गई है और चूंकि फाइनल निर्णय नहीं लिया है इसलिए

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
इस समय आपके सामने प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि नलवाना के सम्बन्ध में विजिलेन्स स्क्वेड की रिपोर्ट आपको कब मिली है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग, का इलाज हो जाय ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : नहीं, जवाब के लिए मैं लिस्ट देख रहा हूँ ।

(विराम)

इस समय तक, जैसा मैंने निवेदन किया, यह रिपोर्ट मेरे समक्ष नहीं आई, परन्तु जो कि कार्यवाही इस सम्बन्ध के अन्दर की जा रही है वह अभी बिल्कुल अपूर्ण है इस वक्त तक, उसके आधार पर यह लिस्ट है, इसलिए इस सम्बन्ध में मैं इस समय कहूंगा तो उससे कोई साफ अर्थ नहीं निकलेगा । जिस वक्त कार्यवाही होकर मेरे पास आ जायगी, उसके बाद में निर्णय में बाद में त्रुटि रहे तो उसके बारे में कहें ।

श्री दौलतराम सारण : वह अभी किस स्टेज पर है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि विजिलेन्स स्क्वेड की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : विजिलेन्स स्क्वेड की रिपोर्ट सेक्रेटेरियट में आई है, उनको बराबर एन्क्वायरी के लिए भेजा गया है अलग-अलग, जो भी आप फर्मा रहे हैं उस प्रकार 33 रिपोर्ट हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वह सब भेजी गई हैं और जो पूर्ण एन्क्वायरी की रिपोर्ट आ रही है उनके अन्दर अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आप दो के बारे में बता दीजिये । ढाणी किशनगंज तहसील जंगल विलास–इन दोनों के बारे में बता दीजिये कि जांच होकर रिपोर्ट आई या नहीं आई ? अध्यक्ष महोदय, इधर गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाये जा रहे हैं, इधर फॉरेस्ट में लाखों रुपयों की चोरी हो रही है उसके सम्बन्ध में जांच होने के बाद में भी सरकार एक्शन नहीं लेती है । अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़ कर क्या विडम्बना होगी कि इस प्रकार दोषी को, सरकार कोशिश करे, कि किस प्रकार बचाया जा सकता है । हिन्दुस्तान के इतिहास में और प्रशासनिक परम्पराओं में नहीं होगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप प्रमाणित हों, उसको सारे कागजात दे दिये जायं कि तुम इन कागजों में दुरुस्ती कर लो ताकि कहीं फंस न जाओ ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : 16-4-68 को विलास की और नलवा नकोर की 4-68 को रिपोर्ट आई ।

श्री अध्यक्ष : इन तारीखों पर यह रिपोर्ट आ गई । इन तारीखों पर यह रिपोर्ट आई ।

श्री भैरोंसिंह : आ गई तो चार महीने तक क्या किया ? अब तो पांच महीने हो गये ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूं, रिपोर्ट आठवें महीने में आई है। एक जगह की अप्रेल में आई है। आपकी सूचनार्थ निवेदन कर दूं, इसके अन्दर सारी लिस्ट है 38 की, इसमें मैं ढूंढ़ने बैठूं तो उसमें काफी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह विश्वास दिला दें कि इतनी बड़ी रिपोर्ट है यह कब तक समाप्त करके आप अन्तिम रूप से निर्णय इनमें ले लेंगे।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं, इस रिपोर्ट के बारे में जांच चालू है और विशेष तकाजा करके इस सम्बन्ध में मैं एक्शन ले लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जांच चालू है, यह मैं नहीं मानता। जांच हो कर आ गई है, आप तो सिरोही के जंगल माता के मन्दिर और मातृ माता के जंगल की बात कर रहे हैं। विलास के जंगल की रिपोर्ट आपके पास आ गई है, ढाणी के जंगल की रिपोर्ट आपके पास आ गई है, नलवा कोरके जंगल के जांच की रिपोर्ट आपके पास आ गई है आप दबा कर बैठे हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसके बारे मे अन्तिम निर्णय रिपोर्ट को देखने के बाद ही किया जा····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सवाल यह है कि····

श्री नारायणसिंह मसूदा : ····
सकता है।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ रहे हैं विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय ने माना है कि 38 ऐसी अनियमितताएं हैं, जिनको एन्क्वायरी के लिये विजिलेंस स्क्वेड को दिया है। उनमें से कितनी एन्क्वायरीज आपके पास आई हैं इसमें मुझे मतलब नहीं है, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे, मुझे आशंका है कि जिस तरह से वनों के सम्बन्ध की सरकार की नीति स्पष्ट हो कर दिखाई पड़ रही है, यह रिपोर्ट लीपापोती कर के उनको खत्म कर दिया जायगा। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे उनको दण्ड दिया जायगा तो दण्ड की भी आखिर कोई अवधि होनी चाहिये। आपने भी, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछा है। एन्क्वायरी का आखिर कोई अर्थ तो होना चाहिये। सारे मामलों को लीपापोती कर दफन कर दिया जाय तो यह कोई एन्क्वायरी नहीं, यह तो भ्रष्ट अधिनायकवाद है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आखिर आपकी दोषी को दण्ड देने की नीति है तो रिपोर्ट आने पर कोई न कोई अवधि दण्ड देने की निर्धारित कर रहे हैं या नहीं ? दोषियों को ही वापिस रिपोर्ट भेजते हैं तो दोषी के लिये उजला बनाने कि चेष्टा करेंगे। यह तो सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है इसके सम्बन्ध में इतना तो संकेत करें कि जो एन्क्वायरीज की है, उनका अर्थ क्या है तथ्य क्या है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, जब यह अनुभव किया गया कि ठेकेदारों की मार्फत, और दूसरे तरीकों से वनों का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है चोरियां हो रही है, जिनकी इन्कार नहीं

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

किया जा सकता, जिससे वनों को हानि हुई है तो इस बात को भी सोचा गया कि एक विजिलेंस स्क्वेड बनाना चाहिये और विजिलेंस स्क्वेड बना जिसकी तारीख मैंने अर्ज की। नलवाना कौर और दूसरे जंगलों की बातें सामने आई तो यह सोचा गया कि विजिलेंस स्क्वेड बना कर इस तरह की कार्यवाहियों को रोका जाय पर विजिलेंस स्क्वेड जल्दी में बनाया गया था, प्रथम तो सारा प्रोसीजर ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिये, मोड ऑफ रिपोर्ट क्या होना चाहिये, यह निर्धारित नहीं हो सका, तथापि विजिलेंस स्क्वेड ने यथास्थान जाकर रिपोर्ट की है। विजिलेंस स्क्वेड ने 38 केसेज की रिपोर्ट दी है। उनके बारे में एन्क्वारीज शुरू कर दी हैं। तो यह कतई मंशा नहीं है कि उन मामलों को दबाया जाय। यदि दबाने की कोशिश किसी स्तर पर की जायगी तो उस कोशिश को भी हल करने की कोशिश की जायगी। यदि विगतवार सूची चाहिये तो वह सारी लिस्ट मेरे पास है।

**श्री दौलतराम सारण:** इन 38 में से कितने केसेज की एन्क्वायरी रिपोर्ट दे दी, कितनों की एन्क्वायरी होकर आ गई और वे किस स्टेज पर हैं?

**श्री नारायणसिंह मसूदा:** पांच, छः जगह पर कुछ एक्शन लिये हैं, और भी हैं। अगर चाहें, अध्यक्ष महोदय, कि सदन को सारी, समूची सूचना दी जाय तो यह तालिका आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, या पढ़ कर सुना सकता हूं कि किस-किस समय विजिलेंस स्क्वेड ने रिपोर्ट की है, किस स्टेज पर है।

**श्री अध्यक्ष:** मन्त्री महोदय, सदन की चिन्ता यह है कि 38 एलिगेशन्स की एन्क्वायरीज चल रही हैं, वे इस शंका के माध्यम से ऐसा प्रकट होता है कि, दबा रहे हैं। सदन यह जानना चाहता है कि यह एन्क्वायरीज जो अलग-अलग तरीके से चल रही है, इनको समाप्त करते हुए, सदन को जानकारी अन्तिम रिपोर्ट की, अन्तिम निर्णय की कितने महीने में दे सकते हैं, यह बता दीजिये।

**श्री नारायणसिंह:** मैं अर्ज कर चुका हूं कि जिन-जिन स्टेजेज पर जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ अगस्त में आई हैं, कुछ पहले आई हैं, कुछ दो तीन महीने पहले आई है, तो इनके बारे में मैं तकाजा कर रहा हूं, मैं देखूंगा कि दो या तीन महीने में, इनको फाइनल शेप बन जाय और फाइनल निर्णय हो जाय। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शिकायतें आई हैं, उन पर यथा विधि जांच करवा कर मेरी शक्ति के अनुसार एक्शन लिया जायगा, अगर मैं इसमें अपने आपको अक्षम पाऊंगा तो मैं इस पद के लायक भी अपने आपको नहीं समझूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** नेक्स्ट।

**श्री भैरोंसिंह:** मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। ढानी किशन गंज तहसील बारां के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे दें। क्या यह सही है कि यह नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फारेस्ट था, 1964 के नोटिफिकेशन के द्वारा और वह बिना फोरेस्ट डिपार्टमेंट की कान्करेंस के नहीं कटवाया जा सकता था इसको राजस्थान के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने बिना फोरेस्ट

(श्री भैरोंसिंह)
डिपार्टमेंट की कान्करेंस के सैयद महमूद खान को नीलाम कर दिया, जो अनुचित था जिसकी रिपोर्ट मन्त्री महोदय को पेश कर दी गई है और मन्त्री महोदय उस पर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में मैं निवेदन कर सकता हूँ कि यह विभाग स्थानों के विषय में....

श्री भैरोंसिंह : इसकी जांच रिपोर्ट आपके पास आ गई है, यह आपकी नोलेज में है या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा हूँ। विभिन्न विषयों में बातें कही जाती है, अगर मेरी स्मृति का टेस्ट हो रहा है तो अलग बात है, वरना इतने मामले हैं, इनकी तालिका मेरे पास मौजूद है....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक एक चीज को अलग अलग पूछना वह तो स्मृति का टेस्ट हो सकता है और कुछ नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय कह दें कि इस प्रकार की नीलामी मेरी जानकारी में नहीं है, यह फोरेस्ट नोटिफाइड प्राटेक्टेड फारेस्ट नहीं था और बिना फोरेस्ट डिपार्टमेंट की कान्करेंस से नीलाम नहीं हो सकता था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : किसका ?

श्री देवी सगाड़िया : तहसील किशन गांव की ढाणी का फोरेस्ट प्राटेक्टेड एरिया था, उनको भूतपूर्व राजस्व मन्त्री बृज सुन्दर शर्मा ने बिना फोरेस्ट डिपार्टमेंट की कान्करेंस के नीलाम कर दिया।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कहां ? कोटा में है ? इसके विषय में जहां तक मुझे सूचना है, हमने कोई सेंक्शन नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट देख लें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : लिस्ट के देखने का प्रश्न है तो मैं माननीय सदस्यों से इतना संतोष चाहूंगा कि मैं इस सारी को पढ़ना शुरू कर दूं, और आप इसे सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : बिजिलस स्क्वैड ने जो इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी, उसके सम्बन्ध में क्या फरदर एन्क्वायरी की, क्या फरदर स्टेप लिया ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। नेक्स्ट।

**बोदासर अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति**

483. श्री रावतराम (खापर सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बोदासर में पिछले तीन साल से लेडी डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि बोदासर जैसे बड़े कस्बे में लेडी डॉक्टर का होना निहायत जरूरी है ? यदि हां, तो उक्त कस्बे में कब तक लेडी डाक्टर भेज दी जायगी ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां राज्य में महिला चिकित्सकों के अत्यधिक अभाव के कारण जनवरी, 1966 से यह पद रिक्त रहा है।

(2) महिला चिकित्सक डॉ. (कुमारी) स्वर्ण सहगल को निदेशालय के क्रमांक ई। सी. ए. एस। ए.टी.।545 दिनांक 19-8-68 के द्वारा नियुक्ति आदेश कर दिये गये हैं जो शीघ्र कार्यभार संभाल लेंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रावतराम : नियुक्ति आदेश किस तारीख के थे ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन किया कि 19–8–68 को।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि उन्होंने कार्यभार सम्हाल लिया है ?

श्रीमती सुमित्रा : कार्यभार नहीं संभाला है, नया अपॉइन्टमेंट है, जिनका नया अपॉइन्टमेंट होता है, उनको एक महीने का समय दिया जाता है, अभी एक महीना नहीं हुआ है, उम्मीद है कि वे कार्यभार संभाल लेंगी।

श्री रावतराम : मन्त्री महोदय ने कहा कि नियुक्ति कर दी है, पर दो साल से यह स्थान रिक्त चला आ रहा है, सरकार लगातार कहती है कि डॉक्टर भेज रहे हैं और अब यह स्पष्ट किया है कि 19-8-68 को नियुक्ति की है तो क्या विश्वास के साथ आप कह सकती हैं कि एक महीने के अन्दर अन्दर वहां लेडी डॉक्टर चली जायगी ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने बीदासर के लिये टेम्परेरी अरेन्जमेंट पहले भी किया हुआ था, सरदारशहर से डॉक्टर केवल दो दिन के लिये आया करती थी, अब इसमें डॉक्टर की नियुक्ति कर दी है और मैं समझता हूं कि दो तीन दिन के अन्दर अन्दर वहां चली जायेगी।

श्री रावतराम : समझना अलग बात है, जब आपने नियुक्ति कर दी है तो वह निश्चित तौर से चली जायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार की कोई नीति बनी हुई है कि अमुक तरह के स्थान के लिये लेडी डॉक्टर अनिवार्य है, या ऐसी कोई नीति नहीं है। यह सिद्धांत की बात है। अमुक तरह की अस्पताल के लिये लेडी डॉक्टर रखना अनिवार्य है, यह निर्णय लिया या नहीं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जहां तक हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स के लिये हम अनिवार्य मानते हैं। क्योंकि लेडी डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और उनके अपॉइन्टमेंट आर्डर के बाद भी कई दफा जाइन नहीं करती हैं, इसलिये कई जगहें खाली पड़ी हुई हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी डिसपेन्सरीज हैं, उनको कटेगरी-वाइज करके, प्राथमिकता के आधार निर्धारित कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीराभाई।

# Page No. 12



**जिला बांसवाडा में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित राशि**

484. श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु.) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत 1967-68 में कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि किन-किन विभागों द्वारा किस-किस तहसील में कितनी-कितनी एकत्रित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त रकम एकत्रित करने के लिये रसीद बुकें सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई थीं ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जिले में कितनी दी गई ? तथा किस-किस विभाग के किस-किस अधिकारी को कितनी-कितनी दी गई थीं, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत रकम जमा कराने वालों को अभी तक रसीदें नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी रकम बिना रसीदें वसूल की गई है और उसमें से कितनी राज्य कोष में जमा हो चुकी है ?

**राज्य मंत्री, वित्त (श्री विशम्भरनाथ जोशी)** : (1) जिला बांसवाड़ा में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत 1967-68 में 5.41 लाख रुपये प्राप्त तथा 3.93 लाख रुपये नेट एकत्रित किये गये तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(2) बांसवाड़ा में जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा अल्प बचत योजना में योगदान देने की व्यवस्था की गई थी। जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं और अधिकृत एजेन्ट ने राशि जमा कराई अथवा एकत्रित की। प्रत्येक तहसील में कितनी धनराशि एकत्रित हुई सूची प्रश्न 1 के भाग में प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जी नहीं। रसीद बुकें जिला कार्यालय से नहीं दी गई थीं। अतः उसके ब्यौरे तथा सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) विभाग द्वारा रुपया विनियोजन करने वालों को रसीदें नहीं दी जाती हैं। यह रसीदें एजेन्टों द्वारा दी जाती हैं। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार बिना रसीद दिये हुए रुपया एकत्रित नहीं किया गया। जो राशि विनियोजन करने के लिये एकत्रित एजेन्टों द्वारा की जाती है वह डाक और तार विभाग में जमा की जाती है। राज्य के कोष में कोई राशि जमा नहीं होती।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री हीराभाई** : आपने जो सूची दी है वह केवल तहसीलवार सूची दी है, और मैंने पूछा है कि कौन कौन से विभागों के अधिकारियों ने अल्प बचत योजना के लिये वसूली की और उनको रसीदें दी थीं।

**श्री विशम्भर नाथ जोशी** : विभागीय अधिकारियों को रसीदें नहीं दी गई। केवल ऑथोराइज्ड एजेन्ट्स को ही दी जाती हैं।

**श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों

(श्री दौलतराम सारण)
और कर्मचारियों को भी एजेन्ट बनाया गया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : जी हां, कुछ केसेज में ऐसा किया गया है। लेकिन वे केवल कच्ची रसीदें देते हैं और पक्की रसीदें बाद में डाकखाने से दी जाती हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पटवारियों को भी एजेन्ट बनाया गया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : पटवारियों को भी बनाया गया।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों और प्रसार अधिकारियों को भी एजेन्ट बनाया गया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : जी हां।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि इस सूची में ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायत समितियों द्वारा और सेल्स टैक्स आफिसर्स द्वारा जो आपने रकमें वसूल की हैं वे नहीं हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : इस सूची में जो रकमें दी हैं वे तहसीलवार दी हुई हैं।

श्री दौलराम सारण : क्या यह सही है कि कर वसूली करने वाले अधिकारियों ने कर-वसूली की है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इस तरह की शिकायत इस सदन के पिछले अधिवेशन में भी की गई थी और सीधी तरह से भी राज्य सरकार के सामने इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : राज्य सरकार के सामने शिकायतें आईं, कम से कम मेरी निगाह में तो नहीं आईं, लेकिन जिला स्तर पर ऐसी कुछ शिकायतें जरूर आईं जिनके लिए जांच करने के आदेश जारी कर दिये गये, और अगर कोई ठोस प्रमाण दे दे तो कार्यवाही अवश्य की जावेगी।

श्री हीराभाई : क्या वसूली करने से पहले रसीदें देने की कोई व्यवस्था की थी ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : ऐसा है, पक्की रसीदें तो डाकखाने से दी जाती हैं, लेकिन एजेन्ट जिस वक्त रुपये लेते थे उस वक्त उनको कच्ची रसीद देने के लिए हिदायत थी, और बाद में डाकखाने से पक्की रसीद लाकर देनी थी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जिन एजेन्टों ने वसूली की है उन्होंने कोई रसीदें नहीं दीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या यह सही है कि तहसील में और अदालतों में आम तौर से तहसीलदार, जज और मैजिस्ट्रेट यह कहते हैं कि अल्प बचत योजना के लिए पहले पैसा दो उसके बाद ही तुम्हारी सुनवाई होगी ? यह बांसवाड़ा जिले में आम शिकायत है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, यह सही नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बिल्कुल सही है पर ऐसी बातों को प्रूव करना मुश्किल

# Page No. 14



(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) :

है क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, लोगों को तंग और परेशान किया जाता है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर जिले में इतना एकत्रित होना चाहिए। मैं बांसवाड़ा जिले में घूमता रहता हूं और मुझे पक्की तौर से मालूम है कि आपके भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा जनता का शोषण किया जाता है। उनसे लिए हुये पैसों की रसीदें नहीं देते और उनको हर तरह से लूटने की कोशिश करते हैं।

**श्री विशम्भर नाथ जोशी :** माननीय अध्यक्ष, जहां तक माननीय विरोधी दल के नेता का कहना है कि जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहां तक तो सही है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति स्वेच्छापूर्वक अल्प बचत के फायदे समझा-बुझाकर की गई।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : वाह वाह।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं या अल्प बचत की पूर्ति कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यह तो सारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के अन्दर लाखों रुपये का घोटाला किया गया। कम से कम यह तो हो कि लिए हुए पैसे की रसीद तो दे दी जाय। लाखों रुपयों का धोखा किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर,

रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि रसीदें डाकखाने से दी जाती हैं और एजेन्ट्स को हिदायत थी कि वे रसीदें डाकखाने से लेने के बाद जनता को पहुँचा दें और उससे पहले अपने पास से रसीदें दे दें। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे अपने पास से कौनसी रसीदें देंगे? उसका कोई छपा हुआ फार्म है, कोई नम्बर आदि लगा हुआ है या क्या था? इसका कोई हिसाब रखा गया था या नहीं?

**एक माननीय सदस्य :** इसकी कई शिकायतें हुई हैं।

**श्री विशम्भर नाथ जोशी :** अपने हाथ से ही कच्ची रसीद देनी थी कि इतने रुपये फलां आदमी से प्राप्त हुये।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति बारां, छबड़ा और छीपा बड़ोद में जो किसानों को तकावी दी जाती थी उससे पहले उनसे अल्पबचत के लिए जबरदस्ती पैसे वसूल किये जाते थे। आज भी किसानों को वहां पर शिकायत है।

**श्री अध्यक्ष :** क्या यह ठीक है?

**श्री देवीदत्त गाडिया :** सरकार इसकी जांच करेगी...

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** सवाल यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, एजेन्ट को कच्ची रसीदें देने की हिदायत थी, उनके पास छपी हुई रसीदें नहीं, कोई नम्बर लगी हुई रसीद नहीं तो आपके पास इसका क्या हिसाब था कि जनता को कच्ची रसीद देने के बाद उनको वास्तव में डाकखाने में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमा कराया या नहीं और पक्की रसीद पास प्रोन की या नहीं।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : अगर डाकखाने में जमा नहीं कराते तो वह सर्टीफिकेट भी प्राप्त नहीं कर सकता और जिस व्यक्ति से पैसे लिये होंगे वह भी शिकायत करता। अगर ऐसी बात होती तो शिकायत होने पर उसकी जांच की जायेगी।

श्री हीराभाई : रसीदें नहीं दी गई और बिना रसीद रुपये वसूल किये गये।

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मामला बड़ा गंभीर है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जब सदन में माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि धनराशि इकट्ठी की गई, अल्प बचत योजना के नाम पर इकट्ठी की गई, जिन व्यक्तियों से पैसा लिया गया, उनको रसीदें नहीं दी गई, राज्य कोष में पैसा जमा नहीं किया गया। इससे ज्यादा आप हमारा सहयोग क्या चाहते हैं ? इससे गंभीर घोटाला क्या हो सकता है ? आप क्या कदम उठाना चाहते हैं जिससे राज्य कोष में राशि पहुंच जाय ताकि भविष्य में गबन न हो लोगों को रसीदें मिल जायं ? इस पर यदि आप पर्दा डालने के लिए तैयार हैं तो हम क्या आशा करें ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री हीराभाई : परिस्थिति यह है कि हर गांव में हर पटवारी ने जो रकमें ली हैं, वह रकमें जाकर उन्होंने मनमाने ढंग से जमा करवाई और खा गए। दो तीन महीनों के बाद पक्की रसीदें दी जाती हैं। जहां 50 किसानों से वसूल किया है तो 10 या 20 को रसीदें दी हैं। इसलिए मैंने सवाल में पूछा है कि क्या आपने उनको कोई रसीदें दी थीं ? अगर दी थीं तो कितनी कटकर आपके पास आई जिससे साबित हो सके, वर्ना कितनी शिकायतें हों, उन पर कोई कार्यवाही ये लोग अभी करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा खुला आरोप है कि उनके बारे में तत्काल आप सरपंच या पंचायत वालों से पता लगायें, उनसे सर्टीफाई करवायें या एफीडेविट करवायें। आप चाहें हम पेश करवाने के लिए तैयार हैं और वहां जो तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार कहता है कि तुम्हारी भावना तो शिकायत करने की है। हमारे पास हथियार क्या है ? कोई कच्ची रसीद नहीं दी गई। हर गांव में जाकर छोटे छोटे दूकान वालों से सेल्स टैक्स के स्टाफ ने उनको दबाया, 100–100 200–200 सेल्स टैक्स वालों ने वसूल किया, रसीदों का पता नहीं, किसानों से लिया, पता नहीं। मंत्री महोदय दुबारा उस बारे में जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं और करवायेंगे तो किसके द्वारा करवायेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसके साथ साथ मैं भी आपसे प्रश्न पूछता हूं दोनों का आराम से उत्तर दे सकेंगे। मैंने आज से कोई 3 दिन पूर्व इस संबंध में एक अतारांकित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ है, उस उत्तर के आधार पर मैं समझता हूं कि माननीय श्री हीराभाई की कुशलगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा अपधातें हुई है। अगर मंत्री महोदय इस संबंध में जांच कराना चाहें तो कुशलगढ़ तहसील में आप जांच करायें। आपको जांच कराने से पता चलेगा कि कितनी अनियमिततायें हुई हैं, कितना पैसा लोग खा गए हैं जिनको रसीदें नहीं दी हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि ये जितने आरोप लगाए हैं, वे तो बिल्कुल सही हैं लेकिन इसके कारण मंत्री महोदय की पैंट बारबार नीचे पड़ती जा रही है, मेरा सुझाव है कि उनको बेल्ट मंगवाकर दें नहीं तो पैंट नीचे गिर जायगी।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवधान उत्पन्न करने वाला प्रश्न है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या भविष्य के लिए व्यवस्था की जायगी कि कच्ची रसीदों पर कोई अल्प बचत की वसूली न हो और पक्की रसीदें ही दी जायं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : महारावल साहब ने फरमाया लेकिन उसके अलावा सबसे अधिक भीलवाडा जिले में भी ऐसा हुआ है कि जिन पर एक एक रुपया लगान थी उनसे भी 10–10 रु. वसूल किए गए हैं, तो कम से कम आप पटवारियों के मार्फत वसूल न करवायें। दूसरी बात आप इस तरह से पैसा वसूल करके अल्प बचत योजना की मूल भावना को नष्ट नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आप सुन लें, एक ही साथ सबका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जैसा मंत्री महोदय ने बताया उनके लिए रसीदें डाकखानों से मिलती हैं और वे वास्तव में मिलती हैं। इस बीच में क्या होता है कि जो वसूल करने वाले अधिकारी होते हैं चाहे पटवारी चाहे तहसीलदार वे पहले तो रसीदें नहीं देते हैं अगर मान लो किसी प्रकार कच्ची रसीद भी दे देते हैं तो उनके लिए 6 महीने तक पक्की रसीद नहीं मिल सकती।

दूसरी बात जब तहसील में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए जाता है तो उसके लिए सर्टीफिकेट्स के लिए पैसा लिया जाता है। तहसील हिंडौन में 25–25 रुपए इस बात के लिए जाते हैं कि हमें डाक बंगलों पर खर्चना है, बचत का पैसा अलग लिया जाता है और डाक बंगले के नाम से अलग लिया जाता है। आज भी मैं कई कच्ची रसीदें दे सकता हूं जिनकी पक्की रसीदें नहीं मिल पाई हैं। अनेक शिकायतें ऐसी हैं।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : किसी ने लिखकर शिकायत दी हैं ?

कई माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रसीदें पेश की हैं सदन में।

श्री आईदानसिंह (भोनमाल) : भूतकाल में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, पिछले सत्र में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था तो क्या भविष्य में जो कलेक्टिंग एजेंसीज हैं राजस्व की, उनको एजेंसी न बनाने का आश्वासन मंत्री महोदय देंगे और पोस्ट में सीधा पैसा जमा कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि राज्य अधिकारियों के मार्फत अल्प बचत के पैसे वसूल न करवाकर, गैर सरकारी एजेन्सीज के मार्फत वसूल करवाएगी ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने मेरे जवाब को सुनने की तकलीफ नहीं की। माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत से केसेज में अभी तक जो रकमें दी गई हैं, उनके सर्टीफिकेट्स नहीं मिले। यह भी मुमकिन है। मेरे पास भी फिगर्स हैं कि बांसवाडा जिले में इतनी इतनी रकमों के सर्टीफिकेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट से काम करने में देरी के कारण नहीं मिले हैं और उनके बारे में कार्यवाही चालू है, सर्टीफिकेट्स मिल जायेंगे। मिसाल के तौर पर तहसील कुशलगढ़ में 5815) की धनराशि के सर्टीफिकेट्स अभी बन रहे हैं और वितरित नहीं हुए हैं। धाटोल में 2035) के बाकी हैं और बागीडोरा में 11,120) के बाकी है। जहां तक आपने बताया कि रकम ली गई लेकिन अब तक रसीदें नहीं दी गई हैं तो एक एक केस के बारे में मैं यहां पर इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि किसी भी माननीय सदस्य ने किसी भी पटवारी या राजकीय अधिकारी या एजेन्ट के बारे में शिकायत की है तो उसकी अलग अलग जांच की जायगी। पटवारी हो या बड़ा अधिकारी हो, यदि साबित हो गया कि उसने रकम ले ली, जमा नहीं करवाई तो उसको मुअत्तिल किया जायगा, कार्यवाही की जायगी, साबित होने पर उसको बर्खास्त भी किया जायगा। ऐसे केसेज पहले भी हुए हैं जिनमें पटवारी और दूसरे कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय से मैं बड़े अदब के साथ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप उनको कच्ची रसीद तो दें या कुछ न कुछ सबूत के रूप मे दे दें जो उनसे रुपये लेते हो। सबूत में कुछ तो दें, सब खा जाते हैं।

(शोरगुल)

श्री श्रवणलाल : तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया या और कोई अधिकारी हो जिसने कच्ची रसीदें काटी हैं, यह ट्रांसफर हो गया तो कच्ची रसीदें किस काम की ? उस पैसे का कौन जिम्मेदार होता है ?

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वित्त मंत्री श्री मथुरादास माथुर से हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या नीति है इस संबंध में कि कोई कच्ची रसीद देनी है या नहीं। ईमानदारी सिद्ध करने के लिए, या नहीं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : इस बात की सख्त ताकीद कर दी गई है कि बिना रसीद के एक पैसा भी वसूल न करें, कच्ची रसीद फौरन दे दें।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मन्त्रीजी यह आश्वासन देंगे कि किसी भी रैवेन्यू ऐजेन्सी के द्वारा अल्प बचत का रुपया वसूल नहीं किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जहां तक रुपया वसूल करने का प्रश्न है वह नीति का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह तो व्यवधान डालेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 45 मिनिट हो चुके हैं और अब तक तीन क्वेश्चन ही पूछे गये हैं। दूसरे मेम्बर है उनको मौका मिलेगा नहीं अपने प्रश्न पूछने का। प्रश्न कर्ता ने पांच-दस प्रश्न पूछ लिए। एन्क्वायरी करने के लिए शिकायतें करें। शिकायत है तो नहीं आखिर दिन में हल्ला कराना है। यह··

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्यों के शब्दों और आरोपों पर सख्त आपत्ति है। शासन की खराबियों को रखना हमारा फर्ज है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह बीच में ही खड़े हो गये हैं यह गलत है। मैं पाइन्ट ग्राफ ग्रॉर्डर उठा रहा हूं उनको मालूम है। यह खड़े हो गये। यह नियमों की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

अब सब बैठ गये हैं।

इस प्रश्न ने अत्यधिक समय ले लिया है। समय समाप्त होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ प्रश्न और ले लिये जायें। इस प्रश्न को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री हीराभाई : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न आगे नहीं चलेगा। आपका स्वयं का भी आगे प्रश्न है।

श्री कल्याणमल।

जहाजपुर तहसील में भूमि का आवंटन

485. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या इस वर्ष जहाजपुर तहसील में भूमि का एलाटमेन्ट 35 विकास पंचायतों में हुआ है ? यदि कम पंचायतों में अलाटमेन्ट हुआ तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भूमि आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो जिन जिन भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन किया गया उनकी सूची मय उनके स्वयं के एवं परिवार के खाते की सूची के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कल्याणमल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि भूमि आवंटन करने तहसीलदार जहाजपुर प्रोग्राम की निश्चित तारीख को ही गये ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत विसेठा का अलाटमेन्ट कौनसी तारीख का निश्चित था और कौनसी तारीख को किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि का एलाटमेन्ट करने का प्रोग्राम बार बार बदला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि एलाटमेन्ट का प्रोग्राम बनाते समय तहसीलदार ने विधान सभाई विधायक जहाजपुर क्षेत्र से परामर्श नहीं किया और एलाटमेन्ट के समय विधायक के उपस्थित होते हुए उन्हें कमेटी में शामिल नहीं किया ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसको स्थगित किया जाय।

श्री कल्याणमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं कि सूचना नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

जमीन के मामले आते हैं इस प्रकार के...

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

स्थगित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा।

ग्रुप पंचायत सचिवों को अधिकार

486. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत विभाग के दिनांक 1-12-67 के पत्र संख्या क्रमांक एफ. 36 (915) प.क्ष। 61-62 के द्वारा जो सरक्युलर प्रकाशित हुआ है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि पंचायत समितियों में ग्रुप पंचायत सचिव योजना लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) इस योजना के लागू होने से ग्रुप पंचायत सचिव को क्या क्या अधिकार दे दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि ग्रुप पंचायत सचिव ही पंचायत की धन राशि, उसका सारा रेकर्ड अपने कब्जे में रखेगा और सरपंचों को सारी धनराशि व रेकर्ड ग्रुप पंचायत सचिव को सुपुर्द करनी होगी और यदि हां, तो सरपंचों को धनराशि एवं सारे रेकर्ड पर क्या अधिकार होंगे ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार के चार्ज दे देने से ग्राम पंचायत का काम ठप्प हो जावेगा क्योंकि तीन पंचायतों के बीच में एक ही सचिव काम करेगा।

उपमन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) वांछित पत्र व परिपत्र क्रमांक दिनांक 24-2-68 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) जी हां, कुछ चुनी हुई पंचायत समितियों में यह योजना जुलाई, 1967 से चालू की गई है।

(3) ग्रुप सचिवों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, धनराशि का चार्ज यथावत सरपंच के पास ही रहेगा।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : कितनी पंचायतों पर एक ग्रुप सचिव काम करेगा?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : तीन पर।

श्री मूलचन्द डागा : इसका मतलब यह हुआ कि वह सचिव दूसरी पंचायतों में जावेगा तो बाकी की पंचायतों का काम नहीं कर सकेगा?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह बात नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि जहां जहां यह ग्रुप सचिव है वहां पंचायतों की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां का काम ठप्प हो गया है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसी शिकायतें मेरे पास नहीं आयी!

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर सु.) : सचिव को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है?

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय डागा साहब ने इतनी इन्तजार की जब प्रश्न का उत्तर आया। 20 साल हो गये इन्तजार करते हुए मन्त्री में नम्बर कब आने वाला है?

श्री रावतराम : उप पंचायत सचिव नियुक्त कर रहे हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? और नियुक्ति का प्रोसिजर क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : ट्रेन्ड बी.एल डब्ल्यूज मैट्रिक्यूलेट और नोन मैट्रिक्यूलेट। दोनों की पे स्केल्स अलग अलग हैं मैट्रिक और नोन मैट्रिक।

श्री रावतराम : क्या पंचायतों में आज से दस दस वर्ष से काम कर रहे हैं, मिडिल की स्तर के हैं उन लोगों को हटा कर इन लोगों को रखा जावेगा?

श्री परसराम मदेरणा : यह विषय मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। वहां के निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि उनको रखा जा सकेगा या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : सचिव रखने का उद्देश्य क्या था? पंचायतें ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं क्या?

श्री परसराम मदेरना : मुख्य उद्देश्य यह था कि बार बार यहां सदन में भी चर्चा उठायी गयी कि सरपंच को केश हैण्डल करना पड़ता है, रिकार्ड वगैरह में ऑडिट को एतराज होने के कारण वे लोग फंस जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे सचिव उनको उपलब्ध नहीं होते। पंचायतों का काम अच्छी तरह से चले। पूर

(श्री परसराम मदेरणा)
जिम्मेदारी जब सचिव की होगी तो काम ठीक प्रकार से चलेगा, रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं तो जो काम सरपंच के थे छोटे 2 उनको ध्यान में रख कर ग्रुप सचिव उनको देखेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राज्य सरकार नियुक्त नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

तहसीलदारों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग

487. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार कई अतिक्रमणकारियों का कब्जा नियमन कर खातेदारी अधिकार देने हेतु तहसील भूमि आवंटन कमेटी में मामला निर्णित करने के जो सरकारी आदेश थे वह रद्द अब किये जाकर यह अधिकार केवल तहसीलदारों के पास रक्खे है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदारों द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग करने व भ्रष्टाचार पनपने की कई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(3) क्या सरकार इन अधिकारों को तहसील भूमि आवंटन कमेटी के पास रखना उचित नहीं समझती ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) आदेश एफ 3 (50) राजा/64 भाग 3 दिनांक 17-6-68 द्वारा यह अधिकार तहसील भूमि आवंटन कमेटी को पुनः दिये जा चुके हैं।

श्री शंकरलाल : सुनाई नहीं दिया।

श्री गंगाराम चौधरी : 17-6-68 को पुनः दिये जा चुके हैं।

श्री शंकरलाल : अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तहसीलदार ही इसका फैसला कर रहे है, इस सम्बन्ध में सरकार कुछ करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : सब ही जिलाधीशों को परिपत्र की प्रतियां भेज दी गयी हैं। फिर भी कहीं ऐसी कार्यवाही की जा रही है तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो दुबारा हिदायत करदी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में बेदखली के मामले

388. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् 1955 के बाद के एलॉटीज कितने काश्तकारों को भूमि से बेदखल किया गया है और उनकी गांव वाइज तादाद क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों को बेदखल करने का नोटिस दिया गया है उनके पुराने कब्जे हैं और मौके पर फसल बोई हुई है ? यदि हां, तो कितने रकबे में फसल खरीफ बोई हुई है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों को बेदखल किये हैं उनके पास दूसरा रकबा नहीं है ? यदि हां, तो उनके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

**राज्य मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह):** (1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् 1955 के बाद के किसी एलॉटी (आरजी काश्तकार) को भूमि से बेदखल नहीं किया गया है।

**श्री हरिशंकर :** आपके माध्यम से···

**श्री अध्यक्ष :** अब माध्यम नहीं है। दूसरा प्रश्न ले लिया है। स्थान ग्रहण करें। (माननीय सदस्य के स्थान न ग्रहण करने पर पुनः) कृपया स्थान ग्रहण करिये।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** सुनाई नहीं दिया है उत्तर।

**श्री हरिशंकर :** राजस्व मंत्री जी आश्वासन देंगे···

**श्री अध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री मनफूलसिंह :** (1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् 1955 के बाद के किसी एलॉटी (आरजी काश्तकार) को भूमि से बेदखल नहीं किया है। जब बेदखल ही नहीं किया गया है तो गांव वाइज तादाद बताने का प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता।

(2) पुराने कब्जे वाले अस्थायी काश्तकारों को अभी तक बेदखल नहीं किया गया है और वे मौके पर काबिज हैं और फसल खरीफ उन्हीं के द्वारा बोई गई है। गिरदावरी फसल खरीफ अभी शुरू नहीं हुई है। अतः गिरदावरी सम्पूर्ण होने पर ही बताया जा सकेगा कि कितने रकबे पर ऐसे अस्थायी काश्तकारान द्वारा फसल खरीफ बोई गई है।

(3) उत्तर उपरोक्त प्रकार दिया जा चुका है। फिर भी किसी आरजी काश्तकार के पास आरजी काश्त रकबे के अलावा दूसरा रकबा है या नहीं यह बताना उसी समय सम्भव हो सकेगा जब कुछ दर्ख्वास्तों पर जांच (scrutiny) पूर्ण हो जायगी। अतः किसी को जब बेदखल किया ही नहीं तो उनके पास दूसरा रकबा होना या उनके लिये अन्यत्र प्रबन्ध सरकार द्वारा किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** क्या यह सही है कि बेदखली के नोटिस सन् 68 की जनवरी की 2 तारीख को दिये जा चुके हैं ?

**श्री मनफूल सिंह :** जी हां। नोटिस दिये गये हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** क्या यह सही है कि जिन लोगों को भूमि एलॉट हो चुकी है, उन पर फिर तावान लगेगा क्योंकि उनको भूमि का नवीनीकरण नहीं हुआ है ?

**श्री मनफूल सिंह :** अब नोटिस इस बात के दिये गये हैं कि पहले अस्थायी आवंटन होता था अब वह आगे नहीं किया जायेगा और इस भूमि का अब पुख्ता आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन की कार्यवाही नहीं हो तब तक उस पर तावान नहीं लगेगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यह सही है कि इन लोगों को भूमिहीन मानकर ही रकबा एलॉट किया गया था ?

**श्री मनफूल सिंह** : आरजी काश्तकार और भूमिहीन मानकर किया गया था। अब नियम बन चुके हैं। इन नियमों के तहत ही एलॉटमेन्ट किया जायेगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या यह सही है कि अब जो नियम बने हैं, उनके अनुसार इन काश्तकारों को वह जमीन नहीं मिल सकेगी ?

**श्री मनफूल सिंह** : यह आपको कैसे मालूम है ?

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इसलिये मालूम है कि आपने जो नियम बनाये हैं, उसमें सन् 1955 से पहले का राजस्थानी या वह सन् 55 से अलग परिवार से रहता है यह सरकारी रिकार्ड से साबित करना होगा तो उसको 15 बीघा भूमि एलॉट की जायेगी और इसमें 12॥ प्रतिशत रुपया पहले जमा कराना होगा। इसलिये वह इस जमीन को नहीं पा सकेगा।

**श्री मनफूल सिंह** : यह सही है। जो सन् 55 के पहले के हैं या काश्तकार अपना अलग परिवार साबित कर देगा, तो उस एलाटेड भूमि में से उसे भूमिहीन मान कर भूमि दे दी जायेगी।

**श्री केदारनाथ** : जांच के दौरान बेदखली के नोटिस देना क्या राज्य सरकार उचित समझती है ?

**श्री मनफूल सिंह** : जिनको भूमि एलॉट हो गयी थी, उन लोगों को नोटिस दिया गया है। उनको भूमि अस्थायी एलॉट की गयी थी वह आगे एलॉट नहीं को जायेगी और उसका पुख्ता आवंटन होगा। इसलिये उसको पूरी जांच कराकर साबित कराना होगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : क्या इन लोगों को इनके अधिकार में रहने के बाद दुबारा जमीन दी जायेगी ? उससे दुबारा दर्ख्वास्त मांगी जायेगी ?

**श्री मनफूल सिंह** : पहले आरजी काश्त के नियम बने थे और अब पुख्ता आवटन के नियम बने हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : ये इसलिये बनाये हैं कि इनको जमीन नहीं मिले ?

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : आपने आरजी एलाटमेन्ट करके कोई सर्टीफिकेट दिया था ?

**श्री मनफूल सिंह** : सर्टीफिकेट दिया है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : इसके अलावा आप और क्या जानकारी चाहते हैं ?

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इन लोगों की फाइलें मंगायी जाकर, पूरी तरह से जांच की जाकर उनको भूमिहीन मानकर यह जमीन एलाट हुई थी ?

**श्री मनफूल सिंह** : ऐसे कैसे भूमि एलॉट हो जायेगी। वे पहले अपना सबूत देंगे। सबूत देंगे तो भूमि एलॉट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न संख्या 489।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य मंत्री यह उत्तर दे रहे हैं कि आपको कैसे मालूम हो गया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन लोगों को जमीन एलॉट हुई थी, क्या उनको····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अभी कई प्रश्न अवशेष हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सही है कि काश्तकारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया है। इस नोटिस को मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि कोई बेदखली का नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री मनफूल सिंह : मैंने तो यह कहा है कि नोटिस दिये गये हैं। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो नोटिस दिये गये हैं, वे इस बात के हैं कि पहले उनको अस्थायी भूमि आवंटन की गई थी और उसका भविष्य में अस्थायी आवंटन नहीं होगा। पुख्ता आवंटन करने के नोटिस उनको दिये गये हैं। अगर वे अपने आपको साबित कर देंगे स्क्रूटिनी के अन्दर तो वह भूमि उनको आवंटित कर दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जो पहले एलॉटमेंट का आदेश दिया है, उसको राज्य सरकार बदस्तूर कायम रखेगी ?

श्री मनफूल सिंह : मैं बार बार कह चुका हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कहा है कि उनको 15 बीघा जमीन एलॉट की जायगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों के कब्जे में भूमि है, उसको बदस्तूर रखने की सरकार की इच्छा है या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : माननीय अध्यक्ष, अब परमानेन्ट एलॉटमेन्ट के नियम बने हैं, और उनके तहत स्क्रूटिनी चल रही है। जब वह पूरी हो जायेगी, उनके बाद में एलाटमेन्ट शुरु हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

विभिन्न जिलों को सहायता

489. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

(2) गत पांच वर्षों में प्रत्येक कार्य के लिये प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि यह सहायता जिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाती और मनमाने तरीके से दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री विशम्भरनाथ जोशी): (1) समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सहायता दी जाती हैं। इनमें मुख्य छात्रवृतियां, निःशुल्क छात्रावासों के संचालन, मकान एवं कुओं, कृषि–औजारों के लिये दी जाने वाली सहायता है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सहायता प्रत्येक जिले की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार आवंटित की जाती है। मनमाने ढंग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आवश्यकता आप कैसे महसूस करते हैं? जिलों की आवश्यकता आप कैसे महसूस करते हैं?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक जिले में रहते हैं। इसके अलावा दूसरे अधिकारी भी वहां जाते रहते हैं और वहां की प्रवृतियों को देखते रहते हैं। पिछड़ी जातियों के लोगों से उनका विशेष सम्पर्क रहता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो सूची आपने दी है, उसमें इतना बड़ा भेद है, इसके क्या कारण हैं? भरतपुर जिले को 4 लाख रुपये दिये गये और टोंक जिले को केवल 9000) रु. इतने बड़े भेद के लिये क्या कारण है? जब कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : छात्रवृतियों के लिये फर्मा रहे हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया : जो सूची दी है, उसका टोटल निवेदन किया है। भरतपुर में 4 लाख और टोंक में 9 हजार।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वहां से मांग कम आयी होगी और दूसरे, दोनों जिलों की आबादी में चार गुना फर्क है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इतना बड़ा फर्क नहीं हैं जितना 4 लाख और 9 हजार में है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मांग नहीं आयेगी तो विभाग क्या करेगा?

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने बजट सेशन में घोषणा की थी कि सरकार द्वारा इन सारी प्रवृतियों को देखने के लिये जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण किया जायेगा और उनके द्वारा ही मांग और खर्च का प्रावधान रखा जायेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ऐसी घोषणा की गयी थी और आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। सिर्फ चार जिलों से जवाब आया है बाकी के जिलों में सम्भवतः इन कमेटियों ने काम शुरु नहीं किया है। सुचारु रूप से काम चले, उसके लिये कमेटी का निर्माण एक महीने में कर दिया जाय, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज तक जो सहायता दी गई है, उसके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट सरकार के पास आ गये हैं?

# Page No. 26



श्री विशम्भरनाथ जोशी : 11 करोड़ का बजट होता है। हरेक बात का ग्राफ हैंड जवाब नहीं दे सकता। तभी सारी रकम चूकती मानी जाती है, जब कि यूटिलाइजेशन सर्टी-फिकेट पेश कर दिये जायें वर्ना वह रकम व्यक्ति या उस संस्था के नाम निकलती रहती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा प्रश्नकर्ता ने बताया है कि टोंक को 9 हजार रुपये और भरतपुर को 4 लाख रुपये सहायता के रूप में मिले हैं, इसमें बड़ा भारी अन्तर है। अगर आपको कम से कम कोई फेयर डीलिंग करना है, न्यायोचित व्यवस्था करना है तो आप हरेक जिले के लिये न्यून-तम रकम निर्धारित करिये, वर्ना यह कोई सन्तोषजनक व्यवस्था हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। सरकार के लिये भी यह शोभनीय है कि वह न्यूनतम धनराशि कायम करे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वरोधी दिल के नेता के सुझाव का स्वागत करता हूं। विभाग इस बारे में सतर्क रहता है कि यथा-संभव रकम आवंटित की जाय, लेकिन होता क्या है कि कई स्थानों से तो मांग आ जाती है और कई जगहों से मांग भी प्राप्त नहीं होती है। हमने इसके लिये विभाग में मूल्यां-कन समिति भी बिठा रखी है, जो रिपोर्ट आने के बाद जानकारी मिलती है उस जिले में विशेष प्रयत्न करने आवश्यक होते हैं वह करने का प्रयास करते हैं। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां विशेष तौर पर सहायता की आवश्यकता होगी वह पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एकरूपता कहां रखी है एक जिले को चाहे आप दस लाख दे दीजिये लेकिन कम से कम हर जिले को 20 हजार दिये जायेंगे इस तरह को कम से कम व्यवस्था करते हैं तो बहुत ही ठीक हो सकता है ?

श्री रावतराम (छापर) : गत साल आपने घोषणा की थी कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र जो कालेज में पढ़ते हैं उनको भारत सरकार से मिलने वाली छात्र-वृत्ति के अलावा राज्य सरकार भी 40 रुपया देगी लेकिन वह उन्हीं को दी जायगी जो छात्र प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास होंगे ?

श्री विशम्भरनाथजोशी : इस वर्ष केवल प्रथम व द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों को ही दी जायगी। यह बात सही है।

श्री रावतराम : यह बहुत बड़ा अन्याय होगा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। जिस तरह से आप स्कालर-शिप देते आये हैं उसी को रेगुलर दिया जाना चाहिये चाहे वह तृतीय श्रेणी में ही पास क्यों न हुआ हो यदि आपने यह किया तो हरिजन छात्र कालेजों में पढ़ ही नहीं सकेंगे।

मेरा सुझाव है कि जो संस्कार केन्द्र चलते हैं उन पर आप जितना पैसा खर्च करते हैं उनको बन्द करके उस पैसे को छात्रवृत्ति में डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर जानकारी चाहता हूं कि इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमारी वित्तीय स्थिति सुधरने पर इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 40 रुपया प्रति मास दिया जायगा ? अगर आप इस तरह से इस नीति में परिवर्तन करते हैं तो कई बालक वंचित रह जायेंगे ?

श्री विशंभरनाथ जोशी : कालेजों के उन हरिजन छात्रों को दी जाती है जो जनरल होस्टल में रहते हैं।

श्री रावतराम : आप अगर उनको जो तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं उनको यदि छात्र-वृत्ति नहीं देंगे तो वह आगे भी नहीं पढ़ पायेंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वित्तीय स्थिति सुधरने पर विचार किया जा सकता है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : जिन लोगों को मकान सहायता दी है क्या वे मकान सम्पूर्ण हो गये हैं ?

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल सु.): आज अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिये जो सुविधायें दे रखी हैं वे उनको मिलती नहीं। हरिजनों की कमजोरी की वजह से अज्ञानता की वजह से वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा पैदा करें जो हमारी जान के लिये खतरा पैदा हो जाय। आज हम देखते हैं हरिजनों के वे बच्चे जो सरपंचों के या बड़े बड़े ओहदों पर उनको तो सुविधायें मिल जाती हैं बेचारा गरीब का बच्चा थर्ड डिवीजन से अधिक में कैसे पास हो सकता है। अगर उनको सहायता नहीं देते हैं तो यह उनके लिये बड़ा अनर्थ हो जाता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : सरकार ने यह नीति बनायी है कि समाज कल्याण विभाग से उनको ही सहायता दी जाय जो योग्य हों। जिन छात्रों के अभिभावक इनकम-टैक्स पे करते हैं समाज कल्याण विभाग की ओर से उनको सहायता प्राप्त करने के योग्य न समझा जाय इस प्रकार का हम निर्णय ले रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा योग्य और अयोग्य सब छात्रों को मिले यह मैं समझता हूं श्रेयस्कर नहीं होगा। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार के वित्तीय साधन ठीक हो जायेंगे तो इस पर फिर विचार किया जा सकता है। इस निर्णय को हम बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री पृथ्वीसिंह !

(स्थगित प्रश्न)

(12-9-68)

ठेकेदार द्वारा बलि

359. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत 31 मई को उदयपुर जिले को कोटड़ा पंचायत समिति के अधीन बनने वाले (मदड़ा तालाब) के ठेकेदार ने एक 12 वर्षीय बालक की बलि देकर उसके रक्त से स्वास्तिक बनाकर तालाब का निर्माण कार्य चालू किया ?

(2) यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया है ? तफतीश कौन कर रहा है और अभी तक इस मामले में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और मुकदमा किस स्टेज पर है ?

(श्री पृथ्वीसिंह)

(3) क्या भविष्य में इस प्रकार के मामलों की रोकथाम करने हेतु सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है और विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, इस प्रकार की घटना तालाब का निर्माण कार्य शुरू होने के पश्चात् होना तफतीश से पाया जाता है किन्तु यह घटना दि. 21–5–68 को हुई न कि 31–5–68 को।

(2) अभियोग संख्या 13–68 धारा 302/109/120 आरक्षी केन्द्र आंगना, जिला उदयपुर में पंजिबद्ध किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त चुनीया, हीरालाल श्यामलाल व उदयलाल, महावीर व पूनीया को गिरफ्तार कर अभियोग का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जो जेर समबीज अदालत है।

(3) वर्तमान समय में ऐसी घटनायें प्राय: नहीं होती हैं। और हो भी तो कानून भी पर्याप्त है। विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या तफतीश की फाइल आपके पास पहुंच गई है माननीय मंत्री महोदय की मार्फत आपके पास आगई है ? तफतीश की फाइल देखकर के आप बता सकते हैं यह बलि क्यों हुई उद्देश्य क्या था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तालाब का निर्माण, बलि दिये बिना तालाब नहीं बन पायगा।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस अवसर पर कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे किन किन लोगों ने यह कहा था कि बिना बलि दिये यह तालाब टिका नहीं रहेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जितने मुलजिमान गिरफ्तार किये गये उन छः मुलजिमान के अलावा और कोई मौजूद नहीं था।

अब सवाल यह रहा कि किन किन लोगों ने बलि के लिए कहा यह बात तफतीश से स्पष्ट नहीं हो पायी है। एक मुलजिम चुनीया ने जो बयान कलम कराये हैं उसमें उसने कहा है कि हीरालाल ठेकेदार ने मुझ से ऐसा कहा था कि बिना बलि दिये यह तालाब नहीं टिकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हीरालाल ठेकेदार को कौनसी तारीख को गिरफ्तार किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27-7-68 को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और बाकी मुलजिमान को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनीया को 3–7–68 को रूपा को 28-7-68 को हीरालाल को 27-7 को उदयलाल को 28-7 और पूनीया को 3-7 को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और जिस रोज 12 वर्षीय बालक की नरबलि दी गई निर्माण का उद्घाटन के समय पंचायत समिति के और राज्य सरकार के कौन कौन से कर्मचारी उपस्थित थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तालाब का निर्माण कार्य के प्रारम्भ के समय कोई भी सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं था।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति के प्रधान श्री रामजस जोशी का तालाब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते समय उपस्थित थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री रामजस जोशी का तालाब निर्माण कार्य के प्रारम्भ के दिन मौजूद होना नहीं पाया जाता।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या रामजस जोशी को इस घटना की पहले जानकारी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश से यह नहीं पाया जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय हीरालाल ठेकेदार को कौनसी तारीख में गिर-फ्तार किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27-7-68 को गिरफ्तार किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और दूसरे मुलजिमान को कौनसी तारीख में गिरफ्तार किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चूनिया को 3-7-68 को,

रूपा को 31-7-68

पूनिया को 28-7-68 को

महावीर को 12-8-68 को

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस दिन तालाब का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ और इस 12 वर्षीय बालक की नरबलि दी गई, मुहूर्त के समय नहीं, उद्घाटन के लिये या काम प्रारम्भ के समय पंचायत समिति या राज्य सरकार के कौन कौन कर्मचारी वहां उप-स्थित थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दोनों पंचायत समिति या सरकारी अधिकारियों में से कोई भी उपस्थित नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचायत समिति के प्रधान श्री रामजस जी जोशी जब काम प्रारम्भ हुआ तब उपस्थित नहीं थे क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश के अनुसार उनका यहां उपस्थित होना नहीं पाया जाता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या श्री रामजस जी जोशी को इस नरबलि की इसके पहले जानकारी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस तफतीश से ऐसा नहीं जाना जाता।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या तफतीश से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि रामजस जोशी ने इस प्रकार का प्रचार गांव में और पुलिस के समक्ष किया कि उस बालक को अजगर खा गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सूचना तो आप ही दे रहे हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या रामजस जोशी ने इस बात का भी प्रचार किया कि मैंने उस बच्चे को आबू रोड़ पर बम्बई की तरफ जाते हुए देखा है।

# Page No. 30



गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह केस सबजूडिस है । वक्त पर कार्यवाही की गई यह देखने की बात थी । अध्यक्ष महोदय के सामने केस की डायरी पेश करदी है । उसके अलावा हर बात पर जवाब देना आप माननीय सदस्य समझेंगे कि मुकदमे पर इसका असर पड़ सकता है । किसने क्या कहा इवीडेन्स को शिपट करने का काम अदालत का रह गया है । मैं इसलिए निहायत नम्रता से अर्ज करूंगा कि इसका डिटेल में जवाब देना बिलकुल नामुनासिब है । किसकी क्या इवीडेन्स है किसकी नहीं है । जितने भी इवीडेन्सेज और मूवमेन्ट्स केस के थे सब अदालत में पेश कर दिये हैं । तो इसलिए हर माइन्यूट डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री हीराभाई : जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्या उनके चालान पेश किये हैं ? हमारा कहना यह है कि इस दुर्घटना में कौन सहयोगी था, और किनकी सहायता से यह सारी घटना घटी ? अब इसमें कितने मुलजिम हैं ? उनको जेल में रखना और उनके खिलाफ मुकद्दमा करना जरूरी है। हमारा कहना है तमाम मुलजिमों को तफतीश के दौरान जेल में रखा जावे । आप चार के लिये कह रहे हैं। दूसरे जिद्द करने को तैयार हैं। ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : 27.5. को गुमशुदा की रिपोर्ट हुई । इसके बाद 3 जुलाई को दूसरी रिपोर्ट दर्ज हुई और जब काफी ही हल्ला मचा तो मुलजिमान को गिरफ्तार किया । पिछली बार सदन में यह सवाल खड़ा हुआ था तो मुख्य मुद्दा यह था कि 27 मई को गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई इसके बाद 3 जुलाई तक क्या कार्यवाही की पुलिस ने ? क्या यह बता सकते हैं कि 27 मई की रिपोर्ट के बाद क्या कार्यवाही की पुलिस ने ?

श्री हीरालाल देवपुरा : थानेदार स्वयं गया कई गांवों में । 27।28 को समेजना, पड़ावली, जोगना गांवों में गया । इन गांवों में तलाश की गई ।

29-7-68 को विभिन्न थानों को तहरीर भेजी गई ।

फिर 3-7-68 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अपराधियों को पकड़ा गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 27 मई को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई । क्या उसको उस रिपोर्ट को सदन में पढ़कर सुनायेंगे ? उस पहली रिपोर्ट को पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अदालत में पेश नहीं हुई है यह रिपोर्ट ? अदालत का डाकूमेन्ट है वह ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि केस के अदालत में पेश होने से इस पर विशेष असर नहीं पड़ता और आप एप्रीशियेट करेंगे और इस प्रकार का निर्णय भी आसन से दिया जा चुका है कई बार । इस सम्बन्ध में जो मुलजिमान सरकार ने गिरफ्तार किये हैं उनके बचाव या डिफेन्स की बात नहीं करना चाहता जिससे सरकार का केस खराब हो । मैं इतना ही कहना चाहता

# Page No. 31



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हूं कि राज सरकार के पुलिस विभाग को 27 तारीख की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीन जुलाई को दूसरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो सदन यह जानना चाहता है कि 27 मई के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की? 27 को गुम शुदा की रिपोर्ट में यह कहा है कि फलां फलां ठेकेदार के यहां पर मजदूरी पर काम करता था तो सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि जो आदमी जिस स्कूल में पढ़ता है या मजदूरी जिस ठेके पर करता है वहां पर जाकर तलाश किया जाता। वहां जाकर छान-बीन की जाती। बजाय इसके पुलिस इधर उधर बहाना करके घूम रही थी इस गांव से उस गांव। इसलिये एफ. आई. आर. 27 मई की देखना जरूरी है। इसके बाद पता लगेगा कि पुलिस ने कितनी कर्त्तव्य परायणता बताई। इससे यह जानकारी हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर मेरी व्यवस्था है।

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज!

इस डाक्यूमेंट के प्रश्न पर मेरी व्यवस्था है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा एफ. आई. आर. कौनसी है यह मैं समझता हूं सही है। यह गुम होने की दरख्वास्त पेश हुई वह हो सकती है, दूसरी दरख्वास्त जो बाद में पेश हुई वह भी हो सकती है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एफ. आई. आर. कौनसी हो सकती है? इसके मेरिट पर हम इस तरह से जा रहे हैं कि उसमें फिर क्या लिखा है, कैसे लिखा, क्यों लिखा यह सारे प्रश्न एफ. आई. आर. अगर उसको एफ आई. आर. कहें या रिपोर्ट मान लिया जावे तो उसमें पैदा होंगे जो अदालत में पेश हो गये हैं, तो उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर, गुण दोष पर, विवेचन करेंगे। जिसका अर्थ यह होगा कि अदालत जो कुछ भी निर्णय इस पर या दूसरी रिपोर्ट या डाक्यूमेन्ट पर लेना चाहती है वह प्रभावित होगा। इसलिये इस डाक्यूमेन्ट पर विवेचन करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पब्लिक डाक्यूमेन्ट होता है। उसे केवल हम तो पढ़कर सुनना चाहते हैं बस। यहां उस पर बहस नहीं करना चाहते।

श्री फतेहसिंह : यह इनवेस्टिगेशन डिफेक्टिव है। मुलजिमों के 162 में बयान कराये गये हैं अथवा एप्रूवर बनाया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : एप्रूवर।

श्री फतेहसिंह : फिर क्या 164 के बयान पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिये जानना चाहता हूं कि एप्रूवर बनाया या नहीं। तो इनवेस्टिगेशन को जान बूझकर डिफेक्टिव बनाया गया है। बिना एप्रूवर बनाये क्या यह केस सफल नहीं हो सकेगा?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : साथ ही यह भी बता दीजिये कि इस घटना का प्रकाशन पत्रों में अप्रेल मई के महीनों में ही हो गया था। तब मंत्री महोदय ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन जुलाई की रिपोर्ट हो जाने के बाद ये चेते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, तारीख 12.9 के दिन मैंने भी इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। उस अतारांकित प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ। अतारांकित प्रश्न पूछने का खास कारण यह था कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकूं कि आखिर कार सरकार का क्या विचार है इस सम्बन्ध में। मैंने वहां पर आदमी भी भेजा था प्रश्न पूछने से पहले। वहां यह आम तौर से अफवाह थी कि इस लड़के को जिसमें चूनिया का खास हाथ था और पांच आदमियों ने मिलकर के हलाल किया।

एक आदमी ने उसके पैर पकड़े। दो आदमियों ने एक एक हाथ पकड़ा और मारने वाले ने सीने पर घुटने लगाकर गला आधा काटा और खप्पर के अन्दर खून झेला और आम तौर पर वहां पर यह अफवाह थी कि यह तालाब कभी भी नहीं रहेगा जब तक कि नरबलि नहीं दी जावे। यह तालाब पहले भी फूट चुका है और सरकार ने जो यह तालाब बनाने की व्यवस्था की है वह नहीं रुक सकेगा। ठेकेदार को यह कहा, अकारथ जावेगा तेरा पैसा और तेरे को आदमी का खून देना पड़ेगा। तो जोगी के खप्पर में खून लिया। फिर तालाब पर जाकर उसका स्वस्तिक का चिन्ह किया गया।

जो कुछ करना था पूरा किया गया। यह प्रश्न यहाँ पर उठा और प्रधान मंत्री जो के पास पहुँचा तब सरकार भी सजग हुई। ये तो मानते थे कि नरबलि हुई तो क्या हुआ इसमें कोई महत्व की बात नहीं है। आप कहते हैं मामला सब-ज्यूडिस है। ऐसी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, 1968 में आजाद भारत में होती हैं तो अच्छी बात नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और चूनिया जो आम तौर पर कहता फिरता था कि यह बात हुई, उसको डेढ़ दिन की हाजरी चुकाई गई है और उस गरीब आदमी को मार दिया। यह जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अतारांकित प्रश्न मैंने आपसे पूछा था।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि क्या एप्रूवर बनाया गया है। एप्रूवर बनाने का मामला अदालत में विचाराधीन है। पुलिस की दरख्वास्त पर तफतीश चल रही है। एप्रूवर बनाने के लिये माननीय विरोधी दल के नेता ने पूछी थी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** वह तो चूनिया को ...

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** अगर चूनिया को एप्रूवर बनाने की बात है ....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर! अदालत में विचाराधीन है।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल :** एप्रूवर बनाना या न बनाना ऐवीडेन्स की तारीफ पर आता है, अदालत की प्रोसिडिंग्स में नहीं आता है। इसको सब-जूडिस कहकर हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आप भी वकील रह चुके हैं। अच्छी तरह जानते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** आप सदन को बतायें।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को बताने की स्थिति में नहीं हूं।

(शोरगुल) आर्डर, आर्डर।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

मैं नहीं बताऊंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है। यह तो हमने सुना है, पढ़ा है कि पुलिस की डायरी नहीं बताई जाती। यह प्रिविलेज डाक्यूमेंट होती है। सर्टिफाईड कापी अदालत से प्राप्त कर सकते हैं। उस डाक्यूमेंट को केवल पढ़कर सुना दें। इससे हमें वंचित रख रहे हैं। यह प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बात कही 9 सितम्बर–12 सितम्बर को उन्होंने अनस्टार्ड क्वेश्चन दिया था उसके जवाब के पहले उन्होंने आदमी भेजा था। उनका कहना है कि आम तौर पर वहां लोगों की जबान पर यह बात थी। 12 सितम्बर को इस में गिरफ्तारी हो चुकी थी और अदालत को पेश कर दिया गया था। मैं आपसे अर्ज कर दूं जो थ्योरी आप बता रहे हैं वही एग्जेक्टली अदालत में पेश की है और उसी थ्योरी पर यह पेश किया गया है। अब रहा सवाल यह थ्योरी सब्स्टेनशियेट होगी या नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष ने खुद ने कहा। 27 मई को यह दरख्वास्त पेश हुई थी–गुम शुदा की। उसके वालिद ने यह कहा था कि तालाब पर गर्मियों की छुट्टियों में वह काम पर जाता था और उस दिन वह मजदूरी लेने गया उसके बाद वह वापिस लौटकर नहीं आया। अब गुमशुदा रिपोर्ट होने के बाद····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह कहा कि तालाब की पाल में उसको गाढा है···

श्री देवीदत्त गाडिया : आप बतायें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री दामोदर लाल व्यास : आपकी (श्री अध्यक्ष) आज्ञा हो तो सुना दूं। बहुत कौन है माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : सुना दीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : "रपट गुमशुदगी लड़का रपट नं० 562 11 ए. एम. पुलिस स्टेशन गोगना, जिला उदयपुर तारीख 27-5-68 सोमवार।

श्री जवान सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत साकिन मादड़ा, उमर 50 साल, पेशा नौकरी, चपरासी नायब तहसील मेरपुर में थाने पर उपस्थित होकर जबानी इत्तला की कि मैं मेरपुर नौकरी से रहता हूं। घर पर मेरी औरत व लड़के लड़की रहती हैं। खुमानसिंह मेरा लड़का जिसने इस वर्ष चौथी कक्षा पास की है गर्मी की छुट्टियां होने से वह मादड़ा बांध पर मजदूरी करने जाता था वह वहां छोटी मोटी मजदूरी करता था दस आना रोज देते थे। उसकी उम्र 12 वर्ष है। वह गये मंगलवार ता. 21-5-68 को ठेकेदार ने मजदूरों को रकम चुकाई तो वह

(श्री दामोदरलाल व्यास)
भी मजदूरी के पैसे लेने गया था। वह उसी रोज वहीं हमेशा माफिक मजदूरी करता था सुबह जाता व शाम को आ जाता वह ता. 21–5–68 को शाम को वापिस घर नहीं आया। मुझे इत्तिला मेरपुरा मिली कि खुमान-सिंह कहीं चला गया। मैं मादड़ा में तीन रोज पहले आया खुमानसिंह को तलाश की वह नहीं मिला। बान्ध पर ठेकेदार के लोगों से मालूम की तो पता लगा कि सवा रुपया मजदूरी का उसे ठेकेदार ने चुकाया जिसके बाद वह घर नहीं आया उसके पहनने को खाकी रंग की नेकर सफेद कालरदार आधी बांह की कमीज पैरों में जूता देशी मोची के हाथ से बने हुये थे जो पहना था। खुमान सिंह कहाँ चला गया है। इत्तला करता हूँ तलाश कराई जाये। अतः रपट दर्ज की गई तलाश हेतु श्री गुलशेरखां एफ. सी. को मामूर कर रवाना किया गया। थानेजात मुलहीका में सूचना भेजी जायगी। इत्तला गुजार को रुखसत दी गई एस. डी.–साईन बन्सी लाल, एस. एच ओ.।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद 21 मई को उस ठेकेदार से इसके सिलसिले में एन्क्वायरी किस तारीख को की गई।

श्री दामोदर लाल व्यास : उसी रिपोर्ट के साथ एफ. सी. को दायर कर दिया। उसने आकर बाद में इसकी तलाश की। तलाश कई जगह की गई सबको इत्तला दी गई कि गुमशुदा लड़के की तलाश करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार।

श्री केदार नाथ : उस इन्वेस्टीगेशन के दौरान में...

(शोर गुल, अव्यवस्था)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह आपने असल से जवाब दिया है क्या?

श्री दामोदर लाल व्यास : नकल से जवाब दे रहा हूँ। असल को मैंने देखा है।

श्री केदार नाथ : इन्वेस्टीगेशन के दौरान में कौन कौन से आफेन्स फ्रेम किये गये?

श्री दामोदर लाल व्यास : क्या कहा आपने?

श्री केदार नाथ : इन्वेस्टीगेशन के दौरान कौन कौन से आफेन्स पाये गये, इससे इन्वेस्टीगेशन की नेचर मालूम पड़ जायगी।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने जो अर्ज किया कि 302, 127, 120 (बी.), 114...

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इस लड़के को कहां पड़ा हुआ पाया—तालाब की पाल में या दो मील दूर। इसकी लाश मिट्टी खोदकर गाड़ा गया है और लाश सड़ी हुई पाई है?

श्री दामोदर लाल व्यास : उस रोज जिस रोज कत्ल किया गया दो रोज बाद उसको वहां गाडा गया है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : दो मील दूर गाड़ा गया है या तालाब की पाल पर गाड़ा गया है ...

श्री दामोदर लाल व्यास : आप फर्मा रहे हैं इस थ्योरी पर मुकद्दमा पेश किया जिस दिन कत्ल किया उसको वहीं गाड़ दिया और दो दिन बाद उसको वहां से निकाल कर दूसरी जगह गाड़ दिया।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : पुलिस को बराबर जानकारी थी। वह तो बराबर मजाक सा हो रहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह 3 जुलाई को रिपोर्ट होने के बाद और कत्ल का पता लगने के बाद यह जो गिरफ्तारियां हीरालाल की 27 तारीख को हुई हैं और उसके बाद भी कुछ हुई हैं तो इन मुलजिमान की गिरफ्तारियां इतनी देर से करने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यों ज्यों मुलजिमान मिलते गये उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बतायेगी कि जिस घटना को लेकर यह नरबलि की गई थी उस तालाब की नींव किस तारीख को लगाई गई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 1 अप्रैल, 1968 को तालाब का कार्य प्रारम्भ किया गया था ?

श्री भैरोंसिंह : नींव कब लगाई गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रारम्भ किया उसी दिन नींव लगती है और नहीं तो कब लगती है ?

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जो गुमशुदा की रिपोर्ट आई है वह नींव लगने के बाद आई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह 1-4-68 को शुरू हो गया और गुमशुदा की रिपोर्ट 27 मई को आई है। 21 मई को लड़का गायब होना पाया जाता है।

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार से उसके बाप ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई तो क्या उस थाने के एस. एच. ओ. ने जाकर सर्वप्रथम ठेकेदार से किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय गुमशुदा की रिपोर्ट होने के बाद जो मजदूर जाते थे उनसे और ठेकेदार से भी पुलिस ने जानकारी की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठेकेदार से आने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने तसल्ली करली है और अध्यक्ष महोदय को को भी तसल्ली करा सकता हूं कि यह सीक्रेट डाक्यूमेन्ट है। मैं पढ़ नहीं सकता। वैसे पुलिस ने अपनी तरफ से जिसका पूछना चाहते हैं हैड कान्सटेबल ने उनसे पूछा है और दर्ज किया है वापिस आकर।

श्री श्रवणलाल : मेरा प्रश्न यह है कि जिस ठेकेदार के यहां वह काम करता था तो क्या पुलिस के एस एच. ओ. ने सबसे पहले जिस ठेकेदार के यहां काम करता था उस सम्बन्ध में उससे कोई जानकारी प्राप्त की है या नहीं ?

**श्री देवीदत्त गाडिया :** मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस ठेकेदार से जानकारी की या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** थानेदार स्वयं तालाब मादड़ा तफतीश के लिए गया और 27 व 28 तारीख को गांव समेजा, पडावली, जोगना गया और इसके अलावा कुछ कुओं पर भी तलाश की गई। तलाश जारी रखी गई और 19–6–68 से 21 तक तालाब पर तलाश की गई। 3–7–68 को खुद एफ. आई. आर. दर्ज की।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** प्रश्न यह है कि ठेकेदार हीरालाल को जाकर पुलिस के किसी भी अधिकारी ने 27 तारीख के बाद किसी भी दिन जाकर जांच की है इसका हवाला नहीं है जो आपने अभी पढकर सुनाया उसका गांवों के नाम से सम्बन्ध नहीं है, हम तो यह पूछना चाहते हैं कि उस ठेकेदार से जांच की है ? यह है क्या कहीं इसमें ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जो इसका ठेकेदार है उससे 28 और 29 मई को मालूम किया गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आपने पढ़कर सुनाया उसमें तो कहीं नहीं है यह बात ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** यहां पर मैं रोजनामचे की कापी नहीं पेश कर सकता।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं तो जानना चाहता हूं हाउस में कि क्या 28 और 29 तारीख को हीरालाल ठेकेदार से तफतीश की गई यह इसमें लिखा हुआ है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने अर्ज किया कि तालाब पर ठेकेदार से, मजदूरों से 28 और 29 तारीख को मालूमात की गई।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं फिर कहता हूं ठेकेदार हीरालाल से मालूम करने की बात यह 28 और 29 तारीख की केश डायरी में नहीं लिखा हुआ है और केवल आप सारी बातों को छुपाने के लिए हाउस में गलत बात कह रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं और बता दूं इसमें ठेकेदार हीरालाल नहीं है, दूसरा आदमी है उदयलाल। हीरालाल तो फाइनेन्स करने वाला है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** जो भी हो।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** क्या अब भी इस ठेकेदार को ठेके दिये जा रहे हैं या उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(व्यवधान)

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** यह ठेकेदार कहां का रहने वाला था ? उसको अभी भी ठेके दे रहे हैं या ब्लेक लिस्ट कर दिया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जिसको ठेका दिया है उसका नाम उदयलाल है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इस उदयलाल से तफतीश की गई ? मैं जानना चाहता हूं कि 27 मई की रिपोर्ट होने के बाद 27, 28 और 29 को उदयलाल ठेकेदार से जांच की ? और को तो क्या उसका हवाला है उसमें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस तालाब पर जो मजदूर थे उनसे जांच की गई। स्पेसिफिक बात उदमलाल से की या नहीं इसका पता नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आप हाउस को गुमराह क्यों करना चाहते हैं ? पहले कहते हैं जांच की गई ठेकेदार से और उसमें लिखा हुआ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है। इसमें बड़ी गम्भीर बात यह है कि हमने केस डायरी मांगी थी। 21 मई को एक गरीब लड़के को बलि पर चढ़ा दिया तो 27 मई के बाद 3 जुलाई तक एक तालाब पर सार्वजनिक निर्माण का काम हो, वहां लड़के की हत्या कर दी जाये, बलि चढ़ा दी जाये और उस इलाके में मालूम न पड़े, पुलिस को जानकारी नहीं हो। 27 मई को किसी तरह से रिपोर्ट हो जाये और 3 जुलाई तक पुलिस बैठी रहे, मुलजिमों को छुपाती रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात पुलिस के लिए और क्या हो सकती है ? 27 मई के बाद पुलिस ने क्या किया ? हम जानना चाहते हैं। जब थानेदार को रिपोर्ट की गई थी तो उसमें लिखा था कि फलां ठेकेदार के यहां वह काम करता था। हम जानना चाहते हैं कि 27 मई के बाद ठेकेदार से जांच क्यों नहीं की और अगर की है तो उसका हवाला इसमें नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, केस डायरी के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कत्ल का मुकदमा रजिस्टर होता है उसके बाद में बनाते हैं। गुमशुदा की बात है उसके लिए मैंने अर्ज कर दिया कि हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल वह बराबर तलाश करते रहे और जहां तालाब बन रहा था मजदूरों से तलाश करते रहे। अब किन किन मजदूरों से तलाश की यह नाम तो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत सहानुभूतिपूर्वक अर्ज करता हूं कि जितनी इसकी अहमियत को आप समझते हैं उतनी ही हम भी समझते हैं और यह कहना कि प्राईम मिनिस्टर को मालूम हो गया और विधान सभा को मालूम हो गया इसलिए इसकी अहमियत को समझा, ऐसी बात नहीं है। जब मुकदमा यहां आया उसके पहले ही गिरफ्तारियां करली थीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राईम मिनिस्टर ने जो इस मामले में सहानुभूति दिखाई उसकी अहमियत को कम मत कीजिए और आपने मामले को दबाने की कोशिश की है, पर्दा डालने की कोशिश की है, मुलजिमों को बचाने की कोशिश की है और पुलिस को प्रश्रय देने की कोशिश की है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस घटना की जानकारी मुख्य मंत्री जी को किस तारीख को हुई ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ? वह इस बारे में मौन क्यों रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलग से प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

(शोरगुल)

श्री वेणीदत्त गाडिया : मुख्य मंत्री जी जवाब दें इस नर बलि की जानकारी मुख्य मंत्री जी को कब हुई ? यह घटना उनके इलाके की है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री रामानन्द अग्रवाल : 27 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट की जानकारी कान्ट्रेक्टर से होनी चाहिए थी वह कॉन्ट्रेक्टर से जानकारी नहीं की गई और इसी तरह से 3 जुलाई को दुबारा कत्ल की रिपोर्ट होने के बाद भी उसके 24 दिन बाद आप गिरफ्तारी करते हैं कॉन्ट्रेक्टर की तो क्या आप बतायेंगे कि आपने 24 दिन तक उसको ढूंढने की कार्यवाही क्यों की ? आप पुलिस को बचाने की कोशिश करते हैं। पता लगने के बाद भी आप कॉन्ट्रेक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं 24 दिन तक गिरफ्तार नहीं करते · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इतना संगीन जुर्म है उसके संगीनपन को आप महसूस करते थे और 24 दिन तक आपको पता नहीं लगा इसका क्या कारण है ? आप बतायेंगे कि क्या किया आपने ?

श्री पृथ्वीसिंह : माननीय अध्यक्ष, इतना ही नहीं इस दुःखद घटना के समय माननीय मुख्य मंत्री ने टूर प्रोग्राम भी बनाया था और वहां के कांग्रेस के प्रधान रामजस जोशी के इशारे पर टूर प्रोग्राम केन्सिल कर दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुःखद घटना हुई है, लेकिन उसको राजनैतिक स्वरूप देने की कोशिश करना बिल्कुल गलत बात होगी · · ·

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस दुर्घटना के बारे में हम सब को जितना दूसरों को दुःख है उससे कहीं ज्यादा अफसोस है। उसको कहा जाय कि जानबूझकर दबाना चाहते हैं या किसी ठेकेदार को यह करना चाहते हैं या प्रधान को यह करना चाहते हैं मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं कहूंगा कि जब अखबार के बारे में इस दुर्घटना के बारे में, मैं नहीं कह सकता कि कौन सी तारीख को, समाचार आया था तब पहली बार मुझे मालूम हुआ था। जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि इसके सम्बन्ध में पुलिस के द्वारा बराबर कार्यवाही की गई है। यहां पर जो प्रश्न उठाया गया है या प्रधान मंत्री की तरफ से लिखा गया है उससे पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, और इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है इसको राजनैतिक स्वरूप देना बिल्कुल गलत होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, · · ·

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो उनका वहां का टूर प्रोग्राम था तो उसको वहां के प्रधान के इशारे पर केन्सिल कर दिया, यह बिल्कुल साफ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय गृह मंत्रीजी ने पिछली बार यह बताया था कि पंचायत समिति के अधिकारी स्पाट पर तो नहीं थे और लोग कुछ दूरी पर थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने नहीं कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली बार कहा है। कहा है आपने पिछली बार।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहा है आपने पिछली दफा। स्पाट पर नहीं थे कुछ दूरी पर थे। आपने इस बात को कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कहां है इसमें ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां है निकाल दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोसीडिंग की कापी जो मेरे पास करेक्ट होने को आई है उसमें आप बता दें कि कहां है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पंचायत समिति को लॉग बुक को पुलिस ने देखा है ? क्या उस दिन उस लॉग बुक में वहां पर दौरे पर आने का दर्ज है कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग है प्रश्न है। पंचायत समिति का कुछ ताल्लुक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंचायत समिति के तहत निर्माण का कार्य हो रहा है। उनके ओवरसियर ने निशान देहो कहीं की है। निर्माण कार्य पहले से नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है, आर्डर प्लीज। आगे चलिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस को यह एन्क्वायरी करना····

श्री रामकिशन (वैर) : जिस दिन यहां पर इस प्रश्न को पहले पूछा गया था उस दिन यह प्रश्न उठाया गया था कि जानकारी के साथ जवाब दिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया कि पंचायत समिति का कोई अधिकारी तालाब पर उस रोज मौजूद नहीं था और आप कहते हैं कि लॉग बुक देखिये तो लाग बुक को जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन-चार बातें हैं···

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा सरकार से और खासकर माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि क्या आपने इस परिवार के प्रति कुछ लेटर आफ सिम्पेथी लिखा है ? क्या आपने उस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया है ? वह गरीब बालक था, गरीब विद्यार्थी था और अपने पेट से मजबूर होकर वह काम के लिए ठेकेदार के पास, जाय तो क्या इस सरकार ने उसको सान्त्वना दी है उसके परिवार को और पिता को ?

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस परिवार को 1,000 रु. डिस्क्रेश-

(श्री मोहनलाल सुखाडिया )

नरी फण्ड से और 30 रु. माहवार जब तक उस बच्चे की मां जिन्दा रहे तब तक उस परिवार को मासिक आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो इसको एक हजार रुपया डिस्क्रीशनरी फण्ड से और 30रु. माहवार देने का कहा है, यह कोनसी तारीख को निर्णय किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्णय कब लिया गया ? प्रधान मंत्री के पत्र के आने के बाद और उनके द्वारा एक हजार का चेक देना यह एक तरह से सेन्सर था, यह कन्डेम्नेशन था राज्य सरकार पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस दिन आपने स्थगित किया था उस वक्त तीन-चार मुद्दे थे जिनका राजस्थान सरकार द्वारा यहां उत्तर नहीं दिया जा सक था । एक तो हमने यह पूछा था कि पंचायत समिति का कोई अधिकारी, सरपंच, प्रधान या बी डी.ओ. या प्रसार अधिकारी था या नहीं। तो राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे और थोड़ी दूर पर कुछ लोग बैठे थे ··

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत बात है । अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कहा है ।

श्री दौलतराम सारण : दूसरा सवाल यह था कि हमने पूछा था कि स्वस्तिक जो बनाया गया शिलान्यास के वक्त तो शिलान्यास का काम और स्वस्तिक का काम किस ने किया ? राज्य सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया था और आज तक उत्तर नहीं है।

तीसरी बात हमने यह पूछी थी कि यह जो नरबलि दी गई है इस नरबलि देने में हीरालाल या जो भी ठेकेदार हो उस ठेकेदार से कब जानकारी पुलिस ने की इस बात का तो राज्य सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था ।

जो मुद्दे उस दिन उठाये गये थे उन मुद्दों का उत्तर आज भी राज्य सरकार के पास नहीं है । यह प्रश्न आज इस सदन में आया है चाहे देर आयद दुरुस्त आयद आपने उस परिवार को जितना पूछना चाहिए था वह राज्य सरकार ने नहीं किया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बार बार अर्ज किया कि यह बिल्कुल गलत बात है ।

मैंने सदन में यह बात नहीं कही कि पंचायत समिति के पदाधिकारी वहां पर हां और वहां से कुछ दूरी पर मौजूद थे । आप उस दिन की प्रोसीडिंग को देख लें । जांच से यह बात साबित होती है कि पंचायत समिति का पदाधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था । 6 आदमी जो मौके पर थे उनको मुल्जिम बनाया गया है और वे 6 आदमी गिरफ्तार हो गये। यह मैं आपको जानकारी दे चुका हूं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरी बात यह कही गई कि वहां पर पूजा कराई गई तो मैंने यह कभी नहीं कहा। पूजा वहां पर नहीं की गई । कुछ बेवकूफों ने जबरदस्ती इस प्रकार का पाप का काम किया उन्होंने स्वस्तिक लगाकर वहां पर पत्थर डाल दिया । पूजा का प्रश्न कतई नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आज तक · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : पंचायत समिति के अधिकारी भी कुछ दूरी पर थे यह देवपुरा साहब ने बात कही थी । यह बिल्कुल सत्य है । इस सत्य को दबाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रोसीडिंग्स में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस ने अभी तक जिस चाकू से लड़के को कत्ल किया गया है उस चाकू को और जो लड़के ने जूते और कपड़े पहन रखे थे उनको बरामद नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी के अनुसार चाकू बरामद नहीं हुआ, कपड़े और जूते बरामद हो गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमन्त्री ने जो प्रोग्राम बनाया था और उसको उस तारीख को रद्द किया यह सत्य है ?

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : गलत है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि यह बात कही गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिस चाकू से मुल्जिमों ने हत्या की है उस वेपन को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है तो पुलिस ने क्या-क्या इन्वेस्टीगेशन के एक्शन लिए उसके बारे में माननीय गृह मन्त्री जी प्रकाश डालेंगे, और इसके उपरान्त, माननीय गृहमन्त्री जी, आप इस बात का दावा रखते हैं कि ज्योंही पुलिस को इस बात की इत्तिला मिली पुलिस सजग रही और पुलिस ने पूरा काम किया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि स्वयं भारत के प्रधान मंत्री ने इस घटना को बहुत बड़ी दुःखद घटना माना है और राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं इस घटना को दुःखद मानते हैं तो हमारे देश में ऐसा आदर्श भी है कि रेल्वे में एक एक्सीडेन्ट हो जाने से लालबहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसी घटनायें जहां इस मंत्री मण्डल के मंत्रित्व में होती हैं तो क्या इस आदर्श को रखने के लिए माननीय गृह मंत्री इस्तिफा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । प्रश्न समाप्त हुए।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लाश बरामद हो गई ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए । आर्डर, आर्डर ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार ने जो पुलिस · · · ·

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य भाषण नहीं दें।

**श्री चुन्नीलाल बाड़दार :** मेरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यदि राज्य सरकार इस परिणाम पर पहुँची है इन्वेस्टीगेशन में या इस प्रकार की घटना होने के बाद कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें ढिलाई बरती है या लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने आज तक क्या एक्शन लिया है ? क्या राज्य सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि पुलिस के अधिकारियों को इस बात के लिए सजा दी जायेगी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

( 1. म.प. )

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि पुलिस ने जो लाश बरामद की है, उसमें घुटने के नीचे के पैर बरामद नहीं हुए हैं ?

**एक माननीय सदस्य :** क्या यह सही है कि बाल बरामद नहीं हुए हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** स्केल्टन बरामद हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह :** पैर बरामद हुए हैं या नहीं ?

गृह मंत्री ( **श्री दामोदरलाल व्यास** ) : वह स्केल्टन बरामद हुआ है, गालिबन उसके पैर भी थे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह नरबलि साबित होने पर, उसके खुल जाने पर वह पकड़ा गया। एक तरफ यह प्रश्न पूछा गया उस चाकू के सम्बन्ध में, उस ठेकेदार की खाना तलाशी ली गई। यह आम चर्चा है कि वह ठेकेदार उस चाकू से एक दो को और काट चुका है। क्या यह ठेकेदार चुनाव के समय में कांग्रेस को चन्दा नहीं देता आया है ? क्या यह सही नहीं है ? (भारी शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

(भारी शोरगुल–व्यवधान अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने आरोप लगाया है, वह गलत है।

(लगातार भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(लगातार शोरगुल–व्यवधान)

**श्री रोशनलाल शर्मा :** यह गलत है।

(लगातार शोरगुल–व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर,

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय····

(लगातार भारी शोरगुल, व्यवधान–अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। निरर्थक उग्रता सदन में आ गयी है।

(लगातार भारी शोरगुल–व्यवधान)

**श्री हरिदेव जोशी :** अश्रव्य।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

**श्री रोशनलाल शर्मा :** वह जनसंघी।

(लगातार शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : (भारी शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस वाले जनसंघ वाले का नाम नहीं ले रहे हैं। वह यह चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता जनसंघ पर आरोप लगायें, स्वतन्त्र पार्टी के नेता यह चाहते थे कि कांग्रेस वाले जनसंघ का नाम लें। इसलिए जनसंघ का नाम लिवाने के लिए स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने इस बात को सदन में रखा है, मिस चीवियस वे में रखा है, जानबूझ कर रखा है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात सही है कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने जानबूझ कर इस तरह का आरोप लगाया है । यह सही बात है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मुझे सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए विवश होना पड़ेगा । आर्डर, आर्डर ।

श्री हरिदेव जोशी : अगर यह कहते है तो निश्चित रूप से उन्होंने जनसंघ का कांग्रेस से नाम लिवाने के लिए····

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन की कार्यवाही को स्थगित करने को विवश होना पड़ेगा ।

श्री दौलतराम सारण : मैं एक सेकिण्ड निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री दौलतराम सारण : मैं आपत्ति नहीं करूंगा । मैं सदन में शान्ति स्थापित करने के लिए एक सेकिण्ड निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिदेव जोशी : आसन अपने पैरों पर है, तो भी विरोधी दल के माननीय नेता की निन्दा हम करते हैं, वह एक प्रकार से इस प्रेक्टिस को खत्म करें····

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही ! मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित, स्थगित··

श्री हरिदेव जोशी : विरोधी दल के नेता एक जिम्मेदार आदमी हैं । अगर वह यह कहते हैं तो विरोधी दल के नेता को सदन से क्षमा मांगनी चाहिए । विरोधी दल के नेता को माफी मांगनी चाहिए । हम को कहना पड़ेगा कि विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है उसके लिए वह खड़े होकर माफी मांगें । इस तरह की बात को बरदाश्त नहीं करेंगे ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत आरोप है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय इस तरह माननीय सदस्यों को भड़का रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए।

(भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी दल के नेता के शब्द कार्यवाही से निकालने चाहिए। विरोधी दल के नेता ने इस प्रकार गलत आरोप लगाया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : विरोधीदल के नेता को सदन से माफी मांगनी चाहिए। जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिस व्यक्ति ने भी ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, उसको पकड़ लिया जाये और उसको सजा दिलवाई जाय····

(भारी शोरगुल-व्यवधान अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं अन्तिम निर्णय लेने के लिए विवश हूं मुझे अन्तिम कदम लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है····

श्री हरिदेव जोशी : जब तक विरोधी दल के नेता माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मन्त्री को···

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : विरोधी दल के नेता से आप माफी मंगवायें। अध्यक्ष महोदय, उनको माफी मांगनी चाहिए ···

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मन्त्री को···

(भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी दल के नेता ने जिस तरह से कहा है, उनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित, स्थगित, स्थगित, स्थगित····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय सदन के सदस्यों को भड़का रहे हैं, उनको अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं ताकि हाउस एडजोर्न हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी: हम अव्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की जो विरोधी दल के नेता की पालिसी है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जो कांग्रेस दल पर आरोप

(श्री हरिदेव जोशी)
लगाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय मन्त्री !

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान के मुख्य मन्त्री · · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी दल के नेता को अपने शब्द वापिस लेने चाहिए, उन्होंने इस तरह का जो आरोप लगाया है · ·

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया ! श्री चीफ व्हिप !

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमें बैठने को आप कहते हैं लेकिन विरोधी दल के नेता को आप यह नहीं कहते हैं कि वह सदन से माफी मांगें।

(शोरगुल–अश्रव्य)

विरोधी दल के नेता सदन से माफी मांगें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : विरोधी दल के नेता को अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। उन्होंने गलत आरोप लगाया है। उन्होंने सुनी हुई बात कही है · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही चलाने में असमर्थ हूं। मैं सदन की कार्यवाही चलाने में अशक्त हूं।

(शोरगुल–व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 1 बज कर 10 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा पलाना लिगनाइट के विकास की योजना

545. प्रोफेसर केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का स्वरूप क्या रहा है और अब उसमें कुल कितना खर्चा लगेगा तथा किस प्रकार प्रति वर्ष खर्च होगा ?

(2) योजना की राशि में कितनी कमी हुई है तथा उसके द्वारा कौनसी योजनाएँ समाप्त हो गयी हैं ?

(3) सरकार पलाना लिगनाइट के विकास की योजना को चालू रखेगी या उसे समाप्त कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अब 1969—70 से शुरू की जावेगी और उसको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) क्योंकि चतुर्थ योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(3) पलाना खान को अभी मेन्टीनेन्स बेसिस पर चलाने का निर्णय लिया गया है और इसका आगे विकास थर्मल स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्भर है जिस पर अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

### मीना होस्टल, सवाई माधोपुर में प्रवेश के लिए चयन

546. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू सत्र में मीना होस्टल, सवाई माधोपुर के प्रवेश के लिये किस तारीख को साक्षात्कार किया गया और उसमें कितने सदस्यों की चयन समिति ने साक्षात्कार लिया ?

(2) क्या यह सही है कि चयन समिति द्वारा चयन किए गए छात्रों को लिस्ट प्रकाशित न कर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपनी ही एक पृथक् लिस्ट प्रकाशित कर छात्रों को प्रवेश दे दिया गया जिसके विषय में राज्य सरकार व संचालक, समाज कल्याण विभाग को शिकायतें भी की गईं ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की अथवा नहीं ?

(3) यदि जांच की गई, तो किस अधिकारी द्वारा और उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 20-7-1968 को मीना छात्रावास सवाई माधोपुर में पांच सदस्यों की चयन समिति ने साक्षात्कार किया।

(2) जी हां। शिकायत की गई थी और प्राप्त रिकार्ड के आधार पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी को चार्ज शीट दी जाकर जांच किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(3) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर से जांच करने पर उनके कथनानुसार ज्ञात हुआ कि छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा

(समाज कल्याण मंत्री)

चयन किये गये 21 छात्रों में से केवल 2 छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका। इनमें से ही रामफूल के सप्लीमेन्ट्री आने से वे आये नहीं। इनके स्थान पर श्री चुन्नीलाल, सदस्य विधान सभा जो चयन समिति के सदस्य हैं उनकी लिखित सिफारिश पर श्री राम विलास को प्रवेश दिया गया। श्री मस्तराम के स्थान पर श्री रामविलास पुत्र श्री माधोलाल को प्रधान पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की लिखित सिफारिश पर प्रवेश दिया गया। श्री कन्हैयालाल तथा श्री राम निवास गत वर्ष के छात्र थे जो छात्रावास छोड़कर चले गये। जिनके स्थान पर श्री जमनलाल तथा रामेश्वर प्रसाद जो चयन समिति की वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित थे उनको प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर की लिखित रिपोर्ट के अनुसार अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किन्तु विभाग उनके कथन की सत्यता को स्वीकार नहीं करता है। कार्यवाही जांच के दौरान सन्देहास्पद पाई गई व आंशिक परिवर्तन जिला समाज कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः विभाग जिला समाज कल्याण अधिकारी को चार्जशीट दी गई है तथा जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) चार्जशीट का उत्तर प्राप्त होने पर विधिवत् जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

### अलवर जिले की आदर्श बस्तियां

537. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में कितनी आदर्श बस्तियां परिगणित जातियों व परिगणित जन जातियों की बनाई गई हैं और कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी धनराशि प्रति व्यक्ति दी गई और कब दी गई?

(3) प्रत्येक बस्ती के निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

(4) क्या उस स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को प्राप्त हो गये हैं?

### उत्तर

(1) अलवर जिले में हरसोरा, तहसील बानसूर में एक आदर्श बस्ती बनाई गई थी।

(2) सन् 1958–60 में प्रति व्यक्ति 750 रुपये की धनराशि दी गई है।

(3) इस बस्ती के निर्माण कार्य के लिये 46,600 रुपये स्वीकृत किये गये थे।

(4) स्वीकृत धनराशि में से 34,200 रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्राप्त हुये हैं। 7 परिवारों द्वारा 5,600 रुपये वापस खजाने में जमा करा दिये हैं। 6,800 रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष हैं।

**सांगोद व रामगंज मण्डी में फसलों को नुकसान**

548. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पोवल के गेहूँ पैदा करने के लिए कम से कम कितने पानी की आवश्यकता होती है।

(2) सांगोद तहसील में आलनिया, काली सिन्ध व परवन सिंचाई योजनाओं से किन किन गांवों में कितनी कितनी सिंचाई होती है और पिछली रबी की फसल में गेहूँ की खेती के लिए कितनी कितनी बार कब कब पानी दिया गया था?

(3) नदी की लिफ्ट योजनाओं से क्या पानी की कमी के कारण पिछले साल कृषकों को पूरा पानी नहीं मिला था व उजाड नदी व दूसरी नदियां बिल्कुल सूख गई थी व कुओं में भी पानी की कमी थी?

(4) क्या यह सही है कि पटवारियों की रिपोर्ट में जिन्सवार पैदावार फिजिकल वेरीफिकेशन के आधार पर दर्ज नहीं की गई थी व इस बात की शिकायत उप जिला अधिकारी व पंचायत समिति द्वारा सरकार को की गई है? यदि हां, तो गेहूँ का असली रकबा निर्धारित करने व वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(5) पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं होने पर भी लेवी की मांग करने का क्या कारण है?

(6) क्या यह सही है कि खानपुर तहसील में भी काली सिन्ध योजना से उतना ही पानी दिया गया है जितना सांगोद में परन्तु वहां लेवी नहीं ली गई? यदि हां, तो क्यों?

(7) सांगोद व रामगंज मंडी तहसील में खरीफ व रबी की फसलों में कितने कितने गांवों में नुकसान बताया गया है और वहां के लोगों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**उत्तर**

1. पलेवे के अतिरिक्त औसतन तीन पानी की आवश्यकता होती है।

2. गांवों की मय सिंचाई सूची संलग्न हैं पिछली रबी सन् 67–68 में पानी पर्याप्त था अतः फसल पाने तक पूरे चार पाण दिये गये।

3. जी ऐसी स्थिति नहीं थी।

4. यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

5. पिछले वर्ष सिंचाई व्यवस्थित रूप से की गई, लेवी का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

6. काली सिंध योजना से तहसील सांगोद खानपुर में सन् 67–68 की रबी में जो सिंचाई हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

तहसील खानपुर में चार पानी दिये—

| | प्रथम | द्वितीय |
|---|---|---|
| रकबा | 2,138)11 | 8802) 3 |
| | तृतीय | चतुर्थ |
| | 7213 | 36) |

सांगोद में तीन दिया वह निम्न है:—

1675) 4 7201) 2 1831I2

कुल रकबा जो सिंचित हुआ वह निम्न है:—

| सांगोद | खानपुर |
|---|---|
| 2879) 3 | 3239) बीघा |

(खाद्य मंत्री)

लेवी नहीं लगाने का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

7. यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अग्नि-दुर्घटनायें

549. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष ग्रीष्मकाल में तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम चौथ का बरवाड़ा तथा तहसील खण्डार के ग्राम मोरडूंगरी में अग्नि दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में अग्नि काण्ड कब कब हुए और किन किन परिवारों को कितनी कितनी क्षति हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अग्नि काण्डों की सूचना जिला अधिकारियों को कब कब प्राप्त हुई और उनके द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए?

(3) इन अग्नि काण्डों से प्रभावित व्यक्तियों को क्या कोई सहायता अब तक पंचायत समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गई है? यदि हां, तो प्रति परिवार कितनी कितनी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

ट्रेक्टर की खरीद के लिए पेशगी

550. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उमरेण (अलवर) द्वारा एक प्रस्ताव इस आशय का पारित किया गया था कि जो भी व्यक्ति पंचायत समिति का ट्रेक्टर खरीदेगा उसकी रकम पेशगी जमा करावेगा? यदि हां, तो क्या पंचायत समिति से ट्रेक्टर लेने वाले महानुभावों ने रकम पेशगी जमा कराई है? यदि नहीं कराई तो क्यों?

उत्तर

ट्रेक्टर खरीदने के लिए नहीं अपितु किराये के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और उसकी अनुपालना में निम्न 2 व्यक्तियों को छोड़कर अन्य से पेशगी रकम ली गई है:—

(1) श्री रघुवीरसिंह

(2) सुश्री उमा माथुर

टोंक जिले की पंचायतों की जीपों के ड्राइवर

551. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले की पंचायत समितियों में कितनी गाड़ियां (जीपें) हैं और उन पर कितने ड्राइवर हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि कई पंचायत समितियों में एक गाड़ी पर दो ड्राइवरों की नियुक्ति कर रखी है? यदि हां, तो किस पंचायत समिति में और उन ड्राइवरों को कौन से मद से वेतन दिया जाता है? क्या इसकी स्वीकृति राज्य सरकार या पंचायत समिति से ली गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मंत्री)

(2) दिनांक 3 जुलाई, सन् 67 से 16 अक्टूबर सन् 67 तक वर्क चार्ज पर एक ड्राईवर रखा गया था जिसका वेतन पंचायत समिति की निजी आय से दिया गया। स्थाई ड्राइवर का पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। वर्क चार्ज के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

### पंचायत समितियों के पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट

552. दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राजस्थान सरकार द्वारा जो एक सदस्य आयोग पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिये नियुक्त किया गया है, उसने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो कब तक दे दी जावेगी?

उत्तर

जी नहीं, आयोग की रिपोर्ट जून, 69 तक तैयार होने की आशा है।

### पंचायत कठूमर में रक्षाकोष की गायब रसीदें

553. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत कठूमर से रक्षा कोष की रसीद बुकें गायब कर दी गई थी?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

### ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा धर्मशाला के लिए बेची गई जमीन

554. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि कठूमर की पिछली ग्राम पंचायत ने स्कूल के पास वाली जमीन को श्री नत्थी लाल पुत्र श्री जगन्नाथ को अपने पिता की यादगार में धर्मशाला बनाने के लिए बेची थी?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान पंचायत ने उक्त जमीन को बिक्री को रद्द केवल इस आधार पर कर दिया कि उसकी कीमत कम थी?

(3) क्या यह सही है कि अब इस जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है?

(4) इस केस में बार बार पेशी में जाने आने आदि के खर्चे का देनदार कौन होगा?

(5) क्या यह सही है कि कठूमर पंचायत से पिछली पंचायत के फैसले को कई मिसलें गायब की गई हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ओडिट आक्षेप के कारण भूमि का विक्रय जिलाधीश द्वारा निरस्त किया गया।

(3) जी नहीं।

(पंचायत मंत्री)

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जी नहीं ।

### सरपंच खुडियाना को दी गई रकम का उपयोग

555 श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) से फतहपुर ग्राम की तलाई के सरपंच खुडियाना को रकम दी जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो सरपंच खुडियाना को कितनी रकम दी गई और कब ?

(3) क्या इस रकम का उपयोग जिस कार्य के लिये यह रकम दी गई थी हो गया है ? और नहीं हुआ, तो क्यों ?

(4) यदि इस रकम का उपयोग हो चुका है तो क्या पंचायत समिति को इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) मिल चुका है ?

उत्तर

1– जी नहीं ।

2– प्रश्न ही नहीं उठता ।

3– प्रश्न ही नहीं उठता ।

4– प्रश्न ही नहीं उठता ।

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव का स्टाफ

556. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ (अलवर) की डिस्पेंसरी के डाक्टर का स्थानान्तरण हुए कई माह हो चुके हैं परन्तु उनके स्थान पर दूसरा डाक्टर अभी तक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि रामगढ से 6 मील दूर नौगांवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी आज तक पूरा स्टाफ नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । डा. एस. सी. दत्ता राय दिनांक 1-10-67 से कार्य कर रहे हैं ।

(2) जी नहीं । इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत पूरा स्टाफ कार्य कर रहा है ।

### परिवार नियोजन अभियान

557. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में परिवार नियोजन अभियान में अब तक कुल कितने नर नारियों के आपरेशन, कितने लूप आदि लगाए गए और उसमें राज्य सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) राजस्थान में जितने आपरेशन नर नारियों के हुए उसमें मुस्लिम, ईसाई एवं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
हिन्दू जाति के कितने कितने व्यक्तियों ने आपरेशन करवाए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में 1956 से जुलाई, 1968 तक निम्न आपरेशन हुए हैं व लूप लगाये गये:--

| | |
|---|---|
| 1–पुरुष नसबन्दी | 76,662 |
| 2–महिला नसबन्दी | 20,041 |
| 3–लूप प्रविष्ट | 58,316 |

राजस्थान में परिवार नियोजन प्रोग्राम पर 1956 से 1967-68 तक कुल 212.42 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(2) पिछले वर्षों में नसबन्दी एवम् लूप के आंकड़ों का जातिवार संकलन करने का प्रावधान नहीं था। 1967-68 से ही इस प्रकार के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं। सीमित सर्वेक्षण के आधार पर प्रति हजार आबादी पर जातिवार नसबन्दी के आंकड़े निम्न प्रकार आते हैं:—

| | |
|---|---|
| हिन्दू | 1.9 |
| ईसाई | 3.2 |
| मुसलमान | 0.4 |

अनोपसागर में फील्ड फायरिंग जोन आदि के लिए ली गई भूमि

558. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या बीकानेर के तहसीलदार ने सन् 65-66 में अनोपसागर में अनुसूचित जाति के काश्तकारों को फील्ड फायरिंग व मेन्योरिंग के लिये उनके खेत डेन्जर जोन में आने के कारण अपने खेतों से बेदखल किया था ? यदि हां, तो ऐसे काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें। डेन्जर जोन किस तारीख के गजट में घोषित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि हिज हाईनेस महाराजा करणीसिंह जी का भंवरगढ़ भी उक्त डेंजर जोन में स्थित है ? यदि हां, तो उक्त हरिजन काश्तकारों के साथ क्या उन्हें भी बेदखल करने की कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त बेदखल किये गये हरिजन काश्तकारों को बेदखल करने के पूर्व कोई मुआवजा फील्ड फाईरिंग व मेन्योरिंग एक्ट के तहत बने नियमों के नीचे दिया गया था ? यदि नहीं, तो अब उन्हें उक्त मुआवजा, कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त हरिजन काश्तकारों को गत वर्ष बीछवाल के रकबे के काश्त के लिये भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान टीनेन्सी नियमों में गोचर की जमीन को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के अधिकार कलेक्टर को प्राप्त हैं ? यदि हां, तो पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी उन्हें उक्त जमीन एलाट करने में क्या ऐतराज है ?

(6) क्या यह सही है कि बीछवाल में करीब 33,000 बीघा जमीन है जिसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो पशुओं के लिए आवश्यक जमीन को गोचर

(श्री केदारनाथ)
रखते हुए सरप्लस जमीन को कृषि भूमि में परिवर्तित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(7) क्या यह सही है कि बीछवाल में ही वेटरनरी कालेज बीकानेर ने दो सफल ट्यूब वेल का भी निर्माण किया है और उससे सफलतापूर्वक काश्त कर रहे हैं ?

(8) एक्सप्लोरेटरी–ट्यूबवेल आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भी बीछवाल भूमिगत पानी (अन्डर ग्राउन्ड वाटर) के बाहुल्य को देखते हुये क्या राज्य सरकार बीछवाल की गोचर में काम न आ रही सरप्लस जमीन को कृषि भूमि में परिवर्तित करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, काश्तकारों की सूची (क) संलग्न है। डेन्जर जोन घोषित करने की कार्यवाही चल रही है।

(2) महाराजा करणीसिंह जी का भंवरगढ़ डेंजर जोन में नहीं आता है। अतः बेदखल करने की कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) बेदखल किये गये काश्तकारों की भूमि पर बने उनके झोंपड़े कुंड आदि की जांच हो रही है और मुआवजे का तखमिना लगाया जा रहा है। जिसके पूरा होने पर मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां, किन्तु इस आवंटन के विरुद्ध सिविल कोर्ट से स्टे हो जाने के कारण काश्तकार भूमि का कब्जा न पा सके।

(5) जी हां। विशेष परिस्थितियों में यह भूमि अधिकतर नगरपालिका के 6 मील के भीतर है जिसके आवंटन पर प्रतिबन्ध है, दूसरे नजदीक के गांवों म भूमि उपलब्ध है।

(6) ग्राम बीछवाल की 33,536॥) बीघा (खाम) भूमि गोचर भूमि है। इसमें से 15181 बीघा 15 बिस्वा (खाम) विविध विभागों, संस्थाओं को आवंटित है। शेष 18,3[illegible]4) बीघा 1[illegible] बिस्वा भूमि में लगभग 30,0[illegible]0 पशु चरते हैं। अतः कृषि में परिवर्तित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) बीछवाल क्षेत्र में वेटरनरी विद्यालय के डिमांस्ट्रेशन फार्म के लिए 200 एकड़ भूमि दी गई है जिस पर ट्यूबवेल लगा हुआ है। उसकी सफलता होने या न होने के बाबत इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**अनधिकृत कब्जों को रेगुलराइज करने के आदेश**

559. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये हुए काश्तकारों का जमीन का रेगुलराइजेशन किये जाने बाबत क्या क्या आदेश कब कब जारी किये गये हैं और फाइनल आदेश में रेगुलराइजेशन करने की आखिरी तारीख कब्जा क्या मानी गई है ?

(2) रेगुलराइजेशन के बाबत समय समय पर आदेश देने व मयाद बढ़ाते रहने के क्या कारण थे और इन आदेशों का क्या असर हुआ है ?

# Page No. 54



(श्री जुझारसिंह)

(3) रेगुलराइजेशन के लिए ऐसे काश्तकारों को जिनका नाजायज कब्जा निश्चित की हुई तारीख से पूर्व का, उनके द्वारा भुगताये गये जुर्माने का अदालती केसेज से साबित होता है केवल अवधि के अन्दर अर्जी पेश नहीं होने के कारण रेगुलराइज नहीं करने में सरकार का क्या प्रयोजन है और वास्तविकता के मुकाबले में प्रोसीजर को महत्व क्यों दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि झालावाड़ व कोटा जिले में बहुत से काश्तकारों की कास्त केवल इस लिए रेगुलराइज नहीं की जा रही है कि उन्होंने समय पर एप्लीकेशन उनकी अज्ञानता वश नहीं पेश की है ? मियादी तारीख के पूर्व के कितने अनधिकृत कब्जों पर केसेज अदालतों में अभी तक चल रहे हैं ?

(5) क्या सरकार वास्तविक कब्जे को आधार मान कर ऐसे काश्तकारों की जमीन रेगुलराइज करने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

### सांगोद व रामगंज मंडी के शामलाती खातेदारों की भूमि

560. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील सांगोद व रामगंज मंडी में ऐसे कितने संयुक्त कृषक परिवार हैं जिन्होंने पिछले पांच सालों में अपनी जमीन को परिवार के सदस्यों में विभाजित किया है व रजिस्ट्रियां करवा ली हैं और अब उनको अलग अलग नहीं मानकर सरकार द्वारा पिछले तीन सालों का सरचार्ज उनसे इकट्ठा मांगा जा रहा है ?

(2) इन तहसीलों में शामिलाती खातेदारों द्वारा अपने खाते अलग करवाने की कितनी दरख्वास्तें कितने कितने सालों से एस.डी.एम. कोर्ट, रामगंज मंडी में विचाराधीन हैं और उनके खाते अलग अलग नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार शामिलाती खातेदारों द्वारा अलग कर लिये गये अलग रजिस्टर्ड खातों पर से जो अब सरचार्ज की मियाद में नहीं आते सरचार्ज लेना बन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील सांगोद में 18 परिवार है। रामगंज मन्डी में नहीं है।

(2) ऐसी 67 दरख्वास्तें पेन्डिग हैं। रामगंज में 21 तथा सांगोद में 46

| | |
|---|---|
| 1964 के | 2 |
| 1965 के | 19 |
| 1966 के | 8 |
| 1967 के | 10 |
| 1968 के | 28 |
| | 67 |

इस प्रकार के खातों को जांच करके ही उन्हें नियमानुसार अलग अलग इन्द्राज किया जा सकेगा।

(3) यदि शामिलाती खाता अलग अलग आसामियों द्वारा धारित है और वे उनका नियमानुसार पार्टीशन कराकर राजस्व अभि-

(राजस्व मंत्री)

लेखों में इन्द्राजात करा लेते हैं तो भू-राजस्व पर दी गई सरचार्ज की सीमा से भूमि कम होने पर नियमानुसार सरचार्ज नहीं लग सकेगी।

तहसीलों एवं जिलों का पुनर्गठन

561. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के पास तहसील व जिला पुनर्गठन का प्रश्न अब भी विचाराधीन है? यदि हां, तो मोटे तौर पर किन किन आधारों पर तहसील व जिलों का पुनर्गठन किया जावेगा और कब तक?

(2) सरकार द्वारा पांच साल पूर्व तहसीलों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर किया गया था? कुल कितनी और कौन कौन सी तहसीलों को कम करने का सरकार के सामने सुझाव रखा गया था? उन में से कितनी और कौन कौन सी तहसीलों को कम किया गया और इस कमी से सरकार के खर्च में कुल कितनी कमी हुई?

(3) पांच साल पूर्व पुनर्गठन के सिलसिले में जिन तहसीलों को तोड़ दिया गया उनमें से कितनी वापस कायम कर दी गई हैं? कितनी जगहों पर नायब तहसीलें व सब-ट्रेजरी कायम कर दी गई हैं और कितनी जगहों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कृपया मय नाम व तारीख के अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(4) टूटी हुई तहसीलों के स्थान पर नयी व्यवस्था करने के बाद सरकार के खर्चे में कितनी बढोतरी हुई है और औरीजनल खर्चे के मुकाबले में यह कितनी कम या ज्यादा है? अब व पांच वर्ष पूर्व का सालाना खर्चे का तुलनात्मक हिसाब सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) फिलहाल सरकार ने एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की है जो तहसील व पंचायतों की सीमाओं को कोटरमिनेस करने के सम्बन्ध में जिस आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा उस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि संलग्न है। जिलों के पुनर्गठन का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) पूर्व में जो जिला व तहसीलों के पुनर्गठन के लिये जो समिति बनी थी, उसको यह निर्देश दिया गया था कि लोक कार्य का निपटारा करने में अधिक दक्षता और विकास कर्मो के निष्पादन में शीघ्रता सुनिश्चित करने की दृष्टि से तहसीलों आदि के पुनर्गठन की सम्पूर्ण समस्या की जांच की जावे और तहसील का इस प्रकार पुनर्गठित किया जाय कि उनके क्षेत्राधिकार वे ही हो जो विकास खण्डों में क्षेत्राधिकार के रूप में नियत किये गये हैं।

उस समिति ने जिन तहसीलों को हटाये जाने का प्रस्ताव रखा था उसकी सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है जिन तहसीलों को राज्य सरकार द्वारा कम किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट (ख) के रूप में संलग्न है। खर्चे में अनुमानतः 1,79,353 रु. की बचत हुई।

(3) जो तहसीलें तोड़ी गयी थी उनमें से बनेड़ा तहसील आदेश संख्या एफ. 6(62) रा।ग।ग्रु.प2–64 दिनांक 27-3-65 को पुनः कायम की गई इसके अतिरिक्त अन्ता तहसील

(राजस्व मंत्री)

जो तोड़ी गई थी, के स्थान पर अन्ता सब तहसील आदेश संख्या एफ. 2(69)रा ग।66 दिनांक 25-1-67 को कायम की गई। नाचना व रामगढ़ जिला जैसलमेर में सब तहसीलें कर दी गई इन स्थानों पर कहीं भी सब ट्रेजरी नहीं खोली गई है।

(4) तहसीलें तोड़े जाने से कमी अवश्य हुई किन्तु खर्चे में बढ़ोतरी होती रही जिसका तुलनात्मक विवरण संलग्न प्रस्तुत है खर्चे में बढ़ने के निम्न कारण हैं:—

(1) कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि।

(2) गंगानगर में तीन नई तहसीलें कायम किये जाना।

(3) बनेड़ा में दुबारा तहसील कायम करना।

(4) अन्ता, रामगढ़ व नाचना में सब-तहसीलें कायम की गई।

(5) कन्टिनजेन्सी के खर्चे में बढ़ोतरी होना।

पांच साल के खर्चों के तुलनात्मक आंकड़ों का विवरण

| वर्ष | अनुमानित व्यय | वास्तविक व्यय | फर्क |
|---|---|---|---|
| 1962–63 | 1,00,90,000 | 99,70,414 | — |
| 1963–64 | 97,25,000 | 97,91,061 | –1,79,353 |
| 1964–65 | 96,17,000 | 1,04,57,434 | +6,66,373 |
| 1965–66 | 1,04,70 000 | 1,08,44,105 | +3,86,671 |
| 1966–67 | 1,09,69,000 | 1,20,29,343 | +11,85,238 |

[सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

अलवर जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

562. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कलेक्ट्री अलवर के जिन कर्मचारियों को राज्य सेवा में 10-12 साल हो चुके हैं उनकी वरिष्ठता सूची कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा इन कर्मचारियों के स्थाईकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उत्तर

कलेक्ट्रेट अलवर के जिन कर्मचारियों को राज्य सेवा में 10-12 साल हो चुके हैं उनकी वरिष्ठता सूची पूर्ण हो चुकी है तथा इन कर्मचारियों का स्थायीकरण भी हो चुका है।

# Page No. 57



**सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर का हवाई जहाज का लैंन्डिग ग्राउन्ड**

563. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर के पास हवाई जहाज का पुराना लेन्डिग ग्राउन्ड फैक्ट्री में शामिल किए जाने के कारण नया लेन्डिग ग्राउन्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो यह लैंडिग ग्राउन्ड किस साल बनाया गया ? और इसका रकबा क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नये लैंडिग ग्राउन्ड में खातेदारान काश्तकारान की जमीन एक्वायर की गई है ? यदि हां, तो किस किस काश्तकार की किस वर्ष कितनी कितनी भूमि ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि काश्तकारान को अभी तक न तो जमीन की एवज में जमीन दी गई और न भूमि का मुआवजा ही ? यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) जिनकी जमीनें इस न्यू लैंडिग ग्राउन्ड में काम आई हैं उन्हें मुआवजा व जमीन दिलाए जाने के बारे में राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह लैंडिग ग्राउन्ड सन् 1956 में बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल 91 बीघा है ।

(2) अभी तक एक्वीजीशन की पूर्ण रूपेण कार्यवाही नहीं हो पाई है जिन जिन काश्तकारों की भूमि में यह लैंडिग ग्राउन्ड बना है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं होने के कारण अभी तक मुआवजा निर्धारित नहीं हो पाया है । मामला चल रहा है ।

(4) मुआवजा दिलाये जाने की कार्यवाही चल रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

**ग्राम रेटोदा में जमीन का बेचना**

564. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नैनवा के ग्राम रेटोदा के तालाब के पेटे की जमीन करीब 25 बीघा सरपंच व पटवारी ने बेच दी ?

(2) यह जमीन किस को बेची गई और कब बेची गई ?

(3) क्या जिन व्यक्तियों को यह जमीन बेची गई है उनके खाते इन्द्राज कर दी गई है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं कि यह जमीन बंजर के नाम पर खाते बांधी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(राजस्व मंत्री)

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि देने की नीति

565. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व (अब अवकाश प्राप्त) सैनिकों को बसाने हेतु बिना कीमत लिये कृषि भूमि देने की सरकार की नीति है।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि भूमि देते समय यह शर्त लगाई जाती है कि सैनिकों को अलाट की गई भूमि की कीमत चुकानी पड़ेगी? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को काश्त के लिए भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अधीन भूमिहीन किसान की हैसियत से बिना कीमत भूमि आवंटित की जाती है।

(2) जी नहीं।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र अथवा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भूमि विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कीमत पर दी जाती है।

भरतपुर के सिंचाई खण्ड

566 श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर सिंचाई खण्ड में कितने उप खण्ड हैं? उप खण्डों में कितना कितना कार्य भार है? क्या यह कार्य भार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए कार्यभार के अनुकूल है?

(2) क्या यह सच है कि अस्थाई उप खण्ड नं. 3 व 4 का कार्यभार निर्धारित किये हुए कार्यभार से कहीं कम है? यदि हां, तो इन उप-खण्डों को क्यों कायम रक्खा जा रहा है? क्या सरकार इन उप-खण्डों का कार्य स्थाई उप-खण्डों को सौंप कर इन्हें बन्द करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भरतपुर सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-खण्ड हैं।

सिंचाई उप-खण्ड नं. 1, 2, 3, 4 भरतपुर तथा उप-खण्ड धौलपुर, सिंचाई उप-खण्ड गुड़गाव कैनाल कामां है।

उपरोक्त उप-खण्डों में निम्न कार्य भार हैं:—

उप खण्ड नं. 1—इसके अन्तर्गत तहसील नदबई, वैर कुम्हेर के स्थित लगभग 52 बांध व 181 मील लम्बी नहर है इन बन्धों व नहरों से सिंचाई का कार्य भी इसी खण्ड को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन बांधों का जीर्णोद्धार व नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य इसी उप-खण्ड द्वारा किया जा रहा है। इस उप खण्ड का खास कार्य यह है कि उपरोक्त सब बन्धों को नदी के पानी से और लोकल केचमेन्ट से समय समय पर भर लें और उसको भली प्रकार सिंचाई के कार्य में लान

# Page No. 59



(सिंचाई मंत्री)

और यह देखना कि इन बांधों के टूटने की वजह से और बाण गंगा के अधिक बाढ़ के पानी के नीचे जाने से भरतपुर शहर तथा अन्य गांवों में बाढ़ का संकट पैदा न हो जाय। इस साल उपरोक्त बन्धों में से बहुत से बन्धों का रेस्टोरेशन का कार्य जो बाकी रह गया है उसका पूरा करना और गोवर्धन ड्रेन को चोड़ा व गहरा करने का कार्य करना है। और यह कार्य भार उपरोक्त नहरों व बन्धों की मेन्टीनेन्स व रिपेयर्स के अलावा इस उप-खन्ड को पूरी तौर से व्यस्त रखाने के लिए काफी है।

उप खण्ड नं. 2–इस उप खण्ड के अन्तर्गत बयाना, रूपवास, भरतपुर तहसील के स्थित बन्ध 45 तथा 120–55 मील नहरें हैं इन सब बन्धों व नहरों के द्वारा सिंचाई कराना और इनकी मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य इस खण्ड के अन्तर्गत है इस उप खण्ड का मुख्य कार्य यह है कि गम्भीर नदी के बाढ़ के पानी को अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न बन्धों में भरकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना और भरतपुर शहर तथा अन्य गांवों को बाढ़ के खतरे से बचाना उपरोक्त बन्धों व नहरों में से अधिकतर बन्ध व नहरों का जीर्णोद्धार तथा सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति में है। यह कार्य इस उप खण्ड के लिए पर्याप्त है।

उपखंड नं. 3–इस उपखंड के अन्तर्गत निम्न कार्य हैः–

(1) भरतपुर शहर को बाढ़ से बचाने और बाढ़ के पानी से भरे हुए क्षेत्रों को समय समय पर निकालने के लिए सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन के कार्य को पूरा करना।

(2) भुखारा, मलाया, नहर तथा होम्स की नहरों का जीर्णोद्धार तथा सुधार करना।

(3) चिकसाना बांध की वेस्ट वियर को सुधार।

उपरोक्त कार्यों की अनुमानित लागत करीबन 47 लाख रुपया है और इस साल अभी तक 8 लाख 93 हजार रुपया खर्च हुआ है इस उपखंड के पास कार्य काफी हैं।

उपखंड नं. 4–इस उपखंड के अन्तर्गत निम्न कार्य हैः–

बाढ़ के पानी को रबी की फसल की जुताई के समय से पूर्व निकालने और भरतपुर शहर तथा औद्योगिक क्षेत्र को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए एक स्कोप चैनल का मोती झील बन्ध से सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन तक का निर्माण।

(2) निरोज केनाल के बैंकों को मजबूत कराना और उसका सुधार।

(3) सेइ, बोरई, मांडोर, बन्धों की ऐस्केपिंग केपेसिटी बढाना और जबान नहर और होम्स केनाल के क्रोसिंग पर साईफन की केपेसिटी बढाना। इन उपरोक्त कार्यों का अनुमानित मूल्य 40.70 लाख है। जिसमें इस साल करीबन 12 लाख का कार्य हो चुका है। उपरोक्त कार्य भार इस उप खण्ड के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है।

उपखंड धौलपुर–इस उपखण्ड के अन्तर्गत निम्न कार्य हैः–

(1) 15 बांध तथा 266 मील लम्बी नहरों की मरम्मत कराना तथा उनका जीर्णोद्धार कराना और उनके द्वारा सिंचाई

(सिंचाई मंत्री)

कराना है इसमें एक ही बांध पार्वती औसतन 27 हजार एकड़ की सिंचाई करता है।

(2) निम्न फ्लड ड्रेनों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण सुधार:—

1. पार्वती मुख्य नहर से पार्वती नदी तक।

2. विरोदा ड्रेन

3. रामाखेड़ा बाढ नियंत्रण ड्रेन

4. बोरोली ड्रेन

5. बन्दपुरा ड्रेन

6. जाली ड्रेन

यह कार्य इस उपखण्ड के लिए पर्याप्त है।

उपखंड गुडगांवा केनाल—यह उपखण्ड के निम्नलिखित कार्य अलवर खण्ड के गुडगांवा केनाल के निर्माण कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य की देख रेख करता है:—

(1) तहसील डीग, नगर, कामां में स्थित 40 गांव और 122 मील लम्बी नहरों की मरम्मत जीर्णोद्धार कार्य और इन बांधों से सिंचाई करने का काम है। उपरोक्त 6 उपखण्डों के पास पर्याप्त कार्यभार है और किसी भी उपखण्ड में कार्यभार कम नहीं है।

(2) अस्थाई उपखण्ड नं. 3 व 4 का कार्यभार निर्धारित किये हुए कार्यभार से अधिक है। जो कार्य इन दोनों अस्थाई उपखण्डों में प्रगति में है यह फरवरी में है यह फरवरी सन् 1970 तक खत्म हो जायेंगे और उसके तत्पश्चात यह सब निर्मित कार्य स्थाई उपखण्ड नं. 1 व 2 को सौंप दिये जायेंगे।

ईटावा बमल तातड़ा बांध का सर्वे

567. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि 'ईटादा-बमल-तांतडा' नामक सिंचाई बांध का सर्वे हो चुका है? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सत्य है कि दो वर्ष पूर्व अकाल राहत कार्य में इसका कार्य शुरू होने को था? अगर हां, तो शुरू क्यों नहीं किया गया?

(3) इस बांध की अनुमानित क्या लागत होगी?

(4) क्या यह सत्य है कि इस बांध से भीनमाल एवं सांचोर दोनों तहसीलों का उत्पादन की दृष्टि से फायदा होगा?

(5) उपरोक्त बांध निर्माण का कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा? इसका कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सर्वे अभी हो रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) इस बान्ध की अनुमानित लागत सर्वे सम्पूर्ण होने के बाद पता लगेगी।

(4) सांचोर तहसील में जोधावास, बमल, वाली इटादा और तांतड़ा गांवों का बाढ़ से बचाव हो जायेगा तथा कुछ भूमि भी इनन्डेशन होगी।

(सिंचाई मंत्री)

(5) सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही कुछ कहा जा सकता है ।

सतवाड़ी बांध से खैरावा तक ड्रेनेज

568. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सतवाड़ी बांध से पहले एक ड्रेनेज कैनाल को खैरावा तक निकाला गया था ?

(2) क्या यह सही है कि आज भी कहीं कहीं पर उसके निशानात मिलते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कैनाल से ग्राम मल्लाहका, भैसेंडा, सरवरका और सखरेल को बाढ़ से बचाये जाने का उद्देश्य था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त कैनाल की मरम्मत नहीं कराई जाती जब कि उपरोक्त चारों ग्रामों को सतवाड़ी बांध का पानी बरबाद करता है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त लिंक ड्रेन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, कैनाल का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद तखमीना बनाकर काम प्रारम्भ करवाये जाने की संभावना है ।

(4) सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद तख्मीना बनाकर काम प्रारम्भ कराये जाने की संभावना है ।

सीकरी बांध की नहरों के पानी से फसलों को क्षति

569. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 67—जनवरी, 68 में वर्षा से सीकरी बांध की नहरों से पानी चला है ? यदि हां, तो किन किन नहरों से किस किस ग्राम को और किस किस ग्राम की कितनी कितनी बीघा (एकड़) फसल रबी नष्ट हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार उक्त भूमि का आबियाना वसूल करेगी ? यदि हां, तो क्यों, जब बजाय फायदे के उक्त पानी से उलटा किसानों का नुकसान हुआ ?

(3) वसूल किये जाने वाले आबियाना की राशि कितनी होगी ?

उत्तर

(1) जी हां इस प्रकार नष्ट हुई फसल को सिंचाई विभाग द्वारा इन्द्राज नहीं किया जाता है । अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । केवल उसी फसल पर आबियाना कायम किया है जो नष्ट नहीं हुई है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

हथीन माइनर

570. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हथीन माइनर खेरावा बांध तक आती थी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि हथीन माइनर अब केवल लाडला तक ही आती है और आगे बिलकुल नष्ट हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त माइनर के नष्ट हो जाने से अब ग्राम लाडला का कलवरिया, सबलगढ़, जुरहरा रूंध-हुलताना का 50 प्र. श. से अधिक रकबा आज तक डूब में है ? यदि हां, तो आगे कब तक रहेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त माइनर का पुनः निर्माण करा कर उक्त ग्रामों को बाढ़ के संकट से बचाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इसकी सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अधिक वर्षा के सालों में डूब में रहता है।

(4) जी हां, नहर के बन्द होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

कैथवाडा-पीपलकेड़ा मार्ग पर नहरों के काटने से क्षति

571. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांध डरावना से बांध रांध को नहर द्वारा पानी पहुँचाया जाता है और उक्त नहर पर कैथवाड़ा से पीपलखेडा रास्ते पर पक्का पुल बना हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल बिलकुल टूट चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल के दोनों तरफ से नहर को काट कर रास्ते निकाले गये हैं ?

(4) क्या यातायात की कठिनाइयों को देखते हुए और नहर काटे जाने की हालत को देखते हुए सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या उक्त पुल के टूटने की भी रिपोर्ट मिली है ? यदि नहीं तो क्या सरकार वहां के ओवरसीयर के खिलाफ एक्शन लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पुल की छत डाटदार है और उसके कुछ पत्थर निकल गये हैं।

(3) जी हां।

(4) पुल की मरम्मत का कार्य चालू कर दिया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

(5) इस पुल की डाट व पेरापेट कुछ समय पहिले से गिरे हुए हैं जिसकी मरम्मत एम0 एण्ड आर0 के फण्ड की कमी होने के कारण नहीं की गई अब मरम्मत की जा रही है। ओवरसीयर के खिलाफ एक्शन होने का प्रश्न नहीं उठता।

गंगासागर बांध की मरम्मत

572 श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) तहसील नैनवा के गंगासागर बांध की मरम्मत का ठेका किस को और कितने में दिया गया है ? और इसका काम कब तक पूरा हो जायगा ?

(2) इस बांध का केचमेंट एरिया कितना है और कमान्ड एरिया कितना है ? और यह किस किस ग्राम की जमीन को आबपाशी करता है ?

(3) क्या सरकार इसको ऊंचा करने को योजना रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील नैनवा के देई गंगासागर बांध के मरम्मम व ऊंचा करने का ठेका श्री दोनानाथ ठेकेदार को 94,131) रु0 में दिनांक 12-5-65 को दिया गया था ? इस कार्य के इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

(2) इस बांध का केचमेन्ट एरिया 6 वर्ग मील है, व कमाण्डेड एरिया 373 एकड़ है। इस बांध से ग्राम देई व गणेशपुरा को जमीन सिंचित होगी।

(3) इस बांध को $1\frac{1}{2}$ फुट ऊंचा किया जा रहा है, जो कि इसी ठेके में शामिल है।

नहरों का लाइनिंग कार्य

573. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में नहरों का लाइनिंग कहां कहां करवाया गया है ? जिलेवार बतलावें।

(2) बूंदी के गुढा बांध की नहरों का लाइनिंग कब कब कराया गया और इस पर अब तक सरकार द्वारा कितनी रकम लगाई जा चुकी है ? और अब कितना लाइनिंग करना शेष है ?

(3) काम कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस बांध को ऊंचा किया जा सकता है ताकि इसके कमाण्ड एरिया को पूर्णतया पानी दिया जा सके ?

उत्तर

(1) विस्तृत सूची संलग्न है।

(2) सन् 1961-62, 62-63, 63-64, 65-66, 66-67, 67-68 व 68-69 में जिस पर 1,93,249/- रुपया खर्च हुआ। बने हुये नहरों के भाग में जहां लाइनिंग आवश्यक होगी, किया जायेगा।

(3) कार्य वित्तीय प्रावधान के अनुसार किया जाता है। अतः निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

(सिचाई मंत्री)

(4) फिलहाल नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(5-9-68)

**केशवराय पाटन की कृषि मण्डी के गांव**

256. श्री नन्दनलाल बैरवा (पाटन-सु.) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन जिला बूंदी में पाटन–बूंदी रोड़ ईश्वर नगर, खराइता, लवान कापरेन कृषि मण्डी में आते हैं?

(2) यदि हां, तो कितनी कितनी जमीन व कौन कौन से खसरा नम्बर आते हैं? प्रत्येक गांववार खसरा नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कृषि मण्डी नामक कोई संस्था बूंदी जिले में नहीं है बल्कि कृषि उपज मण्डी समिति एक संस्था अवश्य है।

(2) उपनिवेशन विभाग का सम्बन्ध मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना से है, जिसका मुख्यावास कोटा है। कृषि उपज मण्डी का सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(9-9-1968)

**सेम्पल की वस्तुओं की खरीद पर व्यय**

324. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) फूड एवं हैल्थ इन्सपेक्टर्स ने सेम्पल से वस्तुएं खरीदने हेतु अब तक पिछले पांच साल में कितनी राशि व्यय की है? जिलेवार व वर्षवार आंकड़े बताये जावें।

(2) क्या सेम्पल के माल से सरकार के खजाने में बाद में पुनः कोई राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी? वर्षवार आंकड़े विगत पांच साल के दिये जावें।

(3) सेम्पल के प्रयोग में ली जा चुकी जो तीन तीन शीशियां होती हैं, उनमें से जो शीशी माल विक्रेता को दी जाती है, वैसी कितनी शीशियां अब तक विक्रेताओं को दी गई एवं कितनी उनमें से वापिस प्राप्त हुई? कितनी प्राप्त होनी बाकी है? शीशियों का ब्यौरा जिलेवार दिया जावे।

उत्तर

(1) सूची सलंग्न है।

(2) जी हां, केवल उदयपुर जिले में सन् 1958 सन् 1965 तक के सेम्पल का माल 1966 में बेचा गया जिसका रुपया 130-10 न. पै. सरकार के खजाने में जमा हुआ। शेष जिलों में इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) सूची सलंग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(9-9-1968)

**तहसील टोंक के ग्रामों की चरनोट भूमि**

353. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील टौंक के गांव पीपलू, दौलतसागर, झाडी कलां, मूडिया आदि की जो चरागाह भूमि नहरी एरिया में आ गई है उसको खेती के लिए एलॉट करने के प्रार्थना-पत्र गत तीन वर्षों से गांवों के भूमि-हीन किसान देते आये हैं पर भूमि को चरनोट बता कर अलॉट नहीं करते हैं ? यदि हां, तो इस भूमि को चरनोट से निकाल कर कब तक कमांड एरिया में शामिल की जाकर अलॉट की जावेगी ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न
(9–9–1968)

**टीटनवाड के गेहूं एवं चीनी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही**

362. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू के ग्राम टीटनवाड के निवासी श्री जगमालसिंह को लिखित शिकायत पर टीटनवाड़ के आयातित गेहूँ के विक्रेता श्री दोनदयाल महाजन एवं चीनी विक्रेता के विरुद्ध झुंझुनू के सहायक जिला सप्लाई अधिकारी ने जांच की थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने जांच कब की ? उस जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर गेहूँ विक्रेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में कन्ट्रोल के गेहूँ व चीनी विक्रेताओं के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो किस किस प्रकार के आरोप लगाये हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सहायक जिला रसद अधिकारी झुंझुनू ने जांच दिनांक 6–10–64 को की थी।

(3) जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि गेहूँ विक्रेता श्री दीनदयाल महाजन के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) गेहूँ विक्रेता के विरुद्ध जांच के आधार पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

चीनी विक्रेता श्री हनुमान राम के विरुद्ध निम्न तथ्य पाये गये :—

(1) चीनी वितरण न कर ब्लैक में बेचने बाबत,

(2) राशन कार्डों में फर्जी चीनी का इन्द्राज करने बाबत,

(3) राशन कार्डों को सदस्य संख्या घटाने एवं बढ़ाने बाबत,

(4) परिचय पत्रों को अलग अलग नामों से एक ही माह में वितरण रजिस्टर में दर्ज कर चीनी वितरण बताया।

# Page No. 66



(खाद्य मंत्री)

उक्त आरोपों के आधार पर चीनी विक्रेता के विरुद्ध थाना गुढ़ा गोरजी में दिनांक 28–11–64 को एफ. आई आर. दर्ज कराई गई थी। बाद जांच पुलिस द्वारा दिनांक 3–6–66 को अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। इसके अतिरिक्त श्री हनुमानराम के बजाय रसद विभाग झुंझुनूं द्वारा दूसरा डीलर नियुक्त किया जा चुका है।

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 484 की सूची)

तहसील द्वारा अल्प बचत सम्बन्धी एकत्रित धनराशि का ब्यौरा 1967—68.

| क्रमांक | नाम तहसील | ग्रोस | विड्रोल | नेट |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तहसील बांसवाड़ा | 2,56,203.60 | 96,587.60 | 1,59,616 |
| 2. | तहसील बागीदौरा | 32,911.00 | 3,696.00 | 29,215 |
| 3. | तहसील गढ़ी | 1,05,115.00 | 29,292.00 | 75,823 |
| 4. | तहसील घाटोल | 55,072.00 | 6,519.00 | 48,553 |
| 5. | तहसील कुशलगढ़ | 92,453.00 | 12,545.00 | 79,908 |
| | योग | 5,41,754.60 | 1,48,639.60 | 3,93,115 |

# परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

### जिला परिषद् के प्रमुख

490. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान विधान सभा में कौन कौन विधायक ऐसे हैं कि जो विधायक बन जाने के बाद भी जिला परिषद् के प्रमुख हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार दो पदों पर एक ही व्यक्ति को रखना प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ है? यदि हां, तो इस ओर राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी नहीं।

उन विधायकों की सूची जो कि विधायक बनने के बाद भी जिला परिषद् के प्रमुख हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | श्री सहदेव |
| 2. | भरतपुर | श्री रामकिशन |
| 3. | उदयपुर | श्री रोशनलाल |
| 4. | भीलवाड़ा | श्री यशवन्तसिंह |
| 5. | बाड़मेर | श्री गंगाराम चौधरी |
| 6. | जोधपुर | श्री खेतसिंह |

### ग्राम माटून्दां में आवंटित भूमि

491. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम माटून्दां, तहसील बून्दी में कितनी आराजी सन् 1966-67 व 1967-68 में आवंटित की गई?

(2) इस ग्राम में इन दो वर्षों के अन्दर कितनी भूमि भूमिहीनों को दी गई थी? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी है या उनके परिवार के सदस्य हैं? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने व्यक्ति बून्दी शहर के निवासी हैं और उनको कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम माटून्डा में सन् 1966-67 व 1967-68 में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। बल्कि नीलामी द्वारा भूमि विक्रय हुई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

**जिला बांसवाडा में अनधिकृत कब्जों के मामले**

492. श्री बिट्ठलभाई (पीपलखूंट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की ओर से किसानों के वन विभाग की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने के आरोप में कितने काश्तकारों के खिलाफ केस दायर किये गये है व किस किस रेन्ज में कितने ?

(2) क्या यह सही है कि कई केस रेवेन्यू विभाग की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने के मामलों में भी वन विभाग ने चालान अदालत में दिये हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन किसानों के ऊपर केस हुए हैं उनके बैल व हल भी जब्त करके अदालत में पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने ?

उत्तर

1. 1968–69 में अब तक 418 केस दायर किये गये, रेंज वार विवरण निम्न प्रकार हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| बांसवाड़ा | रेंज | 58 |
| घाटोल | ,, | 33 |
| कुशलगढ़ | ,, | 80 |
| डूंगरा | ,, | 148 |
| सालमगढ़ | ,, | 57 |
| शेरगढ़ | ,, | 14 |
| गढी | ,, | 28 |
| | | 418 |

2. जी नहीं।

3. जी हां। 12 केसेज में।

**पंचायत समिति कुम्हेर के सेवा मुक्त अध्यापक**

493. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्च सन् 1967 में पंचायत समिति, कुम्हेर के अन्तर्गत प्राथमिकशालाओं के कुछ अध्यापकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापकों का चयन पंचायत समिति व जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि ये लोग बेसिक एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं और इनसे 5 साल तक राज्य सेवा करने का बॉण्ड भरवाया गया था ?

उत्तर

(1) 16 अध्यापकों को सरप्लस कर दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) ये ट्रेण्ड थे। पंचायत समिति ने इनसे कोई बॉण्ड नहीं भरवाया था।

**भाखडा की राजस्थान नहर से जुडी नहरें**

494. श्री बीरबल (संगरिया सु.):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भांखडा की कौन कौन सी नहरों

(श्री बीरबल)

को राजस्थान नहर के पानी के लिए सम्बन्धित कर दिया गया है और कौन कौन सी बाकी है ?

(2) बकाया भाखड़ा नहरों को कब तक राजस्थान नहर के पानी के लिए सम्बन्धित कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि खारा ब्रांच को राजस्थान नहर से जोड़ने का खर्चा पंचायत समिति, हनुमानगढ़ देने को तैयार है और समिति ने प्रस्ताव पारित कर विभाग को सूचित कर दिया है ? अगर हां, तो उक्त ब्रांच को राजस्थान नहर से जोड़ने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

(4) क्या तलवाड़ा माइनर को भी राजस्थान नहर से पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध हो सकेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1. भाखड़ा की नोर्थ घग्घर और साउथ घग्घर नहरों को राजस्थान नहर के पानी से सम्बन्धित कर दिया गया है और खारा सिस्टम को अभी सम्बन्धित करना शेष है ।

2. भविष्य में इस सम्बन्ध में जब भी निर्णय लिया जावेगा उसी के अनुसार कार्य किए जावेंगे ।

3. जी हां, खारा ब्रांच को राजस्थान नहर से आने वाली खरीफ फसल से पूर्व जोड़ने की सम्भावना है ।

4. इस सम्बन्ध में अभी जांच नहीं की गयी है । यदि जांच करने के पश्चात् तलवाड़ा माइनर को राजस्थान नहर से पानी देना लाभदायक प्रतीत हुआ तो उसे राजस्थान नहर से जोड़ देने की कार्यवाही की जायेगी ।

पटवारियों की नियुक्ति

195. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जुलाई सन् 67 से जुलाई सन् 68 तक सवाई माधोपुर से कितने प्रत्याशी चयन कर पटवार ट्रेनिंग में भेजे गये और कितने अनट्रेण्ड नये पटवारियों की नियुक्तियां की गईं ।

(2) क्या ट्रेनिंग में भेजे गये अथवा नये नियुक्त पटवारियों को एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज द्वारा भेजी गयी लिस्ट के प्रत्याशियों में से ही चयन किया गया अथवा उनको भी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं था ? यदि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की लिस्ट से बाहर भी प्रत्याशी ट्रेनिंग के लिए चयन किये गए अथवा नये नियुक्त किए गए तो उनकी क्या संख्या है ? और ऐसा क्यों किया गया ?

(3) उक्त नये नियुक्त पटवारियों एवं ट्रेनिंग में भेजे गये पटवारियों में सवाई माधोपुर जिले के कितने प्रत्याशी लिए गये और जिले के बाहर के कितने और ऐसा किए जाने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) जुलाई सन् 1967 से जुलाई 1968 तक 24 प्रत्याशी चयन कर पटवार ट्रेनिंग में भेजे गये तथा 19 अनट्रेन्ड पटवारियों की उक्त अवधि में नियुक्ति की गई ।

(2) उपरोक्त अवधि में केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर समस्त नव नियुक्त पटवा-

(श्री राजस्व मंत्री)

रियों का चयन जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से अस्थायी तौर पर किया गया इस प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति पहले केवल एक मास के लिये अस्थायी तौर पर की गई तथा बाद में उसका चयन जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से कर लिया गया। पटवारियों के ट्रेनिंग में भेजे जाने अथवा रिटायर होने के कारण लम्बे अर्से तक इन जगहों को खाली रखना वसूली एवं अन्य महत्वपूर्ण राज्य कार्यों के हित में नहीं था।

(3) उपरोक्त अवधि में नियुक्त 57 पटवारियों में 7 बाहर के जिलों के हैं तथा ट्रेनिंग में भेजे गये 24 पटवारियों में से केवल 3 बाहर के जिले के हैं। इसका कारण प्रश्न के खण्ड 2 में उल्लिखित है।

वृद्धावस्था पेन्शन के मामले

496. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में बुढ़ापे की पेन्शन नियमों के तहत 1966–67 में कितने लोगों को पेन्शन स्वीकार की गई ?

(2) 1966–67 में अपाहिजों के पेन्शन देने के नियमों के अन्तर्गत कितने लोगों को राजस्थान में पेन्शन दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि बुढापे और अपाहिजों को पेन्शन के नियमों में यह अन्तर रखा गया है कि अपाहिजों के भाई जिन्दा होने पर अपाहिजों को पेन्शन नहीं मिल सकती जब कि यह शर्त बुढापे की पेन्शन के लिए नहीं है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार को मालूम है कि अपाहिजों को पेन्शन के नियम अधिक संकीर्ण होने के कारण बहुत कम अपाहिजों को पेन्शन मिल पाई है ?

(5) क्या सरकार अपाहिजों के पेन्शन के नियमों को बुढापे की पेन्शन के नियमों के समानान्तर बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वृद्धावस्था पेन्शन नियमों के अधीन सन् 1966–67 में कुल 1744 वृद्ध व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकार की गई है।

(2) राजस्थान अपाहिज पेन्शन नियमों के अधीन सन् 1966–67 में कुल 142 अपाहिज व्यक्तियों को पेन्शन दी गई।

(3) जी हां, अन्तर का कारण यह है कि वृद्धावस्था पेन्शन 65 वर्ष की उम्र या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है। अतः उनके भाई की उम्र भी इसी के लगभग होती है तथा ऐसी वृद्धावस्था में भाई से साधारणतया यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने वृद्ध भाई को कोई आर्थिक सहायता दे सके जब कि अपाहिजों के पेन्शन नियमों में 21 वर्ष या अधिक उम्र वाले को पेन्शन दी जा सकती है तथा ऐसी अवस्था में उसका भाई जो युवा होता है व जिससे यह आशा की जा सकती है कि वह अपने अपाहिज भाई की सहायता कर सकेगा।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(4) कोई विशेष संकीर्ण नहीं है, फिर भी सरकार इन नियमों को वृद्धावस्था पेन्शन के नियमों के समान बनाने पर विचार कर रही है।

(5) मामला सरकार के विचाराधीन है।

हिरनोदा में सहकारी भूमि पर नाजायज कब्जा

497. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन हिरनोदा जिला जयपुर के पटवार घर के पास श्री नारायण नामक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यक्ति ने आम रास्ते की जमीन भी दबाली है?

उत्तर

(1) जी हां, जिस भूमि पर मकान बनाया गया है वह आबादी भूमि पंचायत के अधिकार में है।

(2) जी हां।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के आपरेशन थियेटर

497. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) राज्य के 'अ' श्रेणी के अस्पतालों में सन् 1950 में कितने कितने मेजर आपरेशन थियेटर थे? 1967 तक आपरेशन थियेटर्स में कहां कहां कितनी वृद्धि की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में अब तक दो ही मेजर आपरेशन थियेटर हैं? अगर हां, तो अति आवश्यकता के बावजूद भी जोधपुर के आपरेशन थियेटर को बढ़ोत्तरी क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण इस पर विचार नहीं किया गया। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो भविष्य में विचार किया जावेगा।

–: प्रश्न के भाग एक की सूची :–

| क्र. सं. | (ए) श्रेणी के अस्पतालों के नाम | आपरेशन थियेटर की संख्या 1950 | आपरेशन थियेटर की संख्या में वृद्धि। 1967 |
|---|---|---|---|
| 1. | जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर | 2 | 3–5 |
| 2. | पी. बी. एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर } | 4 | 2–6 |
| 3. | पी. बी. एम. वूमेन्स अस्पताल, बीकानेर } | | |
| 4. | सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर | 2 | 3–5 |
| 5. | महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर } | 2 | 0–2 |
| 6. | उम्मेद अस्पताल, जोधपुर } | | |
| 7. | जनरल अस्पताल, उदयपुर | 3 | 0–3 |

**करौली में उप मंत्री के परिवार के व्यक्तियों के नाम आवंटित भूमि**

499. **केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आबकारी उप मन्त्री, श्री शिवचरणसिंह ने स्वयं अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम करौली पंचायत समिति में कितनी जमीन एलॉट करवा रखी है ?

**उत्तर**

श्री शिवचरण सिंह तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम महोली में कुल 196 बीघा 7 बिस्वा भूमि उन्हे आवंटित की हुई दर्ज है ।

**जलाऊ सूखी लकडी पर महसूल**

500 श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार ने कोई विशेष आज्ञा जनवरी, 1968 से जारी की है जिससे जलाऊ सूखी लकड़ी को गाड़ी का महसूल बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो सरकार का आदेश क्या है ?

(आ) क्या यह भी सही है कि जिला डूंगरपुर में इस वर्ष प्रत्येक गाड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी का महसूल 11 रुपया 25 नया पैसा लिया जा रहा है जब कि पहले एक गाड़ी सूखी लकड़ी का महसूल 2 रुपया 25 नया पैसा लिया जाता था ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

**बारां के अस्पताल के डाक्टर**

501. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के झुंझुनू, चिड़ावा, सुजानगढ़ व गंगानगर अस्पतालों में इंचार्ज डाक्टरों की नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

(2) राज्य सरकार एम. एस., योग्यता प्राप्त डाक्टरों व एल. एम. पी. योग्यता प्राप्त डाक्टरों म किस को सीनियर व योग्य मानती है ?

(3) बारां अस्पताल में किस किस योग्यता वाले डाक्टर हैं और उनमें इन्चार्ज डाक्टर एवं मेडिकल डाक्टर कौन हैं और उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान के चिकित्सालयों में इन्चार्ज डाक्टर की नियुक्त वरिष्ठता के आधार पर की जाती है ।

(2) एम. एस. योग्यता प्राप्त डाक्टर अधिक योग्य माने जाते हैं पर सिनियोरिटी का आधार सेवाकाल से सम्बन्धित होता है, न कि केवल योग्यता से ।

(स्वास्थ्य मंत्री)

(3) बारां अस्पताल में निम्नलिखित योग्यता के डाक्टर कार्य कर रहे हैं:—

| क्रम सं. | डाक्टर का नाम | योग्यता |
|---|---|---|
| 1. | डा. गिरधरगोपाल सक्सेना | एल एम. पी सी.पी.) |
| 2. | डा. प्रभुलाल शर्मा | एम.बी.,बी. एस.(एम.एस.) डी. आरथो. सर्जन |
| 3. | डा. मोहम्मद शमशुजुहा | एम.बी.बी.,एम. |
| 4. | डा. राजेन्द्र शर्मा | एल एम. एफ. |

इनमें इन्चार्ज डाक्टर गिरधरगोपाल सक्सैना हैं जो मेडिकल साइड का कार्य करते हैं। जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की गई है।

### ऊसर भूमि पर लगान

502. श्री नन्दलाल बैरवा (केशवराय-पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील पाटन जिला बूंदी में चम्बल की नहरों के पानी से सीपेज के कारण कितनी भूमि ऊसर हो गई है, और क्या यह सही है कि ऐसी भूमि का लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों वसूल किया जाता है ?

(2) अब तक ऐसी भूमि का कितना लगान वसूल किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी में चम्बल की नहरों के पानी से सीपेज के कारण 1511) भूमि ऊसर हुई है तथा ऐसी भूमि का कोई लगान वसूल नहीं किया जाता है।

(2) ऐसी भूमि का कोई लगान वसूल नहीं किया जाता है।

### चिड़िया घर, जयपुर

503. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर चिड़िया घर वन विभाग की ओर से चलाया जाता है ?

(2) यदि हां, तो कब से इस विभाग के तहत चलाया जा रहा है और इस पर कब कब कितना कितना किन किस सन् में किस किस मद में खर्चा किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त चिड़िया घर में कब कब कितने कितने जानवर बाहर से लाये गये और उन पर कितना कितना खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त चिड़िया घर के हिसाब का कब कब आडिट हुआ है और उसमें क्या क्या एतराज किये गये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस चिड़िया घर में आडिट ने गबन के केस साबित किये हैं ?

(6) वन विभाग के अधीन आने के पश्चात् इसमें अब तक कितने जानवरों व पक्षियों की मृत्यु हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(वन मंत्री)

(2) यह जयपुर स्टेट के समय से ही वन विभाग के अधीन है। 1959-60 में हुए व्यय की सारिणी संलग्न है।

(3) सूची (ब) संलग्न है।

(4) महालेखाकार द्वारा नवम्बर 1962 और सितम्बर 1965 में आडिट किया गया। निरीक्षण में एतराज छोटे छोटे थे जिनकी पूर्ति हो जाने पर महालेखाकार ने उन्हें छोड़ (ड्राप कर) दिया। केवल निम्नलिखित आक्षेपों में कार्यवाही जारी है :—

1. जू सुपरवाईजर के निःशुल्क आवास व्यवस्था की स्वीकृति की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

2. 1961-62 के अवशेष हड्डियों के ठेके की राशि की वसूली की कार्यवाही ठेकेदार के मर जाने के कारण खारजी की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(6) 1959-60 से अब तक 8288 पशु पक्षी मरे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाली में सिंचाई साधनों के अपूर्ण कार्य

501. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष पंचायत समिति, बाली में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कौन कौन से तालाब, बांध, एनीकट आदि सिंचाई के साधनों का कार्य हाथ में लिया गया था एवं उन पर कितनी कितनी धनराशि का कार्य किया गया?

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य सम्पूर्ण हो गये हैं और कौन कौन से कार्य अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं?

(3) जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

(4) क्या ये कार्य पूरे नहीं हुए तो जो कार्य उन पर हुआ है उसमें भी वर्षा आदि की वजह से हानि होने की संभावना है। क्या इस वर्ष एवं पिछले वर्ष की वर्षा से इन कार्यों में से कहीं पर कोई हानि हुई है? यदि हां, तो उसका क्या ऐस्टीमेट है? और उस हानि का जिम्मेवार कौन है?

उत्तर

1. सिंचाई विभाग द्वारा सिर्फ बेरवा के तालाब पर कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत किया गया इस पर कुल खर्च रु. 14,49:)90 पैसे किये गये।

2. कार्य अधूरा पड़ा है।

3. चूंकि अकाल राहत कार्य पूरे हो चुके तथा चूंकि वह तालाब पंचायत समिति का अतः अपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी पंचायत समिति पर है।

4. वर्षा से हानि होने की संभावना नहीं है हानि होने की कोई सूचना इस विभाग को नहीं है।

**माण्डलगढ़ क्षेत्र में भूमि का आवंटन**

505. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डलगढ़ क्षेत्र में जिन जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई हैं उनमें से कितने लोगों ने अलॉट की गई जमीन पर कुएं बना लिए है ?

(2) यदि कुए नहीं बनाये हैं और केवल घास काटते हैं तो क्या सरकार ऐसे लोगों से जमीन वापस लेने का कदम उठा सकती है ?

(3) क्या ऐसे लोगों से अलॉट की हुई जमीन भी वापस ली जा सकती है जो हाथ से खेती नहीं करके दूसरों से करवा रहे हैं ?

(4) क्या अब जो जमीन अलॉट होने से बची है उसे वितरण करने में प्राथमिकता केवल उन्हें ही दी जायगी जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है और जो हाथ से खेती करने वाले हैं ?

(5) क्या हाथ से खेती नहीं करने वालों को जमीन अलौट करना अब बन्द होगा ?

**उत्तर**

(1) 10 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अलोट शुदा भूमि पर कुवे खोदे गये हैं।

(2) कुवे खोदने की कोई पाबन्दी नहीं है। घास काटने या पड़त भूमि रहने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

(3) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अलबता जमीन काश्त नहीं करें व शर्तों की अवहेलना की जावे तो जमीन वापस ली जा सकती है।

(4) नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।

(5) अलाटमेन्ट कमेटी आवंटन के समय विचार करती है।

**चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के संबंध में सुझाव**

506. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय क्षेत्रीय विधायकों प्रमुखों एवं प्रधानों के सुझाव राज्य सरकार द्वारा चाहे गये हैं। यदि नहीं, तो क्यों।

**उत्तर**

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप' जो अभी तैयार हो रहा है उसके लिए क्षेत्रीय विधायकों, प्रमुखों एवं प्रधानों के सुझाव नहीं मांगे जा सके हैं क्योंकि योजना आयोग ने इस कार्य के लिए दो माह से भी कम का समय दिया है। 1966–67 में जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा रहा था उस समय सभी पंचायत समितियों व जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगे गये थे जिनको कि अब नई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रारूप का ढांचा तैयार हो जाने के बाद उसको राजस्थान योजना परामर्शदात्री परिषद् में भी विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें कुछ विधायक, प्रमुख एवं प्रधान भी सदस्य हैं और उनके सुझावों के अनुरूप प्रारूप में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

ग्राम बूचास का पटवार घर

507 श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तारानगर तहसील के बूचास ग्राम में सरकारी पटवार घर कब बना ? उस पर कितना खर्चा हुआ ?

(2) उसमें कितनी ईंटें लगीं ? यह ईंटें किस से खरीदी गईं ? इनका कितना रुपया किस किस को चुकाया ?

(3) क्या यह सही है कि हल्का गिरदावर के विरुद्ध बूचास के कुछ नागरिकों ने उनके घरों, बाडों आदि से जबरन उनकी बिना इजाजत ईंटें बिना मूल्य चुकाये लेने की शिकायत तहसीलदार और जिले के राजस्व अधिकारियों से की थी तथा कई बार प्रतिनिधि मण्डल के रूप में भी स्वयं उपस्थित होकर शिकायत की थी ?

(4) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं ? अब क्या कार्यवाही की जा रही है तथा दो साल से भी अधिक समय गुजर जाने के उपरांत भी अभी तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) तहसील तारानगर के बूचास ग्राम में सरकारी पटवार घर सन् 1966–67 में बना था जिस पर 5770.69 पैसे खर्च हुए।

(2) इस पटवार घर में 22150 ईंटें लगी हैं। ये ईंटें जिन जिन व्यक्तियों से खरीदी गई हैं व रकम चुकाई गई है वे निम्न प्रकार से है:—

| नाम व्यक्ति | तादाद ईंटें | दर प्रति हजार | रुपया जो दिया गया |
|---|---|---|---|
| 1. श्री दानाराम | 7900 | 30) रु. | 237 |
| 2. श्री जेठाराम जाट | 6700 | ,, | 201) |
| 3. श्री चिमनाराम चौधरी | 1000 | ,, | 30) |
| | 15600 | | 468) रु. |

बाकी की 6550 ईंटें बूचास ग्राम के निवासियों से मुफ्त इमदाद के रूप में प्राप्त हुई।

(3) जी हां।

(4) इन शिकायतों के प्राप्त होने पर जांच को कार्यवाही की जा रही है। शिकायत को दो वर्ष से अधिक समय गुजर जाने वाली बात सही नहीं है।

निर्माण कार्यों की जांच

503. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चन्द्राई, मरनवां और पालगांव, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के सरपंचों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधीश, नागौर ने सहायक अभियन्ता, सामुदायिक,

# Page No. 78



(श्री हजारीराम बरड़क)
विकास, जोधपुर से जांच करवाई थी ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर, नागौर ने राज्य सरकार को लिखा था जिस पर राज्य सरकार ने उपरोक्त सरपंचों से रकम दण्डनीय ब्याज सहित वसूल करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा रकम वसूली के दिये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सरकार द्वारा दिये गये रकम वसूली के आदेशानुसार कितनी रकम वसूल हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच करवाई थी ?

(2) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) कार्यवाही चालू है ।

राजस्थान सरकार

पंचायत एवं विकास विभाग

क्रमांक:—एफ. 3 (बी. क्यू) 831 नागौर। 6714561 दिनांक 8-1-68

नागौर ।

विषय:—सरपंच पंचायत, चन्द्राई तथा भरनावा से श्रमदान की रकम वसूल कराने तथा अवशेष कार्यों की जांच कराने हेतु ।

प्रसंग:—आपका पत्र संख्या एफ. 26 (40) शिकायत।6717760 दिनांक 22-11-67

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार निवेदन है कि सरपंच पंचायत चन्द्राई को सात निर्माण कार्यों के लिये पंचायत समिति, लाडनूं से 16000) रु. का अनुदान दिया गया था तथा 2500) रु. का श्रमदान था । कुल 18500) रुपये का कार्य होना चाहिये किन्तु उक्त कार्यों पर केवल 9398) रु. ही व्यय किये गये शेष 9102) रुपये का कार्य कम करवा कर दुरुपयोग किया । इसी तरह सरपंच पंचायत बरनांवां में तीन निर्माण कार्यों के लिये पंचायत समिति से 5470) रु. अनुदान के प्राप्त किये और 750) रु. का श्रमदान मिला कर 6220) रुपये का कार्य होना चाहिये किन्तु कार्य केवल 5249) रु. का ही हुआ । 971) रु. का कार्यकम करवा कर दुरुपयोग किया है । अतः कृपया पंचायत चन्द्राई सरपंच से 9102) रु. मय दण्डनीय ब्याज तथा सरपंच पंचायत बरनांवां से 971) रु. मय दण्डनीय ब्याज के शीघ्र वसूल किया जावे । इसके अलावा पंचायत मालगांव तथा उक्त पंचायतों के शेष निर्माण कार्यों की जांच पूर्व में नहीं की गई । उन समस्त कार्यों की जांच सहायक अभियन्ता से शीघ्र करवाने का कष्ट करें ।

भवदीय
अमरचन्द बापना
सहायक सचिव (जांच),
राजस्थान, जयपुर ।

**ग्राम पंचायत, असनावर की आबादी की भूमि**

509. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री के आदेश से तारीख 1 अगस्त सन् 67 को ग्राम पंचायत असनावर की आबादी की भूमि ख. नं. 1300/II) 3, 4.20 में किसी को दी गई है ? यदि हां, तो किस को और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पंचायत असनावर को आबादी बढाये जाने के लिये दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि को आबादी बढ़ाये जाने के लिये पंचायत द्वारा ब्लाक बनाकर नीलाम 1000) में की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस भूमि के लिये पहले से ही पंचायत व दीगर व्यक्ति के बीच अवैध कब्जा करने का मुकदमा कलेक्टरी में चल रहा है ? यदि हां, तो फिर जमीन क्यों एलॉट की गई ?

**उत्तर**

(1) खसरा नं 1300 का 8 बिस्वा रकबा किस्म बंजर श्री कुन्दनमल महाजन असनावर को तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-8-67 को घास व कृषि सामान रखने हेतु माननीय राजस्व मंत्री के आदेश दिनांक 1-8-67 के अनुसार 20 साल का लगान वसूल किया जाकर दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी, हां ।

(4) जी, नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता । पंचायत ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-8-67 के विरुद्ध जिलाधीश कार्यालय में अपील दिनांक 22-8-67 को पेश की है, जो अभी विचाराधीन है ।

**गांवों का मास्टर प्लान**

510. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—–

(1) क्या सरकार गांवों की आबादी को व्यवस्थित और सुन्दर ढंग से कतारों में, लम्बी चौड़ी, सीधी गलियां रखकर स्वास्थ्य-प्रद ढंग से बसाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कोई योजना अथवा व्यवस्था है ? नहीं तो क्यों नहीं ? है तो क्या ?

(2) यदि कोई पंचायत या पंचायत समिति अपने क्षेत्र के गांवों की आबादी भूमि का सर्वे करवा कर प्लॉट काट कर सुन्दर एवं व्यवस्थित ढंग से बसाना चाहे तो राज्य सरकार व पंचायत विभाग क्या सहयोग देते हैं ?

(3) क्या शहरों के मास्टर प्लान के ढंग पर कोई गांवों का भी मास्टर प्लान बनाने की योजना है ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार को पता है कि ग्राम पंचायतों को नई आबादी भूमि छुड़ाने में भारी कठिनाई होती है और वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी उसे भूमि नहीं मिलती ? इस संबंध में सरकार की क्या स्पष्ट नीति है ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है।

(2) राज्य सरकार उस गांव का मास्टर प्लान स्वीकृत होने पर मकान बनाने के लिये ऋण स्वीकृत करती है।

(3) जी हां।

(4) सवाई चक की जमीन को आबादी के लिये पंचायतों को उपलब्ध कराने के अधिकार जिलाधीश को हैं। इस कार्यवाही में देरी नहीं लगती। किन्तु यदि आबादी हेतु खातेदारी की कृषि भूमि चाही जाती है तो उसमें देरी अवश्य लग जाती है।

पंचायत समिति, मकराना द्वारा खरीद में अनियमितताएं

511. श्री दुर्गालाल बाहदार (हवा-महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मकराना ने 1965 से 1968 तक जो खरीद की उसमें से करीब एक लाख रुपये के माल के नियमानुसार टेण्डर नहीं लिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस खरीद में प्रधान व विकास अधिकारी ने भारी अनियमिततायें बरतीं जिनका विरोध ग्राम सभा ने किया व सरपंचों द्वारा शिकायतें भी की गई ?

(3) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) रु. 84,010.65 पैसे की खरीद की गई। सामान टेण्डर। कोटेशन लेकर तथा विभागीय स्वीकृत दरों पर खरीदा गया।

(2) जी नहीं। ऑडिट ने कुछ मामलों में औपचारिक अनियमितता होना बताया है ग्राम सभा के विरोध करने तथा सरपंचों द्वारा शिकायतें करने की जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम हेमड़ा में हरिजन परिवारों को भूमि का आवंटन

512. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हेमड़ा तहसील पिड़ावा में 24 हरिजन परिवारों को दिनांक 1-7-63 को 150 बीघा भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अलॉट की गई थी व उसे वे लोग अब तक काश्त करते चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त परिवारों को जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा दिनांक 29-12-67 को बेदखल करने के ऑर्डर दे दिये गये ? यदि हां तो क्यों ?

(3) अलॉट शुदा भूमि से 4 वर्ष बाद इन परिवारों को अलग किया जाना क्या सरकार उचित समझती है ? आवंटित भूमि को वापस लेने के नियम क्या हैं ?

(श्री जुझारसिंह)

(4) क्या यह सही है कि इसी खसरा नं0 268 चरनोट भूमि पर सन् 1961 या 62 के लगभग तहसीलदार पिड़ावा द्वारा श्री भंवरलाल वल्द चूलजी, पूरा वल्द लच्छा, मगन वल्द नाथू व रामा वल्द काना आदि को भी भूमि आवंटित की गई थी व उन्हें बेदखल नहीं किया गया है ?

(5) बेदखल किये गये इन हरिजन परिवारों को बसाने व कम्पनशेट करने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

उत्तर

(1) जी हां, अलाटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 1-7-63 को ग्राम हेमड़ा तहसील पिडावा के 24 हरिजन परिवारों को भूमि एलाट की गई थी, जिसे ये काश्त कर रहे हैं।

(2) जी नहीं। उक्त परिवारों को बेदखल करने बाबत दिनांक 29-12-67 को कोई आदेश नहीं दिये गये। किन्तु दिनांक 23-3-68 को राज्य सरकार द्वारा उक्त आवटन निरस्त कर दिया गया है।

(3) आवंटित भूमि चरागाह को होने से राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ. 2 (33) राज/68 दिनांक 23-3-68 द्वारा एलाटमेंट रद्द किया है। यह आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1957 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।

(4) जी नहीं, सन् 1961–62 में खसरा नं0 268 चरनोट का रकबा भंवर लाल, पूरा, रामा आदि को एलाट नहीं किया गया है।

(5) राजस्थान, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 में आवंटित भूमि को एलाटमेन्ट गलत होने पर रद्द करने पर भूमि वापस लेने पर क्षति पूर्ती देने का कोई प्रावधान नहीं है।

पंचायत रामगढ़ का सरपंच

513 श्री रामचन्द्र आर्य ( नोहर ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत रामगढ़, तहसील नोहर के सरपंच को वर्ष 1966 में पृथक कर दिया गया था ? यदि हां, तो फिर उस सरपंच को कौन से नियम से पुनः बहाल किया गया है ?

(2) क्या यह सही है उक्त सरपंच को पृथक करने की सूचना राज-पत्र में प्रकाशित करदी गई थी ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को ?

उत्तर

(1) जी नहीं सन् 1966 में सरपंच का स्थान रिक्त घोषित किया था उसके बाद सरपंच के पुनरावेदन पत्र पर परिनिर्णय (फाईंडिंग) लेखबद्ध करने का आदेश निरस्त किया गया।

(2) स्थान रिक्त करने की सूचना राजस्थान राज पत्र मे दिनांक 24 नवम्बर 1966 को प्रकाशित हुई थी।

टोंक जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

514. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक जिले में राजस्व विभाग के

# Page No. 82



(श्री दिग्विजयसिंह)
ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको एक ही तहसील में 4 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि कोई भी कर्मचारी जो अपने ही क्षेत्र का रहने वाला हो उसे उस तहसील में नहीं लगाना चाहिए ?

(3) क्या यह सत्य है कि श्री मन्नालाल यू. डी. सी. निवासी उनियारा जिला टोंक को तहसील उनियारे में ही नियुक्त कर रखा है और उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान में जिलाधीश टोंक को एक आदेश द्वारा यह लिखा था कि श्री मन्नालाल का फौरन स्थानान्तरण कर दिया जावे ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश टोंक ने उन आदेशों की पालना करते हुए स्थानान्तरण देवली तहसील में कर दिया था ?

(6) क्या यह सत्य है कि एक माह तक इन आदेशों की अनुपालना नहीं की गई और फिर यह स्थानान्तरण रद्द कर दिए गए ? यदि हां, तो किसके आदेशों से ?

(7) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में जिलाधीश द्वारा फिर उसका तबादला कर दिया गया था पर फिर वह रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति का ट्रांसफर कैंसिल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमण्डल जिलाधीश से मिला था ?

उत्तर

1. ऐसे 6 कर्मचारी हैं।

2. लिपिक वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे कोई आदेश नहीं हैं।

3. यह वरिष्ठ लिपिक सन् 65 से ही उनियारा में है। इससे पूर्व यह सन् 64 में तहसील निवाई में कार्य करते थे।

4. जी हां, दिनांक 19-12-67 को।

5. जी हां।

6. इन आदेशों की अनुपालना इसलिए नहीं की जा सकी थी कि तहसील अलीगढ़ का एक लिपिक दीर्घकालीन अवकाश पर चल रहा था। तत्पश्चात् यह आदेश राजस्व (ग) विभाग, जयपुर के पत्र सं. प 3 (166) रा।ग।67 दिनांक 4-9-67 व निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के पत्र सं. रा. मं।एफ. 5।बिास्था।1292 दिनांक 16-1-68 में वर्णित आदेशों की अनुपालना में निरस्त कर दिये गये।

7. जी हां, किन्तु यह सत्य नहीं कि यह आदेश पुनः रोक दिये गये हैं।

8. जी नहीं।

परिशिष्ट 3

(म. प्रश्न संख्या 548 की सूची)

सूची ग्राम तहसील सांगोद आलनियां, परवन, कालीसिंध योजनाओं से सिंचित होते हैं।

| क्रमांक | नाम तहसील | बांध योजना | नाम ग्राम | क्षेत्रफल एकड़ों में | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सिंचन बांध सी सी. ए. | सिंचाई योग्य क्षेत्र | 67–68 में सिंचित क्षेत्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सांगोद | आहलियां | फूलनगर | 881 | 60 प्रतिशत | 469 |
| 2. | ,, | ,, | कुराड | 60 | ,, | 13 |
| 3. | ,, | ,, | बंधा | 115 | ,, | 79 |
| 4. | ,, | ,, | खूजरी | 1167 | ,, | 676 |
| 5. | ,, | ,, | आमली | 450 | ,, | 64 |
| 6. | ,, | ,, | पिपलखेडा | 1076 | ,, | 81 |
| 7. | ,, | ,, | ढिकोनी | 192 | ,, | 29 |
| 8. | ,, | ,, | लडोपुर | 650 | ,, | 242 |
| 9. | ,, | ,, | देवली | 200 | ,, | 84 |
| | | योग | | 4901 | 2940 | 1736 |
| 10. | ,, | परवन | दुहनहेडा | 401 | 60 प्रतिशत | 57 |
| 11. | ,, | ,, | दोरानी | 120 | ,, | 21 |
| 12. | ,, | ,, | अरेल | 588 | ,, | 94 |
| 13. | ,, | ,, | खर्द | 418 | ,, | |
| 14. | ,, | ,, | कोटडा | 273 | ,, | |
| | | योग परवन | | 1800 | 1080 | 172 |
| 15. | ,, | कालीसिंध | पसार | 678 | 60 प्रतिशत | 51 |
| 16. | ,, | ,, | खजूरी | 339 | ,, | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | रांगोद | काली सिंध | खरकनाखेडो | 314 | 60 प्रतिशत | 6 |
| 18. | ,, | ,, | मुढिया | 427 | ,, | 132 |
| 19. | ,, | ,, | मनवयाखेडी | 100 | ,, | 5 |
| 20. | ,, | ,, | भरखेडी | 115 | ,, | 11 |
| 21. | ,, | ,, | अकोदिया | 468 | ,, | 72 |
| 22. | ,, | ,, | अमृत कुआं | 284 | ,, | 81 |
| 23. | ,, | ,, | बारानी कलां | 870 | ,, | 112 |
| 24. | ,, | ,, | मोतीखुर्द | 1204 | ,, | 51 |
| 25. | ,, | ,, | गाडरवाडा | 670 | ,, | 31 |
| 26. | ,, | ,, | किशनपुरा | 1389 | ,, | 157 |
| 27. | ,, | ,, | नागराखेडो | 438 | ,, | 129 |
| 28. | ,, | ,, | बामानाखेडी | 281 | 94 | 13 |
| 29. | ,, | ,, | चकबमूलिया | 42 | ,, | 17 |
| 30. | ,, | ,, | बांगडल्या | 236 | ,, | 19 |
| 31. | ,, | ,, | गुरायता | 806 | ,, | 75 |
| 32. | ,, | ,, | मोरीनाखुर्द | 277 | ,, | 4 |
| | | | योग | 8868 | | 1033 |

कुल सी. सी. ए. 15569 एकड

परिशिष्ट 4

(प्र. प्रश्न संख्या 551 की सूची)

सूची जिला टोंक की पंचायत समितियों में जीप गाडी और ड्राईवरों को

| नाम पंचायत समिति | संख्या गाडियों की | संख्या ड्राईवर |
|---|---|---|
| टोडाभीम | 2 | 1 |
| मालपुरा | 2 | 1 |
| देवली | 1 | 1 |
| उनियारा | 1 | 1 |
| निवाई | 2 | 1 |
| टोंक | 3 | 1 |

# Page No. 86



परिशिष्ट 5

(अ. प्रश्न संख्या 558 की सूची)

सूची (क)

फहरिस्त काश्तकारान मौजा अनोपसागर, जिनकी भूमि डेन्जरस एरिया में आई

| क्र० सं० | नाम काश्तकारान | नं० खसरा | तादाद रकबा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अर्जुनसिंह वल्द एडीसालसिंह कौम राजपूत साकिन बीकानेर | 2316 | 60) | |
| 2. | गरणपत वल्द मोती राम कौम राजपूत साकिन बीकानेर। | 3616 | 21) 4 | |
| 3. | गणेशा वल्द शेरा कौम नायक साकिन बीकानेर | 2416 | 61) | |
| 4. | गोर्धन वल्द मोती कौम नायक साकिन बीकानेर | 3316 | 34) 1 | |
| 5. | चुन्नी लाल वल्द हेतराम कौम मेहरा, साकिन बीकानेर | 4816 | 18) | |
| 6. | जेठ मल वल्द पूरन कौम मेहरा साकिन बीकानेर | 5516 | 25) | |
| 7. | फूसा राम वल्द लक्ष्मन कौम नायक, साकिन बीकानेर | 3416 | 32) 1 | |
| 8. | बुद्धा वल्द पूरन कौम नायक बीकानेर | 3516 | 26) 1 | |
| 9. | किशना वल्द घूड़ा कौम नायक बीकानेर | 4516 | 60) | |
| 10. | भीखसिंह वल्द रामसिंह कौम पिरोहित साकिन बीकानेर | 5616 | 10) | |
| 11. | मूला वल्द डालू कौम नायक साकिन बीकानेर | 3216 | 30) | |
| 12. | मोड़ा वल्द चुना पिसारान कालू कौम नायक साकिन बीकानेर बहिस्सा बराबर | 3916 | 61) 3 | |
| 13. | रावत वल्द पूर्ण कौम माली साकिन बीकानेर | 4716 | 11) | |
| 14. | शेरा वल्द तना कौम नायक साकिन बीकानेर | 3716 | 27) | |
| 15. | हजारी वल्द आसा कौम नायक साकिन बीकानेर | 3816 | 35) | |
| | | | 514) | |

परिशिष्ट 6

(ग्र. प्रश्न संख्या 563 की सूची)

नकशा रकबा जो हवाई जहाज के स्टेशन में ग्राया।

| नं० क्र० | नाम ग्राम | नाम ग्रासामी | नं० खसरा | रकबा | किस्म जमीन | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पचोपला | प्रभुदयाल पुत्र भूरामल मोहन | | | | |
| | | लाल पुत्र श्रीकिशन | 861 | 1:4 | बारानी 2 | |
| | | ग्रग्रवाल सीमेन्ट फैक्टरी | 863 | 2:1 | | |
| | | | 2 | 2॥ | | |
| 2. | ,, | मिश्रीलाल धन्ना जैसो | 863 | 1:3 | बारानी 2 | |
| | | पि० मेरो गूजर | 3 | 3॥3 | | |

नकशा रकबा जो हवाई जहाज के स्टेशन में ग्राया ग्राम चकचेनपुरा

| क्र० सं० | नाम ग्राम | नाम ग्रासामी | न० ख० | रकबा | किस्म जमीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चकचेनपुरा | सोग्या वल्द मंगल्या चमार | | | |
| | | सा० देह | 113 | 11 | बारानी 2 |
| 2. | ,, | रूगनाथ वल्द धन्ना गूजर | 116 | 11 | बारानी 2 |
| | | सा० मुडरेडा | 118 | 2।2 | ,, |
| 3. | ,, | शोदान राधाकिशन पि० | 117 | 4:2 | ,, |
| | | दयाला हि० 2/2 हजारी | 119 | 7॥4 | ,, |
| | | वल्द बालागूजर हि० 1/3 | | | |
| | | सा० मुडरेडा | | | |
| 4. | ,, | धन्ना वल्द भूरा माली सा० मुडरेडा | 121 | 2॥2 | बारानी 2 |
| 5. | ,, | मंगमा वल्द भूरा माली सा० मुडरेडा | 122 | 3॥1 | बारानी 2 |
| 6. | ,, | सिवायचक | 78 | 12 | बंजड 2 |
| | | | 115 | 2॥1 | बारानी 2 |
| | | | 120 | ॥।2 | बंजर 1 |
| | | | 123 | 9॥4 बारानी 2 | बंजड 2 |
| | | | | 6:2 | 3॥2 |
| | | मीजान कुल ग्राम चकचेनपुर | 12 | 33॥ | |

नक्शा रकबा जो हवाई जहाज के स्टेशन में आया

| क्र. सं. | नाम ग्राम | नाम आसामी | नं. ख. | रकबा | किस्म जमीन | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 1. | ठोगला | इकबाल अहमद जमील अहमद ना. बा. अकलि अहमद पि. सरदार अहमद मुसलमान साकिन सवाई माधोपुर। | 559 | 1 | बारानी | 1 |
| 2. | ,, | मुंशी बशीरुद्दीन पुत्र सयुद्दीन मुसलमान सवाई माधोपुर | 561 | 511 | बारानी | 3 |
| | | | 562 | 4111 | बारानी | 3 |
| | | | 563 | 1: | बारानी | 3 |
| | | | 564 | 114 | बारानी | 3 |
| | | | 565 | 0: | बारानी | 3 |
| | | योग | 5 | 1411 | | |
| 3. | ,, | गोविन्द प्रसाद पुत्र गोरधन ब्रा. सा. सवाई माधोपुर। | 566 | 311 | बारानी | 3 |
| 4. | ,, | फयाजुद्दीन पुत्र फसयुद्दीन मसयुद्दीन पुत्र बसीरुद्दीन मुसलमान सवाई माधोपुर। | 567 | 6113 | बारानी | 3 |
| | | | 568 | 31 | बारानी | 3 |
| | | | 570 | 1: | गं. मु. भैरा | |
| | | योग | 3 | 101:3 | | |
| 5. | ,, | करीमा पुत्र घासी लुहार आदर्शनगर | 569 | 1111 | बारानी | 3 |
| 6. | ,, | प्रभुसिंह पुत्र रामबक्ससिंह राजपूत सा. देह | 571 | 11 | बारानी | 3 |
| 7. | ,, | गोविन्दा पुत्र हथा जाट सा. देह | 572 | 2:1 | बारानी | 1 |
| 8. | ,, | नागा पुत्र शंकर जाट सा. देह | 573 | 213 | बारानी | ए |
| | | | 575 | 2113 | बारानी | ए |
| | | | 576 | 2111:1 | बारानी | ए |
| | | योग | 3 | 7112 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ठोगला | सिवायचक | 577 | 4।। | बारानी | 1 |
| | | | 578 | 1।।।1 | बारानी | 1 |
| | | | 579 | ।।।:3 | बारानी | 1 |
| | | योग | 3 | 7:4 | | |
| | | योग ठींगला | | 49।:1 | | |

## परिशिष्ट 7

(अ. प्रश्न संख्या 573 की सूची)

जिले वार तालाबों की सूची जिनमें लाइनिंग कराई गई है।

| क्रम संख्या 1 | नाम तालाब 2 |
|---|---|
| | **जिला–उदयपुर** |
| 1. | बड़ामदार |
| 2. | उदयसागर |
| 3. | जयसमन्द |
| 4. | केजड |
| 5. | टांकर |
| 6. | पावन्ड |
| 7. | विरवा |
| 8. | लोग्रर घोटी |
| 9. | भाडोल |
| 10. | करमाई |
| 11. | जाजम |
| | **जिला–कोटा** |
| 12. | चम्बल दाईं मुख्य नहर व रामगढ केनाल |
| 13. | चम्बल दाईं मुख्य नहर (उमेदसागर) की डिस्ट्रीब्यूटरी |
| 14. | बांयी मुख्य नहर एवं उनकी डिस्ट्रिब्यूटरी |
| | **जिला–बूंदी** |
| 15 | गुडा |
| 16. | बून्दी का गोटड़ा |
| 17. | भीमलत |
| 18. | पाईदलापुरा |
| 19. | मोतीपुरा |
| | **जिला–पाली** |
| 20. | हेमावास |
| 21 | खारडा |
| 22. | जवाई |
| | **जिला–जालौर** |
| 23. | बीथन |
| 24. | धांवली |
| 25 | वेस्ट बनास |
| | **जिला–सिरोही** |
| 26. | कादमबरी |
| 27. | दांता |
| | **जिला–डूंगरपुर** |
| 28. | लोदीसर |
| 29. | बेरडा माईनर |
| 30. | थाना तलाब |
| 31. | खाजा की वाग |
| 32. | मूंगरा |
| 33. | मासौर |

# Page No. 91



| 1 | 2 |
|---|---|
| | **जिला–बांसवाड़ा** |
| 34. | माखनपुरा |
| 35. | खुहारिया |
| 36. | हारां |
| 37. | सरवानिया |
| | **जिला–अलवर** |
| 38. | मंगलसर |
| 39. | गोर्धनपुरा |
| | **जिला–सीकर** |
| 40. | भूडोली |
| | **जिला–झालावाड** |
| 41. | झालनियां |
| 42. | कालोसिध |
| | **जिला–सवाई माधोपुर** |
| 43. | नगर बांध |
| | **जिला–चित्तौडगढ** |
| 44. | ओराई |
| 45. | गम्भीरी |
| 46. | पुरलिया |
| 47. | मोनियाना |
| 48. | सालेरा |
| 49. | भूपाल सागर |
| 50. | छोरदा |
| 51. | हिम्डोली |
| 52. | राजगढ़ |
| 53. | जनोना |
| 54. | भल्लभ नगर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | **जिला उदयपुर** |
| 55. | केलवाडा केनाल |
| 56. | भोपाल सागर |
| 57. | काला भाटा |
| 58. | रिन्छड |
| 59. | भराई |
| 60. | बनोडिया माईनर |
| 61. | विनोल |
| 62. | वरजल |
| 63. | नदी नाला |
| 64. | अरटेंक |
| 65. | सारा बाला |
| 66. | गांगुडा |
| 67. | बनेडिया |
| 68. | चन्द्र भाना |
| 69. | कुन्डेलो |
| 70. | बग्नड के नाल |
| 71. | सलोबा |
| 72. | लोसिंग |
| 73. | मुताल केनाल |
| 74. | अमर चन्दिया |
| | **जिला–भरतपुर** |
| 75. | पार्वती |
| 76. | सर्मिला सागर |
| | **जिला–भीलवाडा** |
| 77. | नामदो |
| 78. | सरेरी |
| 79. | खारी |
| 80. | टोकरवाडा |
| 81. | उम्मेद सागर |
| 82. | नाहर सागर |
| 83. | अरबड |

# Page No. 92



| 1 | 2 |
|---|---|
| 84. | फाडोल |
| 85. | मेजर |

**जिला–गंगानगर**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 86. | भाखडा की नहरें |
| 87. | गंगनहर |

**जिला अजमेर**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 88. | पारा बांध 1 |
| 89. | पारा बांध 2 |
| 90. | मदन सरोवर वामना |
| 91. | नारायण सागर |
| 92. | रानियाबास |
| 93. | मकरेडा |
| 94. | न्यारा |
| 95. | रामसर |
| 96. | कामड़ |
| 97. | फूल सागर भालिया |

**जिला-नागौर**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 98. | हुरसोर |

**जिला–टोंक**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 99. | झांसी |
| 100. | मोती सागर |
| 101. | दाखिया |
| 102. | गलमा |

**जिला गंगानगर**

| 1 | 2 |
|---|---|
| 103. | राजस्थान नहर |

# Page No. 93



## परिशिष्ट 8

(अ.प्रश्न संख्या 324 की सूची)

फूड एवं हैल्थ इन्सपेक्टर्स द्वारा सैम्पल में खरीदने हेतु पिछले पांच साल से अब तक व्यय की हुई राशि–जिले एवं वर्षवार आंकड़ों की सूची

| क्रम संख्या | जिलों के नाम | वर्षवार व्यय की गई राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 |
| 1. | अलवर | 94.91 | 110.03 | 23.71 | 21.22 | 20.95 |
| 2. | बीकानेर | 17.99 | 18.07 | 74.12 | 77.21 | 85.36 |
| 3. | उदयपुर | 177.96 | 386.79 | 544.50 | 216.42 | 328.84 |
| 4. | कोटा | 290.43 | 633.83 | 1080.97 | 1765.05 | 997.53 |
| 5. | प्रतापगढ़ | 44.28 | 112.61 | 385.76 | 466.14 | 248.14 |
| 6. | अजमेर | × | 13.00 | 63.00 | 18.00 | 29.00 |
| 7. | जयपुर | 33.03 | 88.72 | 64.62 | 2.45 | 341.38 |
| 8. | नागोर | 209.74 | 645.64 | 475.31 | 883.79 | 417.24 |
| 9. | झालावाड़ | 58.58 | 542.19 | 337.80 | 417.46 | 25.34 |
| 10. | डूंगरपुर | 41.10 | 116.52 | 110.77 | 115.85 | 96.44 |
| 11. | बांसवाड़ा | × | × | × | × | 294.79 |
| 12. | भीलवाड़ा | × | 17.38 | 93.09 | 352.79 | 489.40 |
| 13. | सीकर | 129.39 | 207.63 | 100.33 | 128.95 | 213.14 |
| 14. | झुन्झुनू | 97.66 | 159.54 | 89.76 | 88.63 | 107.95 |
| 15. | टोंक | × | 9.64 | 66.67 | × | 130.36 |
| 16. | भरतपुर | 212.50 | 429.99 | 522.51 | 514.76 | 1169.99 |
| 17. | पाली | 88.47 | 80.01 | 188.82 | 128.39 | 145.13 |
| 18. | गंगानगर | 76.00 | 98.00 | 160.00 | 205.00 | 310.00 |

**प्रश्न के भाग 3 की सूची**

पिछले पांच वर्षों में फूड इन्सपेक्टरों द्वारा दुकानदारों को सेम्पल के लिए दी गई शीशियां, वापिस ली गई शीशियां व शेष शीशियां जो लेनी बाकी है :

| क्रम संख्या | जिले का नाम | सेम्पल हेतु दुकानदारों को दी गई शीशियां | दी गई शीशियों में से वापिस ली गई शीशियां | शेष शीशियों की संख्या जो दुकानदारों से लेनी है। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अलवर | 243 | × | 243 |
| 2. | बीकानेर | 147 | 79 | 68 |
| 3. | उदयपुर | 1356 | 153 | 1203 |
| 4. | कोटा एवं बूंदी | 3490 | 77 | 3413 |
| 5. | प्रतापगढ | 783 | 112 | 671 |
| 6. | अजमेर | 182 | 16 | 166 |
| 7. | जयपुर | 507 | × | 507 |
| 8. | नागौर | 1690 | 672 | 1018 |
| 9. | झालावाड़ | 1113 | 8 | 1105 |
| 10. | डूंगरपुर | 314 | 29 | 285 |
| 11. | बांसवाड़ा | 258 | × | 258 |
| 12. | भीलवाड़ा | 485 | 20 | 465 |
| 13. | सीकर | 788 | 24 | 764 |
| 14. | झुन्झुनूं | 579 | 6 | 573 |
| 15. | टोंक | 258 | × | 258 |
| 16. | भरतपुर | 1156 | × | 1156 |
| 17. | पाली | 837 | 179 | 658 |
| 18. | गंगानगर | 1388 | 280 | 1108 |

## शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1968)

| क्रम संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | अन्तिम से 8 | मसदा | मसूदा |
| 7 | 13 | यह | इस |
| 7 | अन्तिम | ार फइनल | पर फाइनल |
| 14 | अन्तिम से 11 | ली | लो |
| 16 | 5 | मे | मुझ |
| 16 | 6 | इत | इतना |
| 16 | अन्तिम | जिनकी | जिनको |
| 20 | 2 | डिपाटमेट | डिपार्टमेन्ट |
| 29 | 9 | श्री हरामाई | श्री हीरामाई |
| 31 | 4 | आपधापी | आपाधापी |
| 34 | 1 | इ ा | इस |
| 34 | 11 | जि ा में | जिनमें |
| 35 | 15 | आडर | आर्डर |
| 37 | 10 | एलाट ान्ट | एलाटमेन्ट |
| 40 | अन्तिम | पूर | पूरी |
| 42 | 5 | चौधर | चौधरी |
| 51 | 20 | दिल | दल |
| 54 | 1 | श्री विशम्म नाय | श्री विशम्भरनाथ |
| 54 | 1 | न | ने |
| 57 | 6 | का तालाव | तालाव का |
| 60 | अन्तिम से 10 | रतशचन्द्र | सतीशचन्द्र |
| 64 | 14 | बनाते | बनाने |
| 67 | अन्तिम से 3 | जाह | जगह |
| 69 | शीर्षक | प्रश्नोत्तख | प्रश्नोत्तर |
| 70 | अन्तिम से 11 | को भी | भी |
| 72 | अन्तिम से 11 | श्री दुर्गलाल | श्री दुर्गालाल |
| 93 | अन्तिम से 10 | आशिक | आंशिक |
| 105 | शीर्षक | तारांकित प्रश्नोत्तर | अतारांकित प्रश्नोत्तर |
| 105 | अन्तिम से 3 | किम्तु | किन्तु |
| 106 | से 14 | टयनवल | टयूबवैल |
| 107 | से 16 | ताराख | तारीख |
| 107 | अन्तिम से 10 | रामाज | रामगंज |
| 108 | अन्तिम से 7 | 67 | 157 |
| 109 | 16 | या | था |
| 109 | अन्तिम से 6 | वर | पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 115 | अन्तिम से 4 | दा | द्वो |
| 116 | 8 | कार्टभार | कार्यभार |
| 116 | अन्तिम | लान | लाये |
| 118 | 15 | झाल | झील |
| 123 | 8 | कवल | केवल |
| 125 | अन्तिम से 9 | मरम्मम | मरम्मत |
| 129 | अन्तिम से 13 | श्री देवीदत्त गाडे | श्री देवीदत्त गाड़िया |
| 133 | 6 | बागीदौरा | बागीडोरा |
| 134 | 13 | सदस्अ | सदस्य |
| 137 | 9. | अथला | अथवा |
| 137 | 18 | क | के |
| 140 | 7 | बटाने | बढ़ाने |
| 140 | 8 | ( ) | (1) |
| 140 | 12 | चलया | चलाया |
| 140 | 13 | किना | कितना |
| 140 | अन्तिम से 10 | हु ा | हुआ |
| 141 | अन्तिम से 8 | म | में |
| 141 | अन्तिम से 9 | ैसे | पसे |
| 142 | 1 | ममि | भूमि |
| 142 | 2 | ब तने | बताने |
| 142 | अन्तिम से 10 | पंचावस | पंचायत |
| 143 | अन्तिम से 2 | व्यक्तयों | व्यक्तियों |
| 143 | अन्तिम से 13 | प्र प्त | प्राप्त |
| 144 | शीर्ष | (श्री हरजीराम बरडक) | (श्री हरजीराम बुरड़क) |
| 145 | शीर्षक | परिशिप्ट | परिशिष्ट |
| 145 | अन्तिम से 13 | व्यक्त | व्यक्ति |
| 145 | अन्तिम से 3 | अनुसा | अनुसार |
| 145 | 5 | अपी ा | अपील |
| 145 | 14 | ह | है |
| 145 | अन्तिम से 6 | का योजना ह | की योजना है |
| 146 | 10 | शिकायतों | शिकायत |
| 147 | अन्तिम से 6 | प्र ाशित | प्रकाशित |
| 148 | अन्तिम से 11 | लिपिरू | लिपिक |